DISTRICT JHALAWAR
(RAJASTHAN)

जिला आपदा प्रबन्धन योजना 2017

मिनी सचिवालय, झालावाड़

जिला प्रशासन व आपदा प्रबन्धन केन्द्र, झालावाड़ (राज0)

फोन – 07432–230403

फैक्स : 07431–230404

ई–मेल **dm-jha-rj@nic.in**

सलाहकार
भवानीसिंह पालावत आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा0)
एवं पदेन सचिव आपदा प्राधिकरण झालावाड़
9413113217

निर्देशक
डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
झालावाड़
9166755000

आपदा प्रबन्धन जिला झालावाड

आपदा प्रबन्धन जिला झालावाड

विषय सूची.

	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
अध्याय–1	**परिचय**	**1**
	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्‌देश्य	1
	हितधारकों एवं उनकी जिम्मेदारियां	3
	योजना का उपयोग	3
	योजना का अनुमोदन तंत्र	4
	योजना की समीक्षा एवं अद्यतन	4
अध्याय – 2	**झालावाड़– एक संक्षिप्त परिचय**	**5**
	भौगोलिक स्थिति	5
	प्रशासनिक संरचना	6
	भौतिक स्वरूप	8
	आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति	9
	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	11
अध्याय –3	**जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन**	**12**
	संभावित आपदाओं की पहचान	12
	जिले में घटित पूर्व आपदाऐं एवं उनकी संवेदनशीलता	13
	सूखा	13
	बाढ़	14
	दुर्घटना	16
	आग	18
	भूकम्प	19
	साम्प्रदायिक तनाव	20

	ओलावृष्टि	22
	बांध टूटना	23
	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	24
	ताप (लू) व शीतघात	25
अध्याय–4	**आपदा प्रबंधन हेतु जिले की संस्थागत व्यवस्थाऐं**	**26**
	स्थाई व्यवस्था	216
	नियत्रण कक्ष	26
	विभिन्न अधिकारियों एवं विभागों की भूमिका	27
अध्याय–5	**रोकथाम एवं शमन उपाय**	**31**
	विभिन्न आपदाओं की कार्य योजना	31
अध्याय–6	**तैयारी**	**51**
	पूर्व चेतावनी	51
	सूचना संग्रहण एवं हस्तान्तरण	52
	संचार एवं प्रसार	52
	आपातकालीन तैयारी एवं रेस्पोन्स	53
	बाढ, फ्लेश फ्लाड, बांध टूटना, बादल फटना, ओलावृष्टि	53
	सूखा, भारी वर्षा, तुफान एवं शीतलहर	53
	ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (ईओसी)	53
अध्याय–7	**क्षमता वर्धन**	**61**
	प्रशिक्षण जरूरतों का मूल्यांकन	62
	विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	63
	विशेष प्रशिक्षण	64
	आपदा विशिष्ट प्रशिक्षण	66
	पाठयक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश	67

	विभिन्न इंर्फोमेशन एजुकेशन एंड कम्यूनिकेशन प्रणालियां एवं उपकरण	68
अध्याय–8	**राहत एवं प्रत्याक्रमण**	**71**
	इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम	71
	मास केज्जुअलिटी मेनेजमेन्ट	72
	रेपिड डैमिज असैसमेंट (आरडीए)	73
	जनता का सहयोग	73
	इमरजेंसी सपोर्ट फन्कशन	74
	शिविर प्रबंधन	74
	समन्वय एवं प्रबंधन	75
	न्यूनतम मानदंड	76
अध्याय–9	**समुत्थान एवं पुनर्निर्माण**	**77**
	आवासीय सुविधाएं	77
	बुनियादी सुविधांए	78
	क्रिटीकल इंफ्रास्ट्रक्चर	78
	सहभागिता योजना	79
	प्राथमिकता एवं चरणबद्ध विकास	79
	पर्यावरण संघात मूल्यांकन	80
	परिस्थितिकी की पुर्नस्थापना	81
अध्याय–10	**आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन**	83
	एनसीसीएफ (एनडीआरएफ) के तहत दावेदारी प्रक्रिया	83
	क्षमता संवर्धन के लिए फण्ड	83
	राज्य द्वारा फंडिग व्यवस्थाएं	84
	जिला स्तर पर फंडिग व्यवस्थाएं	84
अध्याय–11	**जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण**	**85**

	आपदा योजना की तैयारी एवं आधुनिकीकरण	85
	जिला आपदा प्रबंधन योजना का नियतकालिक आधुनिकीकरण	85
	आपदा प्रबंधन के क्रियान्वयन की स्टेट्स रिपोर्ट	86
	आपदोत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया	86
अध्याय–12	**समन्वयन और क्रियान्वयन**	**87**
	विभिन्न विभागों और ऐजेन्सियों के साथ समन्वय	87
	अनुलम्ब एवं क्षैतीज संबंध स्थापित करना	87
	आपदा प्रबंधन योजना का संस्थापन	88
	सरकारी विभागों और अन्य सहभागियों की क्रॉसकटिंग क्रिया कलाप	89
अध्याय–13	**उपसंहार**	**90**

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट नं. 1	दूरभाष नम्बरों की सूची	91
परिशिष्ट नं. 2.	जिले में उपलब्ध वायरलेस संचार व्यवस्था	100
परिशिष्ट नं. 3.	चिकित्सालयों की सूची	102
परिशिष्ट नं. 4	चिकित्सकों की सूची	104
परिशिष्ट नं. 5	नर्स/पेरामेडिकल कर्मचारियों की सूची	104
परिशिष्ट नं. 6.	मेडिकल स्टोर्स की सूची	105
परिशिष्ट नं. 7.	आयुर्वेद चिकित्सा स्टोर्स	107
परिशिष्ट नं. 8.	चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की सूची	108
परिशिष्ट नं. 9.	एंबुलेन्सो की सूची	108
परिशिष्ट नं. 10.	सामुदायिक भवनों की सूची	108
परिशिष्ट नं. 11.	निजी चिकित्सालयों की सूची	109
परिशिष्ट नं. 12.	आश्रय स्थलों की सूची	110
परिशिष्ट नं. 13.	विवाह स्थलों की सूची	112
परिशिष्ट नं. 14.	होटलों की सूची	114
परिशिष्ट नं. 15.	विश्राम स्थलों की सूची	116
परिशिष्ट नं. 16.	गौताखोर एवं तैराकों की सूची	117
परिशिष्ट नं. 17.	ड्रेन व बांधों की सूची	118
परिशिष्ट नं. 18.	मुख्य नहरे व उनके भराव क्षमता की सूची	119
परिशिष्ट नं. 19.	पेट्रोल पम्पों की सूची	120
परिशिष्ट नं. 20.	छविगृहों की सूची	124
परिशिष्ट नं. 21.	गैस एजेन्सियों तथा गोदामों की सूची	124
परिशिष्ट नं. 22.	क्रेन, जेसीबी, गैंस कटरस, इत्यादि उपकरणों की सूची	125
परिशिष्ट नं. 23.	जिले में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की सूची	125
परिशिष्ट नं. 24.	ठेकेदारों के पास उपलब्ध उपकरणों की सूची	126
परिशिष्ट नं. 25.	राजकीय एवं गैर सरकारी वाहनों की सूची	127

परिशिष्ट नं. 26.	पुलिस विभाग के पास उपलब्ध उपकरणों व वाहनों की सूची	128
परिशिष्ट नं. 27.	पावर स्टेशनों की सूची	129
परिशिष्ट नं. 28.	सहकारी भण्डारों की सूची	129
परिशिष्ट नं. 29.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भण्डारण	129
परिशिष्ट नं. 30.	स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची	129
परिशिष्ट नं. 31.	टेन्ट हाउसों की सूची	130
परिशिष्ट नं. 32.	भोजनशालााओं/हलवाईयों की सूची	131
परिशिष्ट नं 33	गैस ऐजेन्सियों तथा गोदामों की सूची	132
परिशिष्ट नं 34	राहत सामग्री की सूची	133

अध्याय–1

परिचय

इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएं उसके नियत्रण में नहीं हैं वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जेसी आपदाओं से फसल कोई वनस्पति में भारी नुकसान के अलावा पशुधन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियां भी नष्ट हो जाती है। 1999 में उड़ीसा मे आये तूफान, 2001 में गुजरात का भूकम्प एवं उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी विनाश के उदाहरण है।

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्यागिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटनाएं, रेल व वायुयान दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 50 वर्षों (1950–2000) में मात्र छः वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 44 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92 व 1999–2000 में रहा। पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले सूखा से प्रभावित हुए। तथा 2059 मे पूरा प्रदेश अकाल से प्रभावित रहा है। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन एव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य :–

(1) जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।

(2) जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।

(3) आपदा न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।

(4) जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।

(5) आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रकिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।

(6) राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

(क) प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।

(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standarisation) करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।

(ड़) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

(च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

प्रावधानः–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्यक जिला अपनी एक जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करे। इस अधिनियम में दिए गए जिला योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैंः–

- जिले के विभिन्न क्षैत्रों के विभिन्न आपदाओं के प्रति सुभेद्यता ।
- आपदाओं की रोकथाम एवं क्षमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय।
- विकास योजनाओं और परियोजनाओं के आपदा शमन उपायों के साथ समाकलन के तरीके।
- क्षमतावर्द्धन और तैयारीयों के लिए किए जाने वाले उपाय।
- उपरोक्त संदर्भ में जिले के विभिन्न विभागों की भूमिका एवं दायित्व।
- आपदा की स्थिति में उसे निपटने के लिए जिले के विभिन्न विभागों की भूमिका एवं दायित्व।

हितधारकों एवं उनकी जिम्मेदारीयां:—

क.सं.	नोडल विभाग	जोखिम / आपदा
1	आपदा प्रबंधन एवं सहायता अनुभाग	सूखा,ओलावृष्टि,गर्मी एवं शीतलहर, बिजली गिरना, चक्रवात, भू स्खलन, एवं कीचड़ बहाव
2	उर्जा विभाग(जेवीवीएनएल)	बिजली उत्पादन , वितरण एवं हस्तानांतरण से जुड़ी आपदाएं
3	गृह विभाग(पुलिस)	कानून एवं व्यवस्था का संकट, सड़क एवं रेल दुर्घटनाएं एवं त्योहार संबधि आपदाएं।
4	जल संसाधन विभाग	बाढ़, फ्लेश फ्ल्ड, बांध टूटना एवं बादल फटना
5	सार्वजनिक निर्माण	भूकम्प, ईमारत ढहना, रोड़ मरम्मत करवाना।
6	खान एवं भू विज्ञान विभाग	खदानों में आग एवं बाढ़
7	उद्योग विभाग	रासायनिक एवं औद्योगिक आपदाएं
8	राजस्व विभाग	ग्रामीण अग्नि दुर्घटनाएं एवं नाव उलटना
9	वन विभाग	दावानल
10	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	आपदा एवं महामारी, भोजन विषाक्तिकरण
11	कृषि विभाग	रोगजनक जीवों का आक्रमण
12	पशुपालन विभाग	पशुओं में महामारी

योजना का उपयोग :—

योजनाओ का समन्वित कियान्वयन :—

विभिन्न विभागो ओर संस्थाओ के बीच समन्वय, समाभिरूपता एवं सहक्रिया को बढावा देना जिससे संसाधनो ,संदर्शो , सूचना एवं विशेषज्ञताओ के प्रशिक्षण केन्द्रो, शिक्षण एवं प्रायोगिक शोध, शिक्षा एवं जानकारी देने वाले कार्यक्रमो के माध्यम से आदान प्रदान किया जा सके।

आपदा प्रबन्धन संबंधी विषयों मे समायोजित करना :—

इसका मुख्य उद्देश्य आपदा की रोकथाम और शमन संबंधी उपायो को विकास योजनाओ के साथ एकीकृत करना और आपदा प्रबंधन के लिये पर्याप्त फंड की व्यवस्था करना है। योजनाएं तीन श्रेणियो मे दर्शायी जा सकती है अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। तीनो श्रेणियो के लिये अलग अलग ढांचागत और गैर ढांचागत उपाय निर्धारित किये जाने चाहिए।

योजना का अनुमोदन तंत्र :–

अधिसूचना संख्या एफ 8(4) डीएम एण्ड आर / डीएम / 03 दिनांक 06.09.2007 के तहत सभी जिलो के लिए डिस्ट्रीक्ट डिजास्टर मनेजमेंट अथॉरिटी का गठन। डीडीएमए जिला स्तर पर सभी विभागों द्वारा रोकथाम, शमन एवं रेस्पॉस संबंधी एनडीएमए / एसडीएमए / एसईसी के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी इसका दायित्व होगा।

योजना की समीक्षा और अद्यतन :–

योजना की समीक्षा एवं अद्यतन वार्षिक रूप से पिछली आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा।

अध्याय – 2

झालावाड़ः–एक संक्षिप्त परिचय

भौगोलिक स्थिति

राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बसा झालावाड़ राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों में से एक है। झालावाड़ जिला, राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में $23^{0}45'$ एवं $24^{0}52'$ तक उत्तरी अक्षांश तथा $75^{0}27'$ एवं $76^{0}56'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले की सीमा उत्तर में कोटा, उत्तर पूर्व में बांरा दक्षिण में म.प्र. राज्य के शाजापुर व राजगढ़ तथा पश्चिम मे मंदसौर जिला स्थित है।

झालावाड़ जिले का भौगोलिक धरातल छोटी–छोटी पहाड़ियों मैंदानों एवं विस्तृत पठारों से बना है। मालवा का प्रसिद्ध पठार यही से ही प्रारंभ होता है। यह जिला समुद्र तल से 275 मीटर ऊंचा है। जिले की प्रमुख नदियां छोटी कालीसिंध बड़ी कालीसिंध, आहू, उजाड़, धारगंगा, नेवज व परवन जिले को आठ छोटे बड़े भागों में विभाजित करती है। जिले का सामान्य ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर हैं। विन्ध्याचल की मुकन्दरा श्रेणियां इधर उधर पाई फैली हुई है। जो इस जिले को पांच भागों में विभक्त करती है।

प्रशासनिक संरचना

झालावाड़ जिला निम्न लिखित 8 उपखण्डों एवं आठ तहसीलों में विभाजित है :–

क0 सं0	अति. कलेक्टर	उपखण्ड अधिकारी	तहसील	पंचायत समिति	पं0सं0 में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की कुल आबादी		
					आबाद	गैर आबाद	कुल
1	झालावाड़	झालावाड़	झालरापाटन	झालरापाटन	269	23	292
2		असनावर	असनावर	बकानी	85	14	99
3		पिड़ावा	पिड़ावा	पिड़ावा मु0 सुनेल	205	13	218
4		खानपुर	खानपुर	खानपुर	194	13	207
5		गंगधार	गंगधार	डग	185	7	192
6		भवानीमण्डी	पचपहाड़	भवानीमण्डी	133	8	141
7		अकलेरा	अकलेरा	अकलेरा	232	35	267
8		मनोहरथाना	मनोहरथाना	मनोहरथाना	189	5	194
योग					**1492**	**118**	**1610**

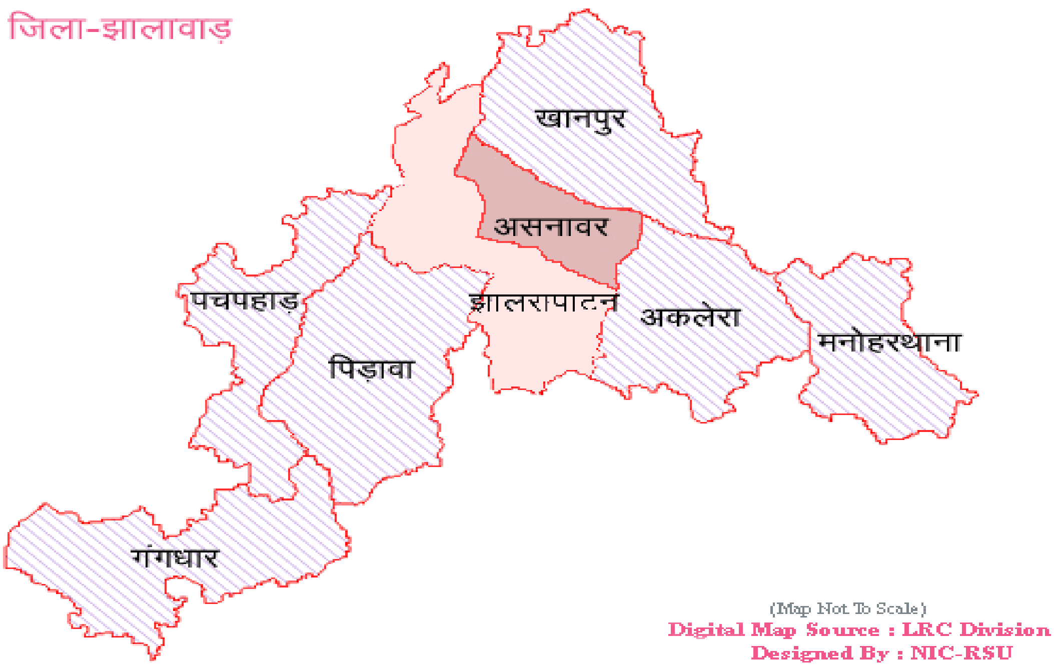

<u>पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का विवरणः–</u>

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	झालरापाटन	29
2.	बकानी	25
3.	पिड़ावा मु0 सुनेल	44
4.	खानपुर	38
5.	डग	32
6.	मनोहरथाना	26
7	भवानीमण्डी	27
8	अकलेरा	31
	योग	252

<u>शहरी स्थानीय निकायों का विवरण</u>

क्र.सं.	स्थानीय निकाय	शहर / कस्बा	वार्ड की संख्या
1.	नगर परिषद	झालावाड़	30
2.	नगर पालिका	झालरापाटन	25
3.	नगर पालिका	अकलेरा	20
4.	नगर पालिका	भवानीमंडी	25
5.	नगर पालिका	पिड़ावा	15

जिले में 4 विधान सभा क्षेत्र – खानपुर, झालरापाटन, मनोहरथाना एवं डग है। जिला झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (सामान्य) में आता है जिसमें इस जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के अतिरिक्त बांरा जिले के छबड़ा, अटरू, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

भौतिक स्वरूप

क्षेत्रफल

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 6219 वर्ग कि.मी. है। इसकी जनसख्या 1411129 है तथा घनत्व 227 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी)

जिले की मिट्टी सामान्यतः काली है परन्तु डग पिड़ावा में काली बरड़ा व लाल मिट्टी भी पाई जाती है।

भूमि उपयोग

जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 632235 हेक्टेयर है। परन्तु कृषि उपयोग में आने वाली जमीन का 2015–2016 में प्रतिवेदित क्षेत्रफल 602717 हेक्टेयर था। जिले में भूमि का वर्गीकरण इस संदर्भ अवधि में निम्न प्रकार था

क्र.सं.	भूमि का उपयोग	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**प्रतिशत**
1	जंगलात	127383	**20.14**
2	अकृषि योग्य भूमि	29438	**4.65**
3	कृषि योग्य बंजर भूमि	31905	**5.05**
4	स्थायी चरागाह	47355	**7.49**
5	बाग एवं वृक्ष समूह	7329	1.16
6	कृषि अयोग्य बंजर भूमि	33600	5.31
7	अन्य पड़त भूमि	12372	1.96
8	चालू पड़त	4397	**0.70**
9	बोया गया निवल क्षेत्रफल	338456	**53.53**
	योग	632235	**100.00**

जलवायु

जिले की जलवायु सामान्य रूप से शुष्क एवं स्वास्थ्यवर्धक है। जनवरी महीने के मध्य अधिकतम तापमान का क्रम 22^0 सै. रहता है जबकि मध्य दैनिक न्यूनतम तापमान का क्रम 1 से 3^0 सै. रहता है। मार्च के महीने से तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है सामान्यतः मई उष्णतम महीना होता है जबकि मध्य दैनिक अधिकतम तापमान का क्रम 43^0 से 47 सै. रहता है। नवम्बर मध्य से जनवरी तक मौसम ठंडा रहता है। मानसून में, जो कि जून के मध्य से प्रारम्भ होकर सितम्बर माह तक चलता है, वातावरण आर्द्र रहता है।

वर्षा

जिले में औसत वर्षा 89.8 सेन्टीमीटर होती है किन्तु यह सामान्यतः उत्तर–पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कम होती जाती है। कुल वार्षिक वर्षा की लगभग 93 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के महीने में होती है इनमें से जुलाई व अगस्त भारी वर्षा के होते है। जनवरी एवं फरवरी माह में भी यदा–कदा वर्षा होती है।

नदियां, बाँध, तालाब

नदियाँ छोटी काली सिंध, बड़ी काली सिंध, आहू, उजाड़, परवन, नेवज जिले की प्रमुख नदियाँ हैं।

बांध भीमसागर, छापी, चंवली एवं कालीसिंध थर्मल बांध आदि

झीले व तालाब जिले में कोई प्राकृतिक झील नहीं है। परन्तु छोटे–छोटे निर्मित तालाब है। इन तालाबों में मुख्य मूण्डलिया खेड़ी, मदनसागर, चन्द्र सरोवर, दुर्गपुरा, किशन सागर, गोरधनपुरा, मंडावर, खण्डिया, बिलासरा, मोलकिया, जोलपा, राम निवास घटोद, नाका सरना क्यासरा सारनखेड़ी, सारोला, कदीला, गणेशपुरा, मोगरा, बिन्नायगा, बोरदा, सामन्तखेड़ा, राजपुरा, माथनियां, बिस्तुनियां, निमोदा, अमीनखेड़ी, जसवन्तपुरा, पाडलिया, रिजोदा, पोंडला, कंवरपुरा, सालरिया, सिंहपुर, सरखेड़ी इत्यादि है।

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

प्रमुख फसलें

जिले में रबी की फसलें प्रमुख हैं तथा साथ में खरीफ एवं जायद की फसलें भी बोयी जाती है।

रबी :–गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, जीरा, धनिया, मैथी आदि

खरीफ :–कपास, मक्का, सोयाबीन ज्वार, मूंगफली, तिल, गन्ना, उड़द, मूंग, मोठ आदि।

इसके अतिरिक्त जिले में व्यावसायिक दृष्टि से फल और सब्जियां भी बोई जाती है। संतरा अमरूद, पपीता, पान, नीबू और आम के पेड़ अमतौर पर पाये जाते । फल और सब्जियाँ जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी बैंगन, प्याज, आलू, आदि की पैदावार की जाती हैं। फल में संतरां प्रचुर मात्रा में अन्य जिलों को निर्यात किये जाते हैं।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

क्रस.	फसलों का नाम	वर्ष 2015–2016 (मेट्रिक टन)
1	सोयाबीन	133193
2.	ज्वार	753
3.	गेहूँ	408432
4.	मक्का	50495
5.	उड़द	8562
6.	चावल	6515
7.	चना	10286
8.	तिल	393
9.	मूंगफली	771
10	कपास	0
11.	गन्ना	280

संचार एवं यातायात

वर्तमान में झालावाड़ जिला मुख्यालय सीधे ही रेल सेवा से जुड़ा हुआ है व मुख्यालय का निकटतम रेलवे स्टेशन झालावाड़ सिटी है। पश्चिमी रेल्वे की दिल्ली मुम्बई लाईन पर झालावाड़ जिले के अन्य रेलवे स्टेशन निम्नलिखत हैः– झालावाड़ रोड़, भवानीमंडी, चोमहला। जिले में वर्तमान में वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं है, परन्तु जिले में कोलाना हवाई पट्टी उपलब्ध है।

जिले में से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 52 जयपुर जबलपुर मुख्यालय झालावाड़ होकर गुजरता है। जिसके माध्यम से जिला मुख्यालय सभी प्रमुख नगरों/ महा नगरों दिल्ली, जयपुर, कोटा, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर आदि से जुड़ा है। जयपुर, इन्दोर राज मार्ग 19ए भी इस जिले में होकर गुजरता है। जो उज्जेन, इन्दोर, अहमदाबाद, मुम्बई एवं दक्षिण मध्य प्रदेश को जोड़ता है।

जनसंख्या :– 2011 की जनगणना के अनुसार झालावाड़ जिले की जनसंख्या के आंकड़े निम्न्ाुसार है।

क्र. सं.	तहसील	नगरीय		ग्रामीण		अनु. जाति	अनु. जनजाति	स्त्री / पु अनुपात
		पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री			
1.	झालरापाटन	54168	50257	98003	93325	45199	30925	944
2.	पिड़ावा	6471	6336	102444	97428	39370	13804	953
3.	पचपहाड़	2179	20485	70046	67089	39026	5558	954
4.	गंगधार			85544	81942	41173	758	958
5.	अकलेरा	13715	12525	78355	73976	17795	49024	940
6.	मनोहरथाना			73213	69862	13256	29442	954
7.	खानपुर			89958	83235	32211	28261	925
8	असनावर			31428	29526	9596	21952	939
8	योग झालावाड़	96152	89693	628991	596383	237626	179724	946

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

यहां वर्षों से कई स्थानीय मेले लगते रहते है इनमें सर्वाधिक महत्व पूर्ण झालरापाटन का चन्द्रभागा पशु मेला है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणी माता मेला खानपुर, बंसत पंचमी का पशु मेला भवानीमंडी मुख्य है।

ऐतिहासिक एवं धामिक केन्द्र

झालावाड़ जिले में झालावाड़ से 8 किलो मीटर दूर झालरापाटन में चन्द्रभागा नदी के तट पर चन्द्रावती मंदिर समूह, सूर्य मंदिर, शान्ति नाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, 14 कि0मी0 दूर प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला गागरोन गढ़ व सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती (मिट्ठे शाह बाबा) की दरगाह, 34 कि0मी0 दूर खानपुर में चांद खेड़ी जैन मंदिर 69 कि0मी0 दूर कोलवी की गुफाएं, 100 कि0मी0 की दूरी पर क्यासरा में प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर एवं 130 कि0मी0 की दूरी पर उन्हेल नागेश्वर में भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर मुख्य पर्यटन के आर्कषण केन्द्र है।

इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय पर गढ़ पेलेस, जिला संग्राहलय, हर्बल गार्डन, विज्ञान पार्क एवं भवानी नाट्य शाला भी दर्शनीय स्थल है।

अध्याय–3

जिले में आपदा की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने मे कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते है। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक सवेंदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

संभावित आपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च्य स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

- **जलवायु सम्बन्धित** – बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धित** – भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- **रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित** – रासायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाएँ** – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

झालावाड़ जिले की आपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना पर बैठक में जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

कार्यशाला में जिले में संभावित 10 आपदाएं चिन्हित की गयी। इनमें से मुख्य पाँच आपदाओं के लिए विस्तृत व विशिष्ट कार्य योजना एवं अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्य योजना बनाने की अनुशंसा की गयी।

पाँच मुख्य आपदाऐं निम्न हैं:–

1. सूखा
2. बाढ़
3. दुर्घटनाएं
4. आग
5. मौसमी बीमारियां

अन्य 5 आपदाऐ साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, रसायनिक एवं औद्योगिक आपदाऐं तथा ताप (लू) व शीतघात हैं।

झालावाड़ जिले में घटित आपदाऐं एवं उनकी संवेदनशीलता:– झालावाड़ जिला यद्यपि राज्य के सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों में से है, परन्तु विगत कुछ वर्षो में यहां विभिन्न प्रकार की आपदाऐं घटित हुई है। जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है:–

सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है–प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

- **मौसम विज्ञान संबंधी सूखा** :– अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
- **जल विज्ञान संबंधी सूखा** :– पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्त्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
- **कृषि संबंधी सूखा** :– फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

राजस्थान एवं सूखा एक दूसरे के समानार्थक है। पिछले 50 वर्षो में औसतन हर दूसरा वर्ष सूखे की समस्या से प्रभावित वर्ष रहा है। झालावाड़ ज़िला सूखे की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र है। अगर जिले के अकाल ग्रस्त वर्षों का आंकलन करें तो वर्ष 1985 भीषणतम रहा हैं। यद्यपि सन् 1965, 1968, 1972, 1980, 1984 भी अकाल से प्रभावित रहें है।

झालावाड़ जिले में पीने के पानी की अनुपलब्धता वाले गांवा`की सूची निम्न प्रकार हैः–

तहसील	समस्या ग्रस्त गांव का नाम
पिड़ावा	सरोनियां, रोझाना – गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा
गंगधार	उन्हेल नागेश्वर – गैर सरकारी संस्थओं द्वारा कोलवी – पी0एच0ई0डी0 द्वारा
पचपहाड़	मिश्रोली, खोती – पी0एच0ई0डी0 द्वारा

चारा

झालावाड़ जिले में अधिकतर गांव, मवेशियों के लिए चारे का उत्पादन स्वंय करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से सूखे के कारण चारे की पूर्ति जिला स्तर पर ही हो जाने के कारण चारा डिपो खोलने की आवश्यकता नहीं हुई।

बाढ़

पानी के अन्य स्त्रोत

झालावाड़ जिले में कालीसिंध, आहू, छोटी कालीसिंध, गगरिन, परवन व उजाड़ नदी पर भीमसागर डेम तथा मोगरा व मूण्डलिया खेड़ी, छापी, चंवली बांध पानी के अन्य स्त्रोत है।

झालावाड़ जिले में वर्षा सामान्यतः जून से सितम्बर माह तक ही होती है जिसका औसत 89.8 से0मी0 है। झालावाड़ जिले के अन्तर्गत लगभग 507 छोटे व बढ़े तालाब है। उनमें से सिंचाई खण्ड झालावाड़ के अधीन 39 बांध तालाब है। जिनकी पूर्ण भराव क्षमता 11572 घ0फि0 है तथा इनके द्वारा 106350 एकड़ भूमी में सिचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

निचले क्षेत्र में बसे हुए गांव/अधिवास जो कि बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होते हे उनकी सूची निम्न प्रकार हैः–

तहसील	प्रभावित बस्तियां गांवों/अधिवासों की सूची	प्रभावित होने वाली जन संख्या
झालरापाटन	खण्डिया की निचली बस्ती, चन्द्रभागा नदी के किनारे कच्ची बस्ती, तालाब के किनारे कच्ची बस्ती, पचकुईया, हरिजन बस्ति	1000

खानपुर	खानपुर, बांरा रोड़ पुलिया दोनो ओर बसे मकान बिलासरा, जोलपा भूमरी	1000
मनोहरथाना	मनोहरथाना निचला बाजार,	300
अकलेरा	अकलेरा बस स्टेण्ड क्षेत्र में बसी हुई बस्ती, खेड़ला जागीर,	200
असनावर	उजाड़ नदी के किनारें बसी हुई निचली बस्ती	200

जिले में नदी में बाढ़ आने पर प्रभावित होने वाले गांवों की सूची

तहसील	नदी	प्रभावित गांव
झालरापाटन	कालीसिंध	सिंघानियां, सिलेगढ़, देवरीघटा, भंवरासा, मुण्डेरी, गागरोन, खण्डिया क्षेत्र
मनोहरथाना	नेवज (ल्हास)	हनोतिया लोढान, कोलूखेड़ी कलां, खेड़ीमेवातियान, कूंजरी, कूजरा, धामाहेड़ा, सरेड़ी, पीपल्दा,
गंगधार	छोटी कालीसिध, (चाचोर्नी) शिप्रा	गंगधार, रावतपुरा, घाटाखेड़ी, निसलखेड़ी
खानपुर	उजाड़	मोड़ी रतनपुरा, अनघोरा, छत्रपुरा, जावरा, चांदपुरा चपलाड़ा, नागोनियां, गूगलहेड़ी, मरायता, कून्जेड़, दहीखेड़ा, भीमखेड़ा, मालाखेड़ा, कुन्ताड़ा, भदकड़ी, ककवासा, फूंगाहेड़ी, पखराना, लुकट, बनी, जठेनी, मोहनपुरा, खाताखेडी, कालूखेड़ा,
	खरंड	गोलाना, डूंडा, हालीहेड़ा, मालोनी, डगारिया, बरेड़ी, पिपलदा, धानोदाकलां,
	रूपली	खानुपर, चांदखेड़ी, भगवानपुरा, रामपुरा
	नागली	सरखंडिया, ओधपुर
	खारखण्ड	बड़बेली

खरीफ फसल 2013 के अतिवृष्टि से फसलों में नुकसान की स्थिति

खरीफ 2070 में कुल 228045 कृषको को 6206.05 लाख रू उनके खातो में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्राप्त हुए है। झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक की सूचना के अनुसार कुल भूमि 155882.10 हेक्टेयर भूमि पर काश्त कर रहे कुल 225671 कृषको के खाते में राशि 6197.98 लाख रू. हस्तान्तरित कर दी गई है।

खरीफ फसल 2016 के अतिवृष्टि से फसलों में नुकसान की स्थिति

खरीफ फसल 2016 में कुल 459045 कृषको को 22416.80 लाख रू का खराबा तैयार किया जाकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया गया है। **जिसमें 687 ग्राम 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होने कारण राज्य सरकार ने अभावग्रस्त घोषित किये गये है।**

अतिवृष्टि 2015 से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता वितरण

अतिवृष्टि एवं आकाशीय बिजली गिरने से 12 व्यक्यिों की मृत्यु हुई है। मृतक के परिजनों को एस. डी.आर.एफ. / एन.डी.आर.एफ. नवीन नोर्म्स के तहत प्रत्येक मृतक के 48.00 लाख रू. का भुगतान

कर दिया गया है। एवं इससे 9 व्यक्ति धायल होने पर कुल राशि 0.471 लाख रू. का भुगतान किया गया है।
अतिवृष्टि एवं आकाशीय बिजली गिरने से 16 पशुओ की मृत्यु हुई है। जिसमें कुल राशि 3.15 लाख रू. एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. नवीन नोर्म्स के अनुसार भुगतान किया गया है।
अतिवृष्टि एवं आकाशीय बिजली गिरने से 50 मकान क्षतिग्रस्त हुए है। जिसमें कुल राशि 1.70 लाख रू. एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. नवीन नोर्म्स के अनुसार भुगतान किया गया है।

अतिवृष्टि 2016 से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता वितरण

अतिवृष्टि एवं आकाशीय बिजली गिरने से 24 व्यक्यिों की मृत्यु हुई है। मृतक के परिजनों को एस. डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. नवीन नोर्म्स के तहत प्रत्येक मृतक के 96.00 लाख रू. का भुगतान कर दिया गया है।
अतिवृष्टि एवं आकाशीय बिजली गिरने से 9 पशुओ की मृत्यु हुई है। जिसमें कुल राशि 2.43 लाख रू. एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. नवीन नोर्म्स के अनुसार भुगतान किया गया है।
जिले में नुकसान से क्षतिग्रस्त कच्चे एवं पक्के मकानो का उपखण्ड अधिकारियों/ तहसीलदार के माध्यम से सर्वे करवाया गया जिनसें प्राप्त कुल 90 मकान क्षतिग्रस्त होने के प्रकरण प्राप्त हुए हे जिनकी राशि 2.90 लाख रू. का भुगतान किया गया है।

दुर्घटना

रेल दुर्घटनाएँ

झालावाड़ जिले के पचपहाड़ व गंगधार तहसील से रेल्वे लाईन गुजरती है तथा गत 5 वर्षो में यहां कोई रेल दुर्घटना नही हुई है।

सड़क दुर्घटनाएँ

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़

- गाडियों का अनुचित रखरखाव

सड़क दुर्घटनाएँ

झालावाड़ जिले में सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमों की जानकारी नही होना, सड़क के दोनो ओर भारी मात्रा में बिलायती बबूलों का होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनों को समय पर नजर नही आता, तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना है।

जिला झालावाड़ से नेशनल हाईवे गुजरता है जो कि झालरापाटन, अकलेरा आदि स्थानों से गुजरता हुआ भोपाल को जाता है। जिस पर से प्रतिदिन लगभग 10 हजार वाहन गुजरते है। तथा हाईवे पर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। यहां पर अधिकतर दुर्घटनाएं ओवर टेकिंग के कारण होती है।

झालावाड़ जिले के मुख्य दुर्घटना सम्भावित मार्ग व क्षेत्रों का विवरण

सड़क मार्ग	**दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र**
1 जयपुर जबलपुर मार्ग राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 52	ग्राम देवरी घटा
	झिरनियां मोड़
	ग्राम वृन्दावन
	खण्डिया नाका
	वेयर हाउस के पास करामत अली की मेड़ी
	ग्राम बगदर
	ग्राम अकतासा
	कस्बा असनावर
	घाटी डूंगर गांव व मदनपुरिया
	अरनियां तिराहा
	घाटी ग्राम बरेड़ी
	मोड़ ग्राम गुलखेड़ी
	सरेड़ी तिराहा
2 राजमार्ग नम्बर 19	मोड़ ग्राम चीकली
	ग्राम सूमर
	हा0 से0 स्कूल खानपुर
	पेट्रोल पम्प खानपुर
	दण्ड का तालाब
	ग्राम नागोनियां
	बाघेर घाटी
	घाटी आमझर
	कपासिया कुआ
	ग्राम भिलवाड़ी
	ग्राम गोपालपुरा
	मोड. गरनावद
	पचपहाड तिराहा
	घाटी ग्राम गुराड़िया कलां
	क्यासरा तिराहा
	ग्राम दुधालिया
राज मार्ग नम्बर 1	ग्राम गिन्दोर ठाकुर सा0 की बावड़ी
	खोखन्दा चोकी

	ग्राम ढावल सालरी तिराहा
	ग्राम सुवांस
	चंवली पुलिया

आग :– जलते हुए व्यक्ति का बचाव

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्त्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल–मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास–पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली शॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

झालावाड़ जिले में अधिकतर आग काश्तकारो के द्वारा कडवी (चारा) इकटठे करने वाले स्थानों पर बीडी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है। आग की घटना होने पर नगरपालिका से अग्निशमन द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामवासियों के सहयोग से आग पर नियंत्रण किया जाता है।

झालावाड़ जिले में आग से प्रभावित हाने वाला संभाव्य क्षेत्र – झालावाड़ शहर में पेट्रोल पम्प, छविग्रह, निजी इमारतें, कटला आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भंयकर रूप ले सकती है–यथा– वे औद्योगिक इकाईयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से से चारों ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती हैं।

अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हें, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोशन काऊंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्शे तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) **क्षेत्र V** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

2) **क्षेत्र IV** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर MM VII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।

3) **क्षेत्र III** :– इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

4) **क्षेत्र II** :– क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते है।

5) **क्षेत्र I** :– इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	**तीव्रता के लक्षण** भूकम्पों का प्रभाव)	**रियक्टर मापक परिमाप**
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं क कम्पन	4.3
टाद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है।	4.9–5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5–6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2–6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0–7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू–स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

झालावाड़ जिले को भूकम्पीय खण्डों की भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अन्तर्गत खण्ड 4 में रखा गया है एवं भूकम्प के विगत वर्षो के आंकड़ें यह प्रदर्शित करते है। कि हाल के कई वर्षो में यहां कोई विनाशकारी भूकम्प नही आया है। किन्तु बढ़ते शहरीकरण जो ऊंची इमारतों एवं खरीददारी के परिसरों के रूप में बढ़ रहा है चिंता का मुख्य विषय है। परिसरों हेतु आवश्यक मानकों का पालन यहां नही किया जाता है।

झालावाड़ जिले में भूकम्प आने पर जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। एजेन्सी द्वारा भूकम्प से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण इमारतें ऐतिहासिक स्थल, बांध इत्यादि तथा जोखिम सम्भावित एवं उनकी संरचना को प्रारम्भिक रूप से चिन्हित कर लिया गया है।

साम्प्रदायिक तनाव

भारत देश में अनेक धर्मो के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता एवं सामाजिक विद्वेषो के कारण छोटे–छोटे झगड़े कई बार साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते है। जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में तनाव होने तथा प्रतिकूल प्रक्रिया होने की संभावना बनी रहती है । उपद्रव होने पर जन–धन राष्ट्रीय सम्पत्ति का काफी नुकसान होता है ।

1.झालावाड़ जिले में दिनांक 7.7.2000 को कस्बा सुनेल कचहरी स्कूल बाउन्ड्री में स्थित मजार की मरम्मत की बात को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करने पर तनाव उत्पन्न हुआ। जिसे पुलिस द्वारा तुरन्त नियंत्रण में लिया गया, कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ।

2.दिनांक 9.12.2000 को श्री मति फातमा पत्नि हसन खां निवासी राजपुरा थाना सारोला ने रिपोर्ट की कि मुल्जिम नन्दलाल पुत्र लेखराज लुहार निवासी राजपुरा प्रार्थिया की पोती शमशादी को बहला फुसला कर भगा कर ले गया, तथा मुल्जिम बाबू, लेखराज, पप्पू, सत्तू पिसरान हीरालाल लुहार ने प्रार्थिया के मारपीट

की, रिपोर्ट पर थाना सारोला में अभियोग संख्या 271/2000 धारा 363,366,341,323 व 34 आई.पी.सी. में पंजीबद किया गया। उक्त घटना को लेकर तनाव हुआ, आवश्यक समझाईश व कार्यवाही बाद शान्ति कायम हुई।

3.दिनांक 9.12.2000 को लेखराज पुत्र हीरालाल लुहार निवासी राजपुरा थाना सारोला ने रिपोर्ट की कि मुल्जिम हसन खां पुत्र चांद खां मुसलमान निवासी राजपुरा ने प्रार्थी को जान से मारने की नियत से बन्दूक का फायर किया एवं मुल्जिम इदरीश, रईस शोकत पिसरान हसन खां ने प्रार्थी की दुकान तोड़ कर नुकसान किया। रिपोर्ट पर थाना सारोला में मु0 नं0 272/2000 धारा 307,452,427 व 34 आई.पी.सी. में दजै किया गया। घटना को लेकर तनाव हुआ, आवश्यक समझााईश व कार्यवाही बाद शान्ति कायम हुई।

4.दिनांक 21.1.2001 को बंगाली बाबा मेला खानपुर में रात्रि के समय गोरखा मुसलमान निवासी केथून ने मंदिर में रखी बढ़ी–बढ़ी मूर्तियों में से शिव मोहिनी की मूर्तियां तोड़ दी, जिससे कस्बे में तनाव उत्पन्न हुआ इस घटना पर मु0नं0 43/2001 धारास 295,295 ए आई.पी.सी. में दर्ज कर बाद अनुसंधान चार्जशीट नं0 25/24/1/01 कता कर चालान दिनांक 5.2.2001 को पेश न्यायालय किया गया।

5.दिनांक 22.1.2001 को दीपचन्द पुत्र गिरीराज सोनी निवासी खानपुर ने रिपोर्ट की कि मुल्जिम शफी फारूक, अकील, सलाम व कालू मुसलमान निवासी मूर्ती चौराहा झालावाड़ ने प्रार्थी एवं उसके साथियों को जान से मारने की नियम से मारपीट कर चोटे पंहुचाई जिस पर मु0नं. 36/01 धारा 147, 148,149 व 307 आई.पी.सी. में दर्ज कर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चालान दिनांक 7.4.2001 कोि पेश न्यायालय किया गया।

6.दिनांक 25.2.2001`को अमीन खां पुत्र मतीन खां मुसलमान निवासी झालावाड़ ने रिपोर्ट की कि मुल्जिम नितीन उर्फ बन्टू पुत्र कमल टेलर बन्टी उर्फ सचिन पुत्र ओम प्रकाश अग्रवाल शेरू उर्फ नितीन पुत्र ओम प्रकाश महाजन निवासी झालावाड़ व तीन अन्य ने अहमद के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट पर मु0नं0 103/01 धारा 147,148,149 व 302 आई.पी.सी. में दर्ज किया घटना को लेकर तनाव हुआ, मुल्जिम गिरफ्तारी पर तनाव शान्त हुआ। प्रकरण में खिलाफ मुल्जिमान चार्जशीट नं0 72/28/3/01 कता कर चालान दिनांक 30.3.2001 को पेश न्यायालय किया गया।

7.दिनांक 10.3.2001 को मुल्जिम जीतू पुत्र शिव गुप्ता ने बोहरा समाज की मस्जिद पर अश्लील शब्द लिख कर धार्मिक भावना को ठेस पंहुचाई, रिपौर्ट पर थाना सुनेल में अभियोग संख्या 66/01 धारा 295 ए आई.पी.सी. में दर्ज कर बाद अनुसंधान एफ. नं0 43/29/12/01 अदम सबूत में कता की गई।

8.दिनांक 26.6.2001 को अज्ञात बदमाशान द्वारा कस्बा सुनेल में बोहरा समाज के मकानों की दीवार पर अश्लील शब्द लिखे गये जिससे तनाव उत्पन्न हुआ घटना की रिपौर्ट पर थाना सुनेल में मु0 नं0 140/01 धार 295 ए 153 ए आई.पी.सी. में दर्ज कर बाद अनुसंधान एफ.आर. नं0 44/29/12/01 अदम सबूत में कता की गई।

9. दिनांक 4.7.2001 को कस्बा डग में अग्रवाल लघु आरा मशीन के सामने बाउन्ड्री के अन्दर छर्ती में स्थापित गणेश व शिव नांदिया की मूर्ती को अज्ञात बदमाशियान ने खंडित कर धार्मिक भावना को ठेस पंहुचाई इस पर थाना डग में 53/01 धारा 295 आई.पी.सी. में दर्ज कर अनुसंधान एफ.आर. नं0 93 दिनांक 29.9.2001 अदम पता मुल्जिम में कता की गई।

10. दिनांक 5.7.2001 को मुल्जिम राजेन्द्र, महेन्द्र, कालूलाल , जगदीश, केसरीलाल, किशन गोपाल, धन्नालाल , रामचन्द्र मीणा निवासी लडानियां ने एक राय होकर ग्राम गाडरवाड़ा नूरजी में इशाक के घर में घुस कर इशाक व उसके साथी के साथ मारपीट की, जिस पर थाना सारोला में मु0 नं0 151/01 धारा 147 148/149/307/336/452 आई.पी.सी. में दर्ज कर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चार्जशीट नं0 117/26.5.2001 कता की जाकर चालान दिनांक 21.8.2001 को पेंश न्यायालय किया गया।

11. दिनांक 27.4.2001 को श्री जगदीश पुत्र मूलचन्द साहू निवासी बांस,खेडी ने रिपौर्ट की कि मुल्जिम भूरा फकीर निवासी बांसखेड़ा ने जानबूज कर ट्रेक्टर के टायर से प्रार्थी के बच्चे ललित को कुचल कर मार दिया। रिपोट्र पर थाना जावर में मु0 नं0 78/01 धारा 304 आई.पी.सी. में दर्ज कर मुल्जिम को गिरफ्तार कर चार्जशीट नं0 70/19.6.2001 कता कर चालान दिनांक 21.8.2001 को पेश न्यायालय किया। घटना से तनाव हुआ, आवष्यक समझाईश व कार्यवाही के बाद शान्ति हुई।

12. झालावाड़ में मदारी खां तालाब में खसरा नं0 2009,2019,2018, विवादित भूमि कब्रस्तान की है। जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली झालावाड़ रिसीवर नियुक्त थे, दिनांक 6.2.2001 को उपखण्ड मजि0 झालावाड़ ने आदेश जारी कर खसरा नं0 2009 व 2019 की भूमि रिसीवरी से मुक्त कर दी, इस पर दिनांक 24.4.2001 को 12.30 पी.एम. पर संजय अग्रवाल द्वारा खसरा नं0 2019 पर नीमे खुदवाने पर मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध प्रकट किया गया। इसी क्रम में पुनः रिसीवरी हेतु उपखण्ड मजि0 को पत्र लिखा गया। उपखण्ड मजि0 ने दिनांक 7.5.2001 को पुनः खसरा नं0 2009 व 2019 की भूमि पर थानाधिकारी कोतवाली झालावाड़ को रिसीवर नियुक्त किया।

ओला वृष्टि

ओला वृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नही किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नही होता तथा यह हवा के रूख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता हैं।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है ।

रबी फसल 2014 के वितरण की स्थिति

रबी 2070 में कुल 220915 कृषको को 11348.17 लाख रू उनके खातो में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्राप्त हुए है। झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक की सूचना के अनुसार कुल भूमि 195893.87 हेक्टेयर पर काष्त कर रहे कुल 219383 कृषको के खाते में राषि 11494.59 लाख रू. हस्तान्तरित कर दी गई है।

रबी फसल 2015 के वितरण की स्थिति

झालावाड़ जिले में रबी 2071 में कुल 63785 कृषको को 5786.21 लाख रू उनके खातो में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्राप्त हुए है। झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक की सूचना के अनुसार कुल भूमि 46692.54 हेक्टेयर पर काश्त कर रहे कुल 63685 कृषको के खाते में राशि 5786.21 लाख रू. हस्तान्तरित कर दी गई है।

ओलावृष्टि 2015 से क्षतिग्रस्त मकानो का विवरण

जिले में नुकसान से क्षतिग्रस्त कच्चे एवं पक्के मकानो का उपखण्ड अधिकारियों/ तहसीलदार के माध्यम से सर्वे करवाया गया जिनमें कुल 2846 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे जिनकी राशि 73.37 लाख रू. का भुगतान किया गया है।

बांध टूटना

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद–बूंद जल संग्रहीत करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी–कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ–साथ जान पर भी उतारू हो जाते हैं। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

तहसील	बॉध	बॉध टूटने से प्रभावित गॉवों / अधिवासों की सूची	प्रभावित होने वाली जन संख्या (लगभग)
झालरापाटन	कालीसिंध	भंवरासा, मुण्डेरी, खण्डिया, गागरोन, राजपुरा, हीचर, गोविन्दपुरा, गिरधरपुरा, दुर्गपुरा, झालावाड़ की निचली बस्ती	7500
अकलेरा	छापी	पाटन, आरडी, खेडा, सेमली, देलनपुरी, भंडेरी, मदनपुरा, कालियाखेडी, मान्याखेडी, दुर्जनपुराखुर्द, बिनायगा, देवली, मैठून, गुजरखेडी, कुकलवाडा, पोली, पाटन उदा, जामुन्याकलां, बेलवा, खोखेउालाल, हनोती, पर्वती	5000
खानपुर	छापी	भीलखेडा, दौलतपुरा	500
खानपुर	भीमसागर	मोडी, बोरदामऊ, अनघोरा, जावरा, रतनपुरा, बराना, भतवासी, गाडरवाडानूरजी, अलोदा, अलोदी, जालखेडी, चांदनियाखेडी, गुवाडी, मतवासा, माल्याखेडा, भीमखेडा, लुकट, नागोनिया, कंवरपुरा, अचरावा, गुन्जारी, मरायता, गोलाना,कुन्ताडा, भदखडी, खेडा, उम्मेदपुरा, कुन्जेड, जरगा, जिठाना, ,खटावदा, केथूनी, ललावता, जठेनी, कालूखेडी, ओदपुर, गुलखेडी, बांगडसी, खाताखेडी, सांगाहेडा.	7000
पिडावा	चंवली	हिम्मतगढ, फतेहगढ, बानोर, आसोदिया, तेलियाखेडी, खेजरपुर, चंवली	7200

रसायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे : भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम है। सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाहय दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव :—

औद्योगिक दुर्घनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

केन्द्र सरकार द्वारा **झालावाड़ जिले** को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है। परन्तु फिर भी झालावाड़ जिले में मुख्यतः कृषि आधारित एवं खनिज आधारित उद्योग स्थापित है। यह इकाईयां मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है। औद्योगिक क्षेत्र आवासीय क्षेत्र के पास तथा शेष औद्योगिक क्षेत्र आवासीय क्षेत्र से दूर हैं। इन उद्योगों का सीधा असर आवासीय क्षेत्रों पर नही है। सामान्यतः इन उद्योगों मे किसी आपदा की विषेष संभावना रहती है। दुर्घटना होने पर कर्मचारी का इलाज तुरन्त इकाई द्वारा किया जाता है एवं अन्य प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर जिला प्रशासन से सहायता ली जाती है।

दुर्घटना सम्भावित मुख्य उद्योग निम्न है —

तहसील	उद्योग का नाम व पता	मालिक का नाम व पता	उद्योग का प्रकार (कपड़ा, चमड़ा, रासायनिक व अन्य)	कर्मचारियो की संख्या
झालरापाटन	रामा पालीशर्स ग्रोथ सेन्टर झालरापाटन	**श्री परिताष आचार्य**	प्लास्टिक शूज	5
	पित्ती ग्रुप धानोदी	**पित्ती ग्रुप**	धागा फेक्ट्रि धानोदी	1500
पचपहाड़	राजस्थान टेक्स्टाईल्स मिल्स भवानीमंडी	**श्री नवरतन मल गुप्ता व्यवस्थापक/22052**	कॅाटन एवं सिन्थेटिक्स यार्न	3418
	पदमा पाईप भवानीमंडी	**श्री प्रमोद शर्मा**	पी.वी.'सी. पाईप	6
	राठी सिन्टेटिक्स प्राई0 लिमी0 भवानीमंडी	**श्री के0के0 राठी**	थ्रीपिंग एवं क्लोथ क्लोसेसिंग	5
	तिरूपति पेकेजिंग इन्डी0 भवानीमंडी	**श्री राम बराड़िया/22477**	केसमेटेड बक्से	13
	व्केकटेश इन्डी0 प्रा0 लि0मी0	**श्री राम बराड़िया**	पेपर कोन्स	14
	आनन्द इन्टर प्राईजेज भवानीमंडी	**श्री गोविन्द बराड़िया/23178**	वेस्ट कोटन फिल्टर	4

ताप (लू) एवं शीतघात

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में मध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70 से. और मध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3^0 से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हें जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान 44^0 से या 45^0 से तक पहुंच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

शीत धात

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0^0 से. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8^0 से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

उपरोक्त आपदाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि झालावाड़ जिला में बाढ़, सूखा एवं शीतलहर को छोड़कर अन्य आपदाओं की संवेदनशीलता की दृष्टि से सामान्य है व भूकम्प व औघोगिक दुर्धटना की दृष्टि से लगभग नगण्य है। इन आपदाओं से भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवदेनशीलता पर निर्भर करता है। झालावाड़ जिला कृषि प्रधान होने के कारण यहां बाढ़ एवं सूखा से सीमान्त एवं लघु काश्तकारों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है।

अध्याय – 4

आपदा प्रबंधन हेतु जिले की संस्थागत व्यवस्थाऐं

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर उत्तरदायी होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकता है। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा सहायक जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगें।

स्थायी व्यवस्था

जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन समिति (DDMC) का गठन करेगें। जिसमें निम्न सदस्य होंगे।

क्र.सं.	जिला आपदा प्रबन्धन समिति सदस्य		आफिस	निवास / मो.
1.	कलेक्टर	अध्यक्ष	230403	230402
2.	एस.पी.	सदस्य	230410	230411
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य	230434	230435
4.	ए.डी.एम. (प्रशासन)	सदस्य	230459	230460
5.	ए.सी.ई.ओ. जिला परिषद	सदस्य	230437	–
6.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	230009	230453
7.	उप निदेशक, पशुधन एवं डेयरी विकास	सदस्य	232434	230112
8.	अधीक्षण अभियंता, पी.एच.ई.डी.	सदस्य	232285	232812
9.	अधीक्षण अभियंता, सिंचाई	सदस्य	231059	232374
10.	अधिशाषी अभियंता आर.एस.ई.वी.	सदस्य	230452	230451
11.	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक	सदस्य	232338	232401
12.	जिला सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य	232425	–
13.	आर.टी.ओ.	सदस्य	232307	232776
14.	पी.आर.ओ.	सदस्य	230448	–
15.	डी.एस.ओ.	सदस्य	230445	
झालावाड़ जिले का एस.टी.डी. कोड – 07432				

- जिला कलेक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेगा तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेगा तथा सूचना सचिव सहायता को भेजेगा।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घंटे कार्यरत होगा।

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित होगा।
- नियंत्रण कक्ष में कुल छः व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी (दो व्यक्ति हर पारी में)।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. होंगे।
- नियंत्रण कक्ष के फोन नं. आसान व याद रखने योग्य होने चाहिए। अगर हो सके तो तीन अंकों (103) का नम्बर दिया जा सकता है ताकि आम व्यक्ति सूचना आसानी से दे सके।

विभिन्न अधिकारियों एवं विभागो की भूमिका

आपदा के दौरान कलेक्टर की भूमिका

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतू सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।

जिला प्रशासन

- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउंटर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोड़ल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

सिंचाई विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यटी पर बुलायेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गो की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

राजस्थान राज्य विद्युत निगम

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना ।

दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुॅचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

नगर पालिका

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिडकाव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईंयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डाक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाना।

स्वंयसेवी संगठन

- हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

अध्याय 5

रोकथाम एवं शमन उपाय

झालावाड़ जिले में होने वाली प्रमुख आपदाओं में बाढ़ सूखा शीताधात, तपाधात, आदि आपदाऐं प्रमुख है। तथा मानव–कृत आपदाओं में दुर्धटनाऐं एवं आगजनी प्रमुख है। आपदाओं की रोकथाम का आशय है कि समय रहते कार्यवाही करके संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके। मानव कृत आपदा ओं की तरह, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, और चक्रवात को टाला नही जा सकता। लेकिन जोखिम भरे क्षैत्रों में विकास कार्यो की उचित योजनओं के माध्यम से इन खतरों को आपदओं में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार शमन एक एसा कार्य है जिसके तहत ढांचागत एवं गैर ढाचागत उपायों के द्वारा होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इस हेतु जिले में विभिन्न ढाचागत विकास के साथ साथ विभिन्न आपदाओं की रोकथाम के लिए निम्न उपाय किये जा सकते है।

विभिन्न आपदाओं की कार्य योजना

सूखे से बचाव की कार्ययोजना

झालावाड़ जिले में ही नही वरन राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या हैं परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोतों का पुनर्जीविकरण
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।

- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरूआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोंतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना (परिशिष्ट संख्या 14)
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें चिकित्सकीय एवं पेरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना ।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

स्वंय सेवी संगठन

- राहत कार्यो एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी
- इस विपत्ति हेतु ज़िला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूंपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यो के अर्न्तगत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास हे। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोके के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में ड़ालें।
- जल संग्रहरण हेतु बनये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भसरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं कयोंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

बाढ़ से बचाव की कार्ययोजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय

1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
5. नदी के बान्ध में छिद्रान्वेशी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
6. तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेड़ियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
- भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

कंट्रोल रूम

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलैस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 30 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया गया है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जायेगा। राज्य मुख्यालय पर स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 2227296 है।

क. सं.	कार्यरत कन्ट्रोल रूम	एस.टी.डी. कोड	दूरभाष/मो. नम्बर
1	राज्य कन्ट्रोल रूम, जयपुर	0141	2227296 2702480
2	जिला कन्ट्रोल रूम, झालावाड़	07432	230645, 230646
3	सिंचाई विभाग, झालावाड़	07432	232349
4	प्रभारी अधिकारी (अति.कलक्टर प्रशासन)	07432	230459, मो. 9413113217
5	प्रभारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष (जिला सांख्यिकी अधिकारी)	07432	232574, मो 9530262150

सिंचाई विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन (परिशिष्ट संख्या 8, 9, 10, 11, 12)
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना (परिशिष्ट संख्या 25)
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें। मेडिकल स्टोर्स की सूची (परिशिष्ट संख्या 5)
- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची (परिशिष्ट संख्या 15)
- तैराकों की सूची (परिशिष्ट संख्या 16)

चिकित्सा विभाग–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है।
चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की सूची (परिशिष्ट संख्या 3, 4)

आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे

1. चिकित्सा अधिंकारी **01**
2. स्वास्थ्य निरीक्षक **01**
3. मेल नर्स **01**
4. एमपीडब्ल्यू **01**
5. वार्ड बॉय **01**
6. वाहन चालक मय वाहन **01**

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन.स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगें।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्विकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान् मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में सक्रांमक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियत्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्यूत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।

- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकरियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी–बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरूस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

एन.सी.सी/एन.एस.एस.

- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र,

जिला मुख्यालय पर 2 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 2 अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। आग की स्थिति से निपटने के लिए **101** पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद/नगरपालिकाएं

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी सूची (परिशिष्ट संख्या 29)

दुर्घटना से बचाव की कार्य योजना

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्थ आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनागस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 102 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय – दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय – सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांध।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान जिला प्रशासन का कर्त्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची परिशिष्ट 3, 4, 5 पर है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।

- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

- घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद / पालिका / पंचायत

- टैंटों की व्यवस्था। टैंट हाउस की सूची परिशिष्ट 30 पर है।
- पानी के टैंकरों की व्यवस्था ।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संघटन

- राहत व बचाव के कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्त्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्त्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नही।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करे तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नही तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाएं।
- ठोड़ी को आगे ले आएं जिससे रूकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।

यदि दिल की धड़कन रूक गई हो तो बंद मुट्टी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दवाब डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड बैंड, ;ज्वनतदपुनमजद्ध या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे–

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।
- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

आग से बचाव की कार्ययोजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर :–

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थो का भण्डारण नही करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई. एस.आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ो का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ो को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।

- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुज़रते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फैंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पोन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाडे आदि नही होने चाहिए।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नही फैकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नही करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलवे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह ज़रूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बडी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सकें।
- बिल्डिंग कोड रूडकी द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठत्तम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तद्नुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, ''समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूप को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं । यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूप तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

जिला कलेक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र :– नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता (सूची परिशिष्ट 23)
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती ज़िलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढी, मिट्टी के थेले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता (सूची परिशिष्ट 23)

नागरिक सुरक्षा

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना

- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
- अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित स्वंय सेवकों की सहायता लेना
- डिविज़न एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना (सूची परिशिष्ट 3)
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना
- औषधियों की व्यवस्था करना
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना (सूची परिशिष्ट 5)
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता (सूची परिशिष्ट 4)

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वंय सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगर परिषद

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना (सूची परिशिष्ट 30)
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वय सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना (सूची परिशिष्ट 32)

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें :–

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हों यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें :–

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।
- परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटाने के लिए प्रशिक्षण दें।

भूकम्प से बचाव की कार्ययोजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना ।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीड़िया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना (सूची परिशिष्ट 3, 4, 5)

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नही।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नही लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नही लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मज़बूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मज़बूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वंय की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रूकें जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लियें सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरुचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों ऐव पुलों को अवश्य देखों।
- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पंहुचा सकते है।

ओलावृष्टि से बचाव की कार्ययोजना

- यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम–ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है । ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

तापघात से बचाव की कार्ययोजना

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आतंरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीताधात से बचाव की कार्ययोजना

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एडियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।
- मौसम की स्थिति से सवाधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है? ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।

- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हें।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारो आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमे लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।

अध्याय 6

तैयारी

किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को तैयारी कहते है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों समुदायों विशेषज्ञों एवं व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अर्जित ज्ञान और क्षमताओं जिनके माध्यम से किसी संकट के आने का पूर्वानुमान लगाया जा सके या आपदा आने की स्थिति में उससे प्रभावित तरीके से निपटा जा सके और समुत्थान किया जा सके, ऐसे उपायों को आपदा तैयारी कहते है।

आपदा तैयारी से संबंधित क्रियाकलापों में किसी आपदा के आने का पूर्वानुमान और ऐहतिहात के तौर किये गये उपाय शामिल है जिनके आधार पर हम पूर्व चेतावनी दे सके। ये उपाय किसी आपदा की स्थिति में उससे कारगार तरीके से निपटने और बचाव कार्यो को प्रभावी तरीके से अनजान देने संबंधित हमारी क्षमताओं का वर्धन करते है। इसमे समय समय पर चेतावनी प्रणाली का आधुनीकीकरण किया जाना और संकट सूचना के दौरान लोगो की निकासी के प्रभावी उपाय शामिल है जिससे जान और माल का नुकसान कम से कम हो सके।

आपदा प्रबंधन के परिपेक्ष्य में इससे संबंधित अन्य पहलुओं जैसे आपदा को रोकने, आपदा आने की स्थिति में उसके असर को कम करने और उससे उभरने के उपायों को समझना अति आवश्यक है। कारगर आपदा तैयारी के लिए जरूरी संयत्रों एवं अन्य सामग्री का आधुनिकीकरण भी अत्यन्त आवश्यक है। जिससे आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा संवर्धन किया जा सके।

पूर्व चेतावनी

पिछले अनुभवों से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले विनाश को कारगर संचार/चेतावनी व्यवस्था के माध्यम से कम किया जा सकता है। यह पूरी तरह से तैयार समुदाय एवं प्रशासन के लिए आवश्यक है कि वह अपनी संचार/पूर्व चेतावनी व्यवस्था को दुरूस्थ रखें, जिससे आने वाली आपदा की चेतावनी मिलते ही ऐहातयाती शमन उपाय किये जा सके और जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। इस तरह की आपदा के लिए पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी व्यवस्थाओं की स्थापना उनमें सुधार एवं उनका आधुनीकरण अत्यन्त आवश्यक है। सूचना और संचार तकनीकी जिला स्तर पर एक कारागार पूर्व चेतावनी सिस्टम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी जिससे आपदा तैयारी और रिस्पोन्स क्रियाकलापो का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके। आईसीटी भोगोलिक संदर्भ विश्लेषण प्रस्तुत करके जोखिम क्षैत्रों सुभेद्यताओं और संभावित प्रभावित आबादी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

आईसीटी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैः–
1. सूचना संग्रहण एवं हस्तान्तरण
2. जिओ स्पेशल डेटा के समन्वय के माध्यम से डिसिजन सपोर्ट सिस्टम
3. संचार एवं प्रसार
4. आपातकालीन तैयारी एवं रेस्पोन्स

सूचना संग्रहण एवं हस्तानान्तरण

आईसीटी के अनेक उपकरणो की मदद से व्यवस्थित तरीके से विभिन्न स्त्रोतो से आकड़े एकत्रित किये जाते है। और वास्तविक समय में इनकी निगरानी एवं विशलेषण किया जाता है जिससे जोखिम मूल्यांकन करते है। जिससे आपदाओं के व्यवहार और सामुदायों की सामाजिक एवं आर्थिक सुभेद्यताओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इन उपकरणों में ग्राउण्ड बेस्ट (हाईड्रो मेटेरोलॉजिकल निरीक्षण सिस्टम), ब्रॉड बेण्ड साइजमोमीटर्स, राडार, स्पेस बेस्ड, जीपीएस सिस्टम, आदि है।

जिओ स्पेशल डेटा के समन्वय के माध्यम से डिसिजन सपोर्ट सिस्टम

जियोग्राफीक इंफोरमेशन सिस्टम रिमोर्ट सैन्स्ड डेटा की व्याख्या और परिष्करण से प्राप्त स्पेशल इंफारमेशन की अनेक परतें अन्य जिओग्राफिकल और कार्टोग्राफिक इंफोरमेशन के उपर अध्यारोपित कर देता है। यह सूचना सांख्यिकी डेटाबेस से जोड़ी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जनसंख्या सघनता के अंक जिससे मानचित्र तैयार होते है, जिन पर उच्च जोखिम वाले क्षैत्रों को समाज की सामाजिक एवं आर्थिक विशिष्टताओं से जोडा जा सकता है।

संचार एवं प्रसार

आपदा प्रबंधन के सन्दर्भ में उच्चरित एवं आकडा संचार का महत्वपूर्ण स्थान है जैसे रेडियो टेलिवीजन, अन्य उपकरणों में कम्यूनिटी, ऐमट्योर, शॉर्टवेव और सेटेलाईट ब्राट कास्टिंग शामिल है। वर्तमान में इन्टरनेट, ईमेल, मोबाईल फोन, गतिशीलता, दो तरफा संचार, स्थान आधारित सेवाऐं मुहैया कराता है। भारत में मोबाईल क्रान्ति के बाद मोबाईल फोन पर पूर्व चेतावनी एलर्ट दिया जा सकता है।

आपातकालीन तैयारी एवं रेस्पोन्स

आपातकालीन तैयारी एवं रेस्पोन्स के रूप में आपदा के समय लोगो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना भोजन ईधन, पानी, दवाईयां, और अन्य जरूरी वस्तुओं के संभरतंत्र का प्रबंधन भी शामिल है।

पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी

यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी प्रकार की आपदाओं के लिए पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की जावें व समय समय पर उनमें सुधार एवं आधुनिकीकरण किया जाये। साथ ही डेटा संग्रह, पूर्वानुमान और उसके समय रहते प्रसार के लिए आईसीटी उपकरणों का उपयोग किया जायें।

भूकम्प

भूकम्पीय घटनाओं की निगरानी के लिए भारतीय मौसम विभाग नोडल ऐजेन्सी है। इनके द्वारा भूकम्प संबंधित सूचनाऐं विभिन्न चेनलों, एवं प्रेस को दी जाती है व सूचना वेबसाईट पर जारी की जाती है।

बाढ़, फ्लेश फ्लाड, बांध टूटना, बादल फटना, ओलावृष्टि

केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विभाग, राज्य सरकार मिलकर इस हेतु कार्य करते है व रेन गेज और रीवर गेज स्टेशनों के माध्यम से बाढ पूर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करते है।

सूखा, भारी वर्षा, तुफान एवं शीतलहर

भारतीय मौसम विभाग द्वारा समय समय पर सूखा, भारी वर्षा, तुफान आदि का पूर्वानुमान मोसमिय अध्ययन के आधार पर किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा इसके लिए स्वचलित मौसम स्टेशन, नमी संवेदक स्थापित किये है। साथ ही फ्लेश फ्लड पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली स्थापित की है। इसके लिए डॉपलर राडार का उपयोग किया जाता है।

ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर (ईओसी)

ईओसी एक ऐसा केन्द्र है, जहां सूचना और संधाधनों का समन्वय होता है। जिला स्तर पर यह जिला कलक्टर कार्यालय में स्थित है। ईओसीज सभी सहभागियों के बीच बेहतर समन्वय में सहायता करता है। जिसमें मानव संसाधन, राहत सामग्री एवं आपदा का मुकाबला करने के लिए जरूरी उपकरण शामिल है।

जिले में घटित होने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए मिनी सचिवालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला ईमरजेंसी सेंटर स्थापित किया गया है तथा आठ आपदा राहत केन्द्र भी जिले में स्थापित किये गये हैं । किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति में जिला ईमरजेंसी सेंटर के दूरभाष नम्बर 07432–230645, 230646 पर सूचना दी जानी चाहिए । ईमरजेंसी सेंटर 24 घण्टे कार्यरत रहता है। इस सेंटर पर कोई भी व्यक्ति/संस्था/दुकानदार/मकान मालिक/अधिकारी/कर्मचारी जिले में किसी भी प्रकार आपदा आने पर सूचना दे सकता है। जहां पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस कंट्रोल रूम मे 100 नम्बर पर भी सूचना देना उचित रहता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि ई0ओ0सी0/ जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर कार्यरत स्टॉफ के पास जिले की महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा

दूरभाष नम्बर उपलब्ध रहे। इस पुस्तिका की प्रति भी 24 घण्टे ई0ओ0सी0 /जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर रहनी चाहिये।

ई.ओ.सी. में उपलब्ध उपकरण/ सामग्री

क्र.स.	उपकरण का नाम	उपकरण की संख्या
1	ड्रेगन लाइट	10
2	वायरलैस सेट	1
3	रस्सा बड़ा सन का (8 कि.ग्रा.)	1
4	रेनकोट	10
5	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर	2
6	एल.सी.डी. टी.वी. सेट	1
7	जेनरेटर सेट	1
8	बाल्टी (ब्यूकेट)	8
9	गम बूट	18
10	लाइफ जॉकेट	14
11	इमरजेन्सी लाइट	1
12	टॉर्च लाइट	8
13	फेस मास्क	8
14	गैंती	20
15	लाइट एक्स	10
16	रबड़ ट्यूब	10
17	सॉल (फावडा)	8
18	जाल	1
19	मिनी बस	1
20	बड़ी बस	1

21	ट्रक बड़ा	1
22	मिडीयम वाहन	2
23	नाव	3
24	ट्यूब ट्रक	5
25	ट्यूब जीप	5

इसके अतिरिक्त जिले में आठ आपदा राहत केन्द्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक राहत केन्द्र पर केन्द्र प्रभारी तैनात है। राहत केन्द्रों पर नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी के नाम एंव दूरभाष नम्बर का विवरण निम्नानुसार हैंः–

जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष

क्र.सं.	जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष का नाम	प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम	दूरभाष नम्बर
1	प्रभारी अधिकारी	श्री अली मोहम्मद, जिला साक्षरता एवं सत्त शिक्षा अधिकारी	9530262150
2	सहायक प्रभारी अधिकारी	श्री विक्रम पोसवाल मुख्य आयोजना अधिकारी झालावाड़	9549803607

तहसील स्तर बाढ़ नियंत्रण के प्रभारी अधिकारी

क्र.सं.	तहसील क्षैत्र	प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम	दूरभाष नम्बर
1	झालरापाटन	हनुमान सिंह गुर्जर उपखण्ड अधिकारी झालावाड़	9530320378, 9414570200
2	पिड़ावा	राकेश कुमार मीना–II उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा	9530320400, 9694479798
3	अकलेरा	अश्विन के पवांर उपखण्ड अधिकारी अकलेरा	9530320510 9057515580
4	मनोहरथाना	दीन दयाल बाकोलिया उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना	9530320541, 9414542938
5	खानपुर	भिन्जाराम विश्नोई उपखण्ड अधिकारी खानपुर	9530320563, 8239959800
6	पचपहाड़	राकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी	9530320444, 9587343333
7	गंगधार	चन्दन दूबे, उपखण्ड अधिकारी गंगधार	9530320472, 9414779764
8	असनावर	मनीषा तिवाड़ी तहसीलदार असनावर	9460179611

तहसील स्तर बाढ़ नियंत्रण के सहायक प्रभारी अधिकारी :–

	तहसील क्षेत्र	सहायक प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम	दूरभाष नम्बर
1	झालरापाटन	भारत सिंह तहसीलदार झालरापाटन	9530320367, 9784348057
2	पिड़ावा	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा तहसीलदार पिड़ावा	9928868551
3	अकलेरा	रामकिशन मीना, तहसीलदार अकलेरा	9460237003 9530320511
4	मनोहरथाना	जगदीश कुमार कालरा तहसीलदार, मनोहरथाना	9461695894
5	खानपुर	शिवदयाल वर्मा तहसीलदार खानपुर	9530320564, 9414489662
6	पचपहाड़	मनमोहन गुप्ता, तहसीलदार पचपहाड़	9462665141, 9530320443
7	गंगधार	हरिमोहन गोचर तहसीलदार गंगधार	7300434724
8	असनावर	जितेन्द्र चुड़ावत विकास अधिकारी झालरापाटन	9929333617

आपदा राहत उपकरणों के नाम व चित्र :–

CRAFT INDIA, JAIPUR
DISASTER MANAGEMENT GOODS

Aluminium Extn Ladder 25 folding

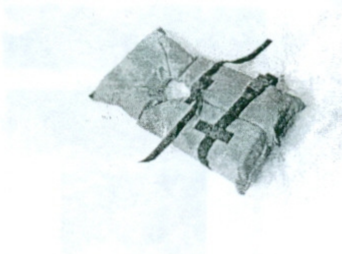

LIFE JACKET

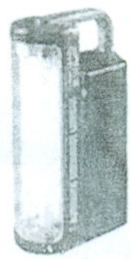

EMERGENCY LLIGHT

MEGAPHONE

HAND TOOL SET

TORCH LIGHT

FACE MASK

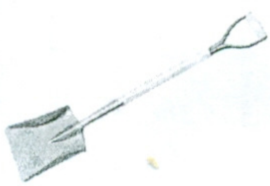

SPADE

PICK AXE

2

CRAFT INDIA, JAIPUR
DISASTER MANAGEMENT GOODS

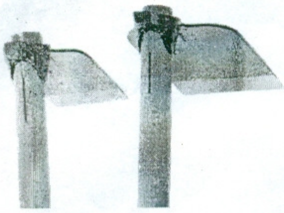

FAWRA

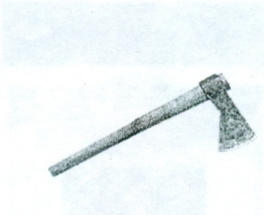

LIGHT AXE

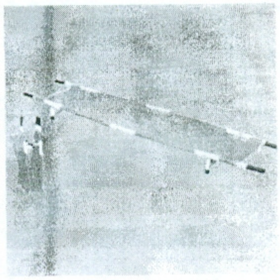

STRETCHER

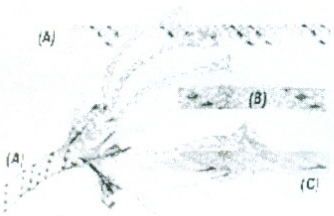

REPELIING ROPE, CLIMBLING ROPES

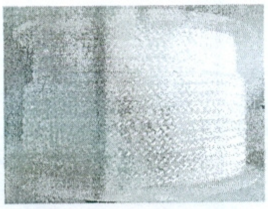

BOB NYLON ROPES

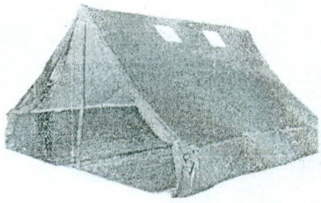

TENT CANVAS

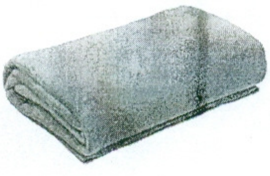

BLANKET

SAFETY HELMETS

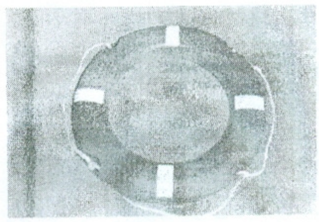

LIFE BUOY

(3)

CRAFT INDIA, JAIPUR
DISASTER MANAGEMENT GOODS

PULLIES

GUM BOOTS

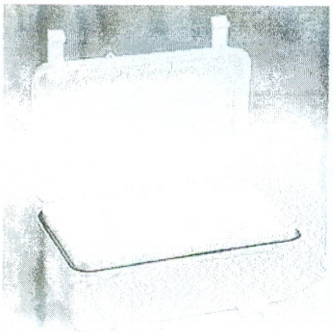

FIRST AID BOX

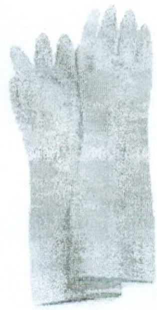

RUBBER HANDGLOVES

HEAVY CHAIN WITH LOCKS

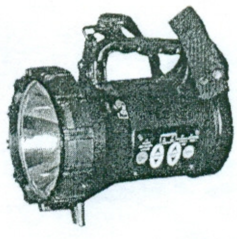

DRAGON /SEARCHLIGHT

विघालय सुरक्षा योजनाऐं

विद्यालय आपदा की दृष्टि से संदेनशील स्थान होते है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय अपनी—अपनी विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करे, जिसमें छात्रों, अध्यापकों और छात्रों के माता पिताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके अन्तर्गत विद्यालय परिसर में जोखिमों, सुभेद्यताओं और क्षमताओं की पहचान, आपात स्थिति में निकासी की व्यवस्था हर प्रकार की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था, प्रमुख जीवनरक्षक सामग्री उपकरणों दवाईयों आदि का भंण्डारण विद्यालय के आस पास संभावित सहयोग ऐजेन्सियों की पहचान तथा क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण मोक ड्रिल आदि की समय सारणी तैयार करना आदि शामिल है।

चिकित्सा तैयारी योजना

आपदा पश्चात् चिकित्सकीय सुविधा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। फलस्वरूप आपदा प्रबंधन में चिकित्सा तैयारी एक महत्वपूर्ण अवयव है। इस हेतु जिले के सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करना तथा विभिन्न विशेषज्ञों एंव सहभागियों के सहयोग से अस्पतालों द्वारा हताहतों की चिकित्सा के लिए उचित प्रक्रिया तैयार करना प्रमुख है। पंजीकरण मान्यता नीति के तहत यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रत्येक अस्पताल अपनी—अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। जिसमें प्रभावित लोगो की पहचान करने से लेकर उन्हें चिकित्सकीय सहायता एवं फोलो अप की पूर्ण व्यवस्था हो।

विभागीय तैयारियां

सभी नोडल विभाग अपने—अपने प्लान तैयार करेंगे यह एक विस्तृत योजना होगी जिसमें आपदा शमन तैयारी एंव रिस्पोन्स संबंधित सभी तत्व समाहित होंगे। इसके अन्तर्गत तलाश एवं बचाव, चिकित्सा सहायता एंव हताहत प्रबंधन, आपदा स्थल पर आवश्यक सेवाओं एंव संचार व्यवस्था का प्रावधान तथा भोजन पीने का पानी, सेनिटेशन, कपड़ो आदि की व्यवस्था शामिल है।

क्राईसिस मेनेजमेन्ट प्लान (सीएमपी)

क्राईसिस मेनेजमेन्ट प्लान सभी स्थितियों में आवश्यक होता है। विशेष रूप से अस्पतालों, घार्मिक स्थलों, मेलों, जन आंदोलनों, आतंकवादी घटनाओं, सामाजिक विद्रोह तथा अल्पकालिक प्राकृतिक आपदाओं के समय यह प्लान अत्यन्त उपयोगी होगा।

अध्याय –7

क्षमता–वर्धन

किसी भी आपदा प्रबंधन की तैयारी के लिए क्षमता वर्धन एक प्रमुख अवयव है, जिसमें जानकारी, प्रसार, प्रशिक्षण, शिक्षा, शोध एवं विकास के माध्यम से मानव संसाधनो के सर्वागीण विकास पर बल दिया जाता है। आपदा प्रबंधन में बहुत सारे कार्य आते है, जिसमें प्रमुख रूप से योजना, रोजमर्रा के प्रबंधन क्रियाकलाप, बहुआपदा आपरेशनस क्राईसिस मेनेजमेन्ट, समुत्थान और विशेष कार्य शामिल है। इसलिए संस्थागत विशेषज्ञता और क्षमता बढ़ाने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रशिक्षण एवं ओरिएन्टेशन प्रोग्राम की जरूरत होती है। हर स्तर पर मानव संसाधनों के प्रशिक्षण से केवल उनके प्रदर्शन में ही निखार नही आता अपितु उनके निर्णय लेने की क्षमता भी बढती है। विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों से लेकर सहभागियों तक, जिनमें निजी/कारपोरेट सैक्टर एवं समुदाय शामिल है, लोगो के प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में झालावाड़ जिले हेतु प्रतिवर्ष 10.00लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

क्षमतावर्धन से एक उपयुक्त प्रबंधन प्रणाली तैयार करना और संसाधनों का आवंटन करने में मदद मिलती है। जिससे आपदाओं का मुकाबला करने के लिए बेहतर रिस्पोन्स प्रणाली विकसीत की जा सके। इसलिए क्षमता वर्धन का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित मानव संसाधनों के माध्यम से एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली तैयार करना है।

जिले में आपदा प्रबधन को मजबूत करने के लिए क्षमता वर्धन के लिए किये जाने वाले प्रयास निम्नलिखित हैं–

1.प्रशिक्षण
2.मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास
3. पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश
4. जन जागृति
5. समुदाय– आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रम
6 आपदा से संबंधित उपकरणों की सुगमता
7. सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन

आपदा प्रबंधन अधिकारियों, कार्यकर्ताओं, प्रशिक्षिकों, चुने हुए प्रतिनिधियों और समुदायों के प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। चिकित्सकों, इंजिनियरों और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिये जाने पर भी ध्यान दिया जायेगा।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण क्षमता–वर्धन कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। प्रशिक्षित कर्मचारी विभिन्न आपदाओं का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में सक्षम होते हैं तथा वे निरोधात्मक उपायों की अहमियत भी जानते हैं। मानव–संसाधनों के गहन प्रशिक्षण के लिए कड़े उपाय किये जायेंगे, विशेषरूप से आपदा संबंधी जानकारी एवं सुरक्षा बढाने और विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधकों की क्षमता बढाने के क्षेत्र मे डीडीएमए क्रमबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन के अन्य कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगी।

ट्रेनिंग इनफ्रास्ट्रक्चर

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सहयोग से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिग इन्स्टीच्यूट (एटीआईं) राज्य, जिला एवं स्थानीय ओथोरिटी विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, एसडीआरएफ, स्कूली अध्यापकों और एनजीओज के प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी।

एटीआईं राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल ट्रेनिग इस्टीट्यूट का काम करती है। प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए एटीआईं में सेटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट (सीडीएम) का गठन किया गया हैं। सीडीएम के पास आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक टीम होगी जो आपदा प्रबंधन के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण फ्रेमवर्क हैंनिग मोड्यूल्स और कार्यक्रम तैयार करेगी। प्रशिक्षण के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जायेगा हर साल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा और बेहतर सहभागिता के लिए राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा इसका अनुपालन किया जायेगा।

एटीआई के अलावा, अन्य ट्रेनिग इस्टीट्यूट्स जैसे स्टेट रिसोर्स इस्टीट्यूट्स, इंजिनियरिंग कालेज, प्रोफेशनल एण्ड टैक्नीकल इस्टीट्यूट्स, इडस्ट्रियल ट्रेनिग इस्टीट्यूट्स और एनजीओज/ डिपार्टमेंटल ट्रेनिग इस्टीट्यूट्स का भी प्रशिक्षण कार्य के लिए सहयोग लिया जायेगा जिससे इन कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके।

प्रशिक्षण जरूरतो का मूल्यांकन

ट्रेनिंग निड्स असैसमेन्ट (टीएनए) का दायरा बहुत विस्तृत है, इसलिए प्रशिक्षण जरूरतों के वैज्ञानिक मूल्यांकन की सख्त जरूरत है, विशेष रूप से सभी विभागों में आपदा प्रबंधन के लिय इस तरह के अभ्यास समय–समय पर किये जाने चाहिए। भविष्य में टीएनए का जोर इस बात पर रहेगा कि सक्षम, साधन सम्पन्न एवं जिम्मेदार कर्मचारियों का विकास किया जाये और उनकी क्षमता का वर्धन किया जाये जिससे वे किसी भी आपदा स्थिति में कार्यं कर सके। जैसा कि कई विभागों के लिए आपदा प्रबंधन एक नया घटक है, इसलिए यह जरूरी है कि सभी विभाग प्रशिक्षण जरूरतों का मूल्यांकन करायें जिससे वर्तमान ज्ञान और निपुणता में कमी, आपदा प्रबंधन के स्कोप और राज्य आपदा प्रबंधन योजना के अनुरूप प्रशिक्षण संबधित जरूरतों का पता चल सकै।

प्रत्येक विभाग प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता वर्धक कार्यक्रमों के लिए सालाना समय–सारिणी तैयार करेंगे। इस योजना में पूरे स्टाफ के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और रिफ्रेशर ट्रेनिंग का प्रावधान होगा। एटीआई शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण जरूरत मूल्यांकन करेगी, जिससे किसी संस्था विशेष के प्रशिक्षण उद्देश्यों का पता लगाया जा सके और उसी के मुताबिक ट्रेनिंग कन्टेंट और प्रणाली तैयार की जा सके।

सुरक्षा बलों, इंजीनियर्स, आर्किटेक्टूस, सिटी प्लानर्स आदि के विशेष प्रशिक्षण के लिए एटीआईं प्रशिक्षण जरूरत मूल्यांकन करेगी।

आपदा प्रबंधन विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, वन आदि से कुछ कर्मचारियों का चयन करेगी, जिससे प्रशिक्षकों का एक कोर गुप तैयार किया जा सके।

कौर गुप

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि प्रशिक्षकों का एक कोर गुप तैयार किया जायेगा जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस अकादमी, एनडीआरएफ के पैरामिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल ट्रेनिग अकादमी आदि द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी तरह, तहसील स्तर पर भी कोर गुप तैयार किये जायेंगे।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटीज–ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स)

योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि मास्टर ट्रेनर्स का एक पूल विकसित किया जाए जिससे ये प्रशिक्षक जिला और ब्लाक स्तर पर विकैन्दीकृत प्रशिक्षण सुविधा मुहैया करा सकै।

यह प्रोग्राम तलाश एवं बचाव, फर्स्ट एड, निकासी, अग्निशमन, सुरक्षा और इमरजेंसी रिसपॉन्स जैसे विषयों यर विशेष ध्यान देगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद, प्रशिक्षिकों के मास्टर ट्रेनर्स के रूप में मान्यता दी जायेगी, जो आँचलिक स्तर पर ट्रेनिग देंगे एवं वर्कशाप आयोजित करेंगे। इन मास्टर ट्रेनर्स को कोर गुप द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। शुरूआत के तौर पर जिले के सभी विभाग अपने कुछ अधिकारियों एवं सपोर्ट स्टाफ का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एटीआईं के पास एक प्रस्ताव भेजेंगे। उसके बाद एटीआई उनके लिए एटीओज प्रोग्राम आयोजित करेगी।

जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण

मास्टर ट्रेनर्स जिला एवं ब्लाक स्तर पर विभिन्न सहभागियों को प्रशिक्षित करेंगे। जिन सहभागियों को प्रशिक्षित किया जायेगा उनमें एनजीओज, समाजसेवक, युवा संगठन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी), नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस), स्काउट गाईडस, नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), स्कूल अध्यापक और छात्र शामिल हैं।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथारिटी (एनडीएमए) के दिशा निर्देशों के अनुरूप इंसिडेण्ट रिसपॉन्ससिस्टम पर भी ट्रेनिग दी जायेगी ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हर तिमाही एक बैठक आयोजित करेगा जिसमें ट्रेनिग और अन्य क्षमता–वर्धन संबंधी कार्यक्रमों के लिए एक अलग एजेण्डे पर विचार–विमर्श किया जायेगा।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

प्रशिक्षण जरूरत मूल्यांकन के आधार पर, सभी विभाग, जो आपदा प्रबंधन में नोडल एजेंसी के रूप में कार्यं करते हैं, अपने कुछ अधिकारियों और सपोर्ट स्टॉफ का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं तथा प्रशिक्षण की सालाना समय सारिणी तैयार करते हैं। सभी विभाग प्रशिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मूल्यांकन प्रणाली तैयार करते हैं, समय समय पर कंटेंट और मैथडोलॉजी का रिव्यू करते हैं और एसटीआईं और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को सुधार संबंधी सुझाव भेजते हैं। प्रशिक्षण के प्रमुख विषय निम्नलिखित हैः–

1. आपदा प्रबंधन पर अधिष्ठापन प्रशिक्षण

सभी संबद्ध विभागों, जैसे पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, वन आदि के अधिष्ठापन प्रशिक्षण एवं सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण में प्राथमिक आपदा प्रबंधन टेनिग के मोडूयूल्स का समायोजन किया जायेगा।

2. लाइन डिपार्टमेन्ट के स्टाफ के लिये स्किल बिल्डिग ट्रेनिंग

विभिन्न विभागो के चयनित स्टाफ को तलाश एवं बचाव, फर्स्ट एड, अग्निशमन आदि क्षेत्रों में निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3. इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम पर प्रशिक्षण

नेशनल डिजास्टर मैनजमेंट ऑथारिटी के दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला, उपखण्ड एवं अन्य निचले स्तर के अधिकारियों को इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

4. आपातकालीन राहत एवं रिसपॉन्स के लिये न्यूनतम मापदंड

राहत कार्यों के लिए न्यूनतम मापदंड एनडीएमए द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपदोत्तर राहत, रिसपॉन्स एवं समुत्थान कार्य से जुड़े सभी विभागों के स्टाफ को विभिन्न चरणों में यह प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. उपकरण एवं रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण

सर्वप्रथम रिसपॉन्ड करने वाले विभागों, जैसे पुलिस, अग्नि शमन, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस आदि को पर्याप्त उपकरण मुहैया कराये जाते है जिनकी समय–समय पर मरम्मत और रख–रखाव की आवश्यकता पड़ती है। इन विभागों को कुछ मशीनें या उपकरण पहली बार दिये गये होंगें। इसलिए ऑपरेटर्स को इन उपकरणों के इस्तेमाल और देखभाल संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

विशेष प्रशिक्षण

विभागीय प्रशिक्षण के अलावा, एटीआई द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों, स्वयंसेवियों, फर्स्ट रिसपॉन्डर्स और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों और प्रोफेशनल्स के लिए अनेंक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। ये कार्यक्रम ज्ञानवर्धन और स्किल बिल्डिंग के लिए आयोजित किये जायेंगे जो आपदा प्रबधंन में रोकथाम, अल्पीकरण और तैयारी संबंधित क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कुछ विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित हैः–

1. राज्यधिकारियों, एमपीज, एमएलएज, जिला एवं स्थानीय प्रशासन के लिए आपदा प्रबंधन पर ऑरिएंटेशन

राज्याधिकारियों, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, जिला एवं स्थानीय प्रशासकों के लिए आपदा प्रबंधन पर एक एक–दिवसीय वर्कशाप का आयोजन किया जायेगा। इस ऑरिएंटेशन में आपदा प्रबंधन के बुनियादी तत्वों, आपदा प्रबंधन की जरूरत और इस दिशा में राज्य द्वारा उठाये गये कदमों एवं कार्य योजना आदि शामिल किये जायेंगे।

2. शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रशिक्षण

शहरी स्थानीय निकायें के चयनित अधिकारियों और प्रतिनिधियों को विकास नियंत्रण विनियमों, अग्नि सुरक्षा विनिमयों, कंस्ट्रक्शन बाइलॉज, तलाश एवं बचाव, नुकसान एवं जरूरत मूल्याकंन आदि विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सभी सरकारी इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स, विशेष रूप से स्थानीय निकायों में कार्यरत, को भूकम्परोधी डिजाइन और निर्माण कार्य जिसमें रिपेंयरिंग और रीट्रोफिटिंग शामिल हैं, सबंधी गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा।

टाउन एवं सिटी प्लानर्स को भूकम्पीय सुरक्षा, फ्लड प्लेन जाने रेगुलेशंस, आपदोन्मुखी इलाकों में भूमि उपयोग योजना और कमजोर पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय योना संबंधी कार्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3. पंचायतीराज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण

पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को समुदाय–आधारित आपदा तैयारी, राहत एवं मुआवजा अधिकार संबंधी विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

4. भूकम्परोधी तकनीक पर आर्किटेक्टस, इंजीनियर्स और राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण

चयनित कारीगरों, जैसे राजमिस्त्री, वेल्डर, बढ़ई, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन आदि को भूकम्परोधी निर्माणकार्य के बारे में प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। कारीगरों के प्रमाणीकरण के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा।

5. मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट के लिए पैरामैडिकल एवं चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण

प्राकृतिक महामारी/बीटी संबंधी आपदा से निपटने के लिए चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों, आपातकालीन मेडिकल तकनीशियन, पैरामैडिकल्स, एम्बुलेंस चालको और क्यूआरएमटीज/एमएफआर्स को जरूरी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ रोग विज्ञान के उन सूत्रों का पता लगायें जो प्राकृतिक प्रकोप को अन्य रोगों से अलग करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए बीटी–संबंधित शिक्षा और वेब–आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे वे पूर्व चेतावनी के संकेतों को समझ सकें और मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश कर सकें, असामान्य बीमारियों का इलाज कर सकें और समय रहते महामारी को रोकने के लिए जरूरी उपाय कर सकें।

पैरामेडिकल स्टाफ को रसायनों के प्रभाव, विषैले तत्वों के उपचार और एन्टीडोट्स के बारे में सीटीडी–संबंधित विषयों की जानकारी देकर ज्ञानवर्धन किया जायेगा।

चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सों को इमरजेंसी रिसपॉन्स संबंधी विषयों जैसे मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट, पीएसएस, काउंसिलिंग, ट्रोमा हैंडलिंग, फर्स्ट एड आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

6. फर्स्ट रिसपॉन्डर्स (सिविल डिफैंस, होम गार्ड, एसडीआरएफ, एनएसएस, एनवाईके) को विशेष प्रशिक्षण

प्रभावित व्यक्तियों को तलाश एवं बचाव, अग्निशमन, पूर्व चेतावनी एवं निकासी, संचार, आपातकालीन संभार–तंत्र, भीड़ को काबू करना, सुरक्षा और पूर्व चेतावनी का प्रसार आदि कार्यों के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा।

7. एनजीओज, सीबीओज एवं सैल्फ हैल्प ग्रुप्स (एसएचजीज) का प्रशिक्षण

एनजीओज, सीबीओज और एसएसचजीज को समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, सहभागिता सुभेद्यता एवं जोखित विश्लेषण, पीआरए, तलाश एवं बचाव, अग्निशमन, पूर्वचेतावनी प्रसार, निकासी आदि कार्यों में प्रशिक्षित किया जायेगा।

8. आवासीय सोसाइटीज को जागरूकता, अग्निशमन, फर्स्ट एड और आपदाओं एवं उनके जोखिमों के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा।

9. मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षण

मीडिया कर्मियों के लिए आपदा प्रबंधन पर एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जायेगा। उन्हें आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका के महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।

10. स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण

अध्यापकों, छात्रों, माता–पिताओं और अन्य सहभागियों को स्कूल सुरक्षा, चाइल्ड–फ्रेंडली स्पेस, सहभागी सुभेद्यता एवं जोखिम विश्लेषण, स्वयं बचाव, फर्स्ट एड, अग्नि सुरक्षा, पूर्व चेतावनी के प्रसार आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा।

11. धार्मिक स्थलों पर प्रशिक्षण

मंदिरों, मस्जिदों, चर्च आदि धार्मिक स्थलों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे अपनी–अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं और टास्क फोर्स तैयार करें जिससे आपदा स्थिति का मुकाबला किया जा सके। इन टास्क फोर्स और प्रतिनिधियों को भीड़ प्रबंधन, तलाश एवं बचाव, सुरक्षा और संचार आदि विषयों में प्रशिक्षित किया जायेगा।

आपदा विशिष्ट प्रशिक्षण

कुछ आपदा विशिष्ट प्रशिक्षणों में आपदा के विभिन्न स्तरों पर होने वाले जोखिमों के बारे में विशेष ज्ञान एवं निपुणता की आवश्यकता होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य पूरी तरह निपुण कर्मचारियों के दलों का गठन करे जो आपदा विशिष्ट जोखिमों को कारगर तरीके से मुकाबला कर सकें। इस काम में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, संस्थाओं और विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है।

इस तरह के कुछ प्रशिक्षण निम्नलिखित है–

- आपदा स्थल पर फंसे लोगों की तलाश एवं बचाव
- रासायनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एवं नाभिकीय आपदाओं के प्रति रिसपॉन्स संबंधी प्रशिक्षण

मॉक डिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास

प्रशिक्षण के साथ–साथ यह भी महत्वपूर्ण है की मॉक ड्रिल और अनुरूपण के माध्यम से आपदा तैयारी के स्तर का प्रशिक्षण किया जाए।

सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, प्रमुख सरकारी इमारतों, सिनेमाघरों, स्पोर्ट्स क्लब और मैदानों और बड़े कॉरपोरेट हाउस में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ द्वारा मॉक ड्रिल किए जाएंगे जिससे यह पता चल सके कि सुरक्षा प्रणाली में क्या खामियां हैं। इसका एक उद्देश्य इन संस्थाओं का क्षमतावर्धन भी है जिससे जान–माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। इन मोक ड्रिल्स मे पुलिसकर्मी, अग्निशमनकर्मी, चिकित्सा दल, पैरामेडिकल्स, बचाव दल और विशेषज्ञ रिस्पांस दल भाग लेंगे। सभी सार्वजनिक स्थल

परिवहन केंद्र औद्योगिक इकाइयां और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान मॉकड्रिल और अनुरूपण अभ्यास के लिए उचित स्थान है। निजी कंपनियां एवं औद्योगिक इकाइयां भी अपनी अपनी ऑन साइड एवं ऑफसाइड आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेगी।

जिला पुलिस विभाग, होमगार्ड, सिविल डिफेंस कर्मी, अग्निशमन कर्मचारी आदि समय–समय पर विभिन्न आपदाओं के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे। अग्निकांड और भूकंप के लिए साल में कम से कम 2 बार मॉक ड्रिल आयोजित करना अनिवार्य है।

मॉक ड्रिल की सूची निम्नलिखित हैः–

- शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर मॉक ड्रिल और आपदा प्रबंधन की योजना
- मास केजुअल्टी मैनेजमेंट पर मॉक ड्रिल की योजना
- पर्यटन केंद्रों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा प्रणाली पर मॉक ड्रिल की योजना
- सार्वजनिक स्थानों एवं इमारतों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस अड्डे, सिनेमाघरों, माल मार्केट, पर्यटन स्थल, स्टेडियम, क्रीडास्थल, ऑडिटोरियम, सभागार, सरकारी कार्यालय आदि में मॉक ड्रिल की योजना
- ईओसी और संचार माध्यमों की क्षमता जानने के लिए मॉक ड्रिल
- विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल एवं अनुकूलता के परीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की योजना

एसईसी इस बात पर ध्यान देगी की विभिन्न आपदाओं पर मॉक ड्रिल आयोजित किए जाएं। यह अभ्यास इसलिए जरुरी है क्योंकि इससे जिला स्तर पर सभी सहभागियों को अपनी अपनी सही भूमिका का पता चलता है और विभिन्न आपदाओं की स्थिति में उनके आपसी तालमेल में सुधार आता है। जल एव जलवायु संबंधित आपदाओं के लिए मॉक ड्रिल विभिन्न सुभेद्य इलाको में बरसात का मौसम आने से पहले की जाती है। अन्य मामलों में समय समय पर किसी भी उचित स्थान पर यह मॉक ड्रिल किए जा सकते हैं।

पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश

एसडीएमएस / एसईसी, शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड के सहयोग से, यह सुनिश्चित करेंगे की आपदा सुरक्षा एवं तैयारी विषय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। विश्वविद्यालय एव स्वास्थ्य संस्थाएं अपने विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन लागू करेंगे। यह व्यवस्था गैर तकनीकी कार्यक्रमों में भी लागू की जाएगी।

राज्य की सभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय आपदा प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करेंगे।

चिकित्सा शिक्षा के डीएम संबंधित पहलुओं हादसा देखभाल महामारी नियंत्रण पैरामेडिक्स चिकित्सा तकनीशियन और टेलीमेडिसिन द्वारा आपातकालीन चिकित्सकीय देखभाल को स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा जिससे स्नातक चिकित्सक इस तरह की आपदाओं को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें।

जन जागृति

किसी भी तरह की आपदा में समुदाय सबसे पहले रेसपोण्ड करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आपदाओ की जानकारी एवं उनके प्रभाव से लोगों को अवगत कराया जाए। साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन की संकल्पनाओं के बारे में जानकारी दी जाए।

लोगों को जागृत करने के तरीके विकसित किए जाने चाहिए एवं उनका उपयोग किया जाना चाहिए। जिससे लोग किसी आपदा की स्थिति में अनुशासित और अफरा–तफरी रहित होकर एक प्रभावी संचार व्यवस्था का अनुपालन कर सके।

सूचना प्रसारण में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन सामुदायिक स्तर पर विभिन्न इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रणालियों एवं उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा।

विभिन्न इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रणालियां एवं उपकरण

- स्थानीय भाषाओं में जिंगल्स विकसित करना
- वीडियो स्पॉटस तैयार करना
- स्थानीय टेलीविजन एवं रेडियो पर डीडीआर पर पैनल डिस्कशन
- सामरिक स्थानों पर होर्डिंग लगाना
- पंचायत भवनों पर डिस्प्ले बोर्ड बैनर चित्रकला आदि लगाना
- डीडीआर दिवस मनाना
- पोस्टर पुस्तिका पंपलेट विज्ञप्ति आदि तैयार करना
- डीडीआर पर फोक मीडिया स्ट्रीट प्ले कलाजथा करना
- डीडीआर पर छात्र प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना

आम जनता तक पहुंचने के लिए जन जागृति कार्यक्रम जैसे वर्कशॉप, प्रदर्शनी, विशेष अभियान, रैली, फिल्म शो, आदि आयोजित किये जाएंगे।

जन जागृति के कार्य में सिविल सोसाइटीज/एनजीओज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों ओर क्रियाकलापों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ अच्छे रिकॉर्ड वाले एनजीओज का चयन किया जाए।

आपदा प्रबंधन के संबंध में सामान्य जानकारी देने के अलावा, डिजास्टर स्पेसिफिक जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, अगर किसी इलाके में रासायनिक फैक्ट्री बड़ी तादाद में है तो वहां के लोगों को रासायनिक एजेंट, उनके प्रतिकूल प्रभाव, एंटीडोट, उपचार और 'क्या करना चाहिए' एवं 'क्या नहीं करना चाहिए' आदि की जानकारी दी जानी चाहिए।

शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों, बुजुर्गों और महिलाओं को जागरुकता के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए।

कम्युनिटी–बेस्ड डिजास्टर मनेजमेंट (सीबीडीएम) प्रोग्राम

शिक्षा और प्रशिक्षण एक बारी प्रयास नहीं है। बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिससे समय–समय पर लोगों के ज्ञान और निपुणता की आधुनिकरण होता है। इसलिए सामुदायिक स्तर पर दीर्घकालीन कार्यक्रम

तैयार किए जाने चाहिए जिससे लोग आपदा जोखिमों से बेहतर तरीके से निपट सकें। इसलिए उनके अंदर 'रोकथाम' की संस्कृति का विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे सुरक्षित समुदायों का निर्माण हो सके। सीबीडीएम के माध्यम से जोखिम घटाने की परिकल्पना निम्नलिखित कार्यों में सहयोग करेगी :—

कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की नीतियों, योजनाओं और क्रियान्वयन को संस्थागत बनाना।

सूचना प्रसारण एवं जागृति पैदा करने के लिए लोगों के साथ गहन कार्यक्रम।

राज्य में सीबीडीएम कार्यक्रम को बढ़ावा आदि।

इस तरह के प्रोग्राम सामुदायिक समूह और अन्य सहभागियों की जोखिम एवं सुभद्यता का पता लगाने में मदद करेंगे। इससे उन्हें अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने और आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए तैयारी, रोकथाम एवं शमन संबंधी योजनाएं तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

एसडीएमए सीबीडीएम कार्यक्रमों को क्रियांवित करने के लिए योजनाएं तैयार करेगी जिनसे समुदायों को अपनी आपदा स्थिति, सुभेद्यता और क्षमताओं का पता लगाने में मदद मिलेगी। शुरुआत के तौर पर, राज्य सरकार, यूएनडीपी के सहयोग से, इन कार्यक्रमों को पहले ही शुरू कर चुकी है। डीडीएमए इन कार्यक्रमों को विस्तृत रूप देने के लिए प्रयास करेगी।

आपदा संबंधित उपकरणों की उपलब्धता

आपदा आने की शुरूआती अवस्था में लोगों की जानें बचाने में कारगर रिस्पांस प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा, रिपॉन्डर्स का ज्ञान एवं निपुर्णता और तलाश एवं बचाव ऑपरेशंस की प्रभावशीलता जरुरी उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन जरुरी उपकरणों की पहचान करके, रिस्पॉन्स द्वारा इन उपकरणों का सही समय पर प्रयोग रिस्पॉन्स ऑपरेशन के लिए बड़ा निर्णायक होता है। इसलिए इन उपकरणों का पूर्ण संग्रहण और इन तक आसान पहुंच बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ये उपकरण फर्स्ड रिस्पॉन्डर्स, जैसे अग्निशमन सेवा, पुलिस सिविल डिफेंस, स्टेज डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, चिकित्सा दल आदि को उनकी जरुरत के अनुसार उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

किसी भी आपदा की आपातकालीन लैंडिंग विशेष मशीनरी और उपकरणों पर निर्भर करती है। इसलिए आपदा प्रबंधन के सफल अभियान आधुनिक उपकरणों और आपदा स्थल पर उनकी उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

इन उपकरणों के संचालन और रख—रखाव के लिए एक विशेष प्रशिक्षण डिजाइन किया जाएगा और इन उपकरणों के संचालकों को उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जिलें में विशेष मशीनरी उपकरण और मानव शक्ति के प्रतिष्ठापक के माध्यम से इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ईओसी) का सशक्तिकरण किया जाएगा। इन सभी ईओसीज के पास इन उपकरणों की इन्वेंटरी उपलब्ध कराई जानी चाहिए और समय—समय पर उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए।

सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन

सभी सहभागियों तक आपदा से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए राज्य में वेबसाइट और पोर्टल शुरू किए हैं। इन पर सभी उपयोगी सूचनाएं एवं योजनाएं सहभागियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न

सहभागियों में रोकथाम की संस्कृति विकसित करने के लिए, राज्य इन विषयों पर फिल्म, नियमावली और अन्य दस्तावेज तैयार करने के लिए भी प्रयास करेगा।

उपर्लिखित प्रयासों के अलावा, सभी विभाग आपदा की पूर्व घटनाओं के बारे में सूचनाएं एवं दस्तावेजों का संग्रहण करेंगे। संदर्भ के रुप में इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की घटनाओं के बारे में अखबारों की क्लिपिंग्स, लेख और खबरें इकट्ठी की जायेंगी। विभाग सर्वोत्तम प्रयोगों की सफलता की कहानियां का भी प्रलेखन करायेंगे और उनको वेबसाइट, पुस्तिकाओं और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाएंगे।

अध्याय 8

राहत एवं प्रत्याक्रमण

आपदाऐं सामन्यतया बहुतीय गतीशील होती है तथा अफरा तफरी फैलाने वाली होती है। जिससे शारिरिक भावनात्मक एवं सामाजिक विकार पेदा होते है। अतः तुरन्त राहत के उपाय आवश्यक होते है। इन उपायो के मुख्य उद्देश्यों में जन जीवन की सुरक्षा सम्पत्ति की सुरक्षा तथा आपदा द्वारा हुए नुकसान से निपटना आदि शामिल है। प्रत्याक्रमण के अन्तर्गत आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात् आवश्यक उपायों को शामिल किया जायेगा। आपदा के दौरान चरण पूर्व चेतावनी संकेतों की प्रस्तुती के साथ शुरू होता है यही वो चरण है जिसमें आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को सर्वाधिक झेलना पडता है।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बचाव राहत और समुत्थान संबंधित कार्य करने की बुनियादी जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसी स्थिति में तुरन्त प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत ब्लॉक एवं नगर पालिका की होती है। अगर आपात स्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में आवश्यक संसाधनों की स्थानीय उपलब्धता आवश्यकता से कम है, तो जिला, राज्य तथा केन्द्र व अन्य अर्न्तराष्ट्रीय ऐजेनसियो से सहयोग लिया जा सकता है। साथ ही अन्य विभागो जैसे पुलिस, लोक निर्माण अग्निशमन, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, एम्बुलेन्स सेवा का घटना स्थल पर सहायता के लिए पहुंचना उनका दायित्व है।

यदि उपरोक्त विभागो से सहायता पहुंचने में देरी होने से रेस्पोन्स ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हो सकते है। इसलिए सभी संबंधित विभागो के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। आपातकालीन राहत कार्यो में अन्य प्रमुख्य रिसपॉन्डर्स जैसे सिविल डिफेंस, होम गार्डस, एनसीसी एनएसएस और एनवाईकेएस की सेवाओं का भी समायोजन किया जायेगा। जरूरत पड़ने पर सेना भी तैनात की जा सकती है।

इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम

यदि आपदा का विस्तार एवं प्रचंडता बहुत अधिक है तो जिला स्तर पर इंसिडेट रिसपॉन्स सिस्टम को सक्रिय किया जायेगा। यह निश्चित रूप से एक प्रबंधन प्रणाली है जो आपदा प्रबंधन के समय विभिन्न आपात कालीन कार्यो को प्रामाणिक तरीके से व्यवस्थित करने का काम करती हैं। दुर्धटना प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे संभारतंत्र, प्रचालन, सुरक्षा, मिडियाप्रबंधन, आदि में निपूर्ण व्यक्ति इसके अंग होते है। जो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होंगे। इंसिडेंट रिसपॉन्स टीम के सदस्यों में कमाण्ड स्टॉफ प्रमुख होता है, जिसकी निगरानी में समस्त प्रबंधन की प्रक्रियाएं संचालित होती है।

चेतावनी

किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने एवं उसके दुष्परिणाम से बचने के लिए चेतावनी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कारगर चेतावनी प्रणाली रेस्पोन्स ऑपरेनशन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा आपदा की संभाव्यता का शीघ्र अतिशीघ्र प्रसार अधिकाधिक लोगो तक पहुंचता है। ग्राम एंव जिले के मध्य प्रभावी संवाद के माध्यमों की व्यवस्था आवश्यक है। जिस हेतु स्थानीय प्रभावी व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों, (प्रधान, पंच, सरपंच, आदि), ग्राम स्तरीय कर्मचारियों (पटवारी, ग्राम सेवक, सचिव, आदि), धर्मगुरूओं, सामाजिक संस्थाओं के मुखिया तथा ग्राम में स्थित विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के मोबाईल नं0 पर एसएमएस के माध्यम से या वॉटस एप ग्रुप बनाकर त्वरित गति से संवाद स्थापित किया जा सकता है। जिन गांवों में संचार संबंधी माध्यम में व्यवधान है उन गांवो मे आपदा संबंधित मुनादी ढोल के माध्यम से करवाई जा सकती है।

रिसपॉन्स ऑपरेशंस का समन्वय

ऑपरेशंस के दौरान विभिन्न कार्यो का समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर समन्वय संसाधनों का उच्चतम उपयोग सुनिश्चित करता है। इसलिए संचालन कार्यो में द्विरावृत्ति से बचना जरूरी है। इसी वजह से इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम की आवश्यकता होती है। प्रभावी प्रबंधन और त्रुटि रहित निर्णय के लिए उचित इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर्स (ईओसीज) का होना जरूरी है।

आपदा प्रबंधन के कार्य में शामिल विभिन्न एजेंसियों में बेहतर तालमेल और उनको सौंपे गये कार्यो का क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर ऑथोरिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण वैधनिक दायित्व है। सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य सहभागियों के बीच समन्वय से सहक्रिया पैदा होती। सभी एजेंसियों और कर्मचारियों के एक साथ आने से बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित होता है।

मास कैश्जुअलिटी मैनेजमेंट

मास कैश्जुअलिटी इंसिडेंट30 एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें एक ही समय पर इतने रोगी पैदा होते हैं जिनके प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होते। इसके लिए अतिरिक्त आपातकालीन इंतजामों और सहायता की जरूरत पड़ती है। जबकि मास कैश्जुअलिटी मैनेजमेंट (एमसीएम) परस्पर जुड़ी हुई नीतियों, प्रक्रियाओं और योजनाओं का एक सुसंगत संगठन है जो मास कैश्जुअलिटी इंसिडेंट में घायल रोगियों की देखभाल के लिए क्षमता का वर्धन करता है।

बड़ी संख्या में हताहत करने वाली दुर्घटनाएं प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प एवं बाढ़ और मानवकृत आपदाओं जैसे सड़क, रेल एवं हवाई दुर्घटना, भगदड़, रासायनिक बहाव, अग्नि दुर्घटना, न्यूक्लियर रेडिएशन, बम विस्पफोट, आतंकवादी आक्रमण, महामारी आदि के कारण घटित होती है।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है बड़ी संख्या में हताहत लोगों के प्रबंधन के लिए असाधारण प्रयासों की आवश्यकता होती है और विभिन्न एजेंसियों एवं कमांड सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा किसी दुर्घटना के लिए पहले से तैयारी भी आवश्यक है।

एमसीआई के दौरान किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:

- चिकित्सकों और सुरक्षा एजेंसियों का एक संयुक्त दल संसाधनों की जरूरत और ऑपरेशन के स्तर का पता लगाने के लिए घटना स्थल का मुआयना करेगा।
- एमसीआई के मामले में, एक नियंत्रण संरचना का गठन किया जायेगा जो रिसपॉन्स का समन्वय और प्रबंधन करेगी।
- संसाधनों (मानवीय, सप्लाई एवं उपकरण) का संग्रहीकरण किया जायेगा। तुरंत संघटित होने के लिए प्रमुख सुविधा केन्द्रों पर विशेष अलार्म प्रणालियों की स्थापना की जायेगी।
- अगर जरूरत पड़ी तो रोगियों, परिवार के सदस्यों एवं मीडिया को ठहराने के लिए कुछ विशेष स्थानों का निर्धरण किया जायेगा जिससे ऑपरेशन ठीक तरह से चल सके।
- सुरक्षा व्यवस्था, फार्मेसी, खून की आपूर्ति और महत्वपूर्ण उपकरणों के रख–रखाव के लिए विशेष दल बनाये जायेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ये दल निकासी, रोगियों का स्थानांतरण और रोगियों एवं परिवारों को सामाजिक व मानसिक सपोर्ट देने का कार्य भी करेंगे।
- विभिन्न सुविधाओं और रिसपॉन्डिंग एजेंसियों के बीच तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर तालमेल के लिए विभिन्न सहभागियों के बीच निरंतर संवाद सुनिश्चित किया जायेगा।
- एमसीआई के मामले में यह जरूरी है कि लोगों तक सही सूचना और उचित मदद पहुंचाई जाय। पीड़ितों के परिवार और मित्रों की सहायता के लिए शिकायत केन्द्र खोले जायेंगे जिससे उन्हें अपने घायल परिवारी जनों को पहचानने, ढूंढने और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके।

स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एसईसी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी दुर्घटना से पहले एमसीएम के लिए निम्न लिखित कदम उठाये जायें।

- सभी जिलों में प्रमुख स्वास्थ्य सुविधओं की पहचान करना तथा जिला प्रशासन के साथ मिलकर उनको एमसीएम के योग्य बनाने के लिए योजना तैयार करना।
- विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा एजेंसियों एवं अन्य सहभागियों के सहयोग से एमसीएम के लिए क्षमतावर्धन संबंधी प्रयासों में जिला प्रशासन की मदद करना।
- सभी तरह की आपदाओं के लिए पहले से ही एसओपीज तैयार करना और राज्य की सभी प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाओं को उनमें सहभागी बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी जिला अस्पतालों के पास एमसीएम को हैंडिल करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों।
- आपाताकालीन एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका एवं दायित्वों का निर्धारण।
- अस्पतालों की तैयारी का समय–समय पर मूल्यांकन। तैयारी का स्तर, तालमेल में खामियों और क्षमतावर्धन के लिए जरूरतों का पता लगाने के लिए मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण किये जायेंगे।

रेपिड डैमिज असैसमेंट (आरडीए)

आपदा आने के तुरंत बाद जान–माल के नुकसान और घायलों की संख्या जानने के लिए रेपिड डैमिज असैसमेंट की आवश्यकता होती है। क्षतिपूर्ति मूल्यांकन के उद्देश्यों में बेहतर बचाव एवं राहत कार्यो के लिए संसाधन जुटाना, नुकसान के परिमाण की जानकारी लेना, आपदा की प्रचंडता आंकना और पुनर्निमाण एवं पुनःस्थापना के लिए योजना तैयार करना शामिल हैं।

रेपिड डैमिज असैसमेंट की प्राथमिकता में हालातों का तुरंत आकलन और नुकसान का परिमाण मालूम करना शामिल हैं जिससे कारगर राहत एवं बचाव कार्यो के लिए संसाधन मुहैया कराये जा सकें। आरडीए स्थानीय स्तर पर कराया जायेगा जहां आपदा घटित हुई है। आरडीए टीम का नेतृत्व स्थानीय दुर्घटना कमांडर करेगा और इसमें पटवारी, उपमण्डलीय अस्पताल का सीएमओ, लोक निर्माण विभाग का जूनियर इंजिनियर और कुछ स्थानीय लोग शामिल होंगे। आरडीए टीम नुकसान के आकलन की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर को सौंपेंगे। आरडीए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धरित प्रोफॉर्मा के अनुरूप किया जायेगा।

संचार व्यवस्था

आपदा प्रबंधन में कारगर रिसपॉन्स के लिए बेहतर संचार व्यवस्था बहुत जरूरी है। क्योंकि आपदाओं से संचार व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होती है, इसलिए आरक्षित संचार व्यवस्था (जिसमें पावर सप्लाई भी शामिल है) रिसपॉन्स प्रबंधन का आवश्यक हिस्सा है। सौर ऊर्जा से संचालित संचार व्यवस्था और वीएचएपफ एवं सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल, विशेष रूप से संकटकालीन स्थितियों में, पर भी विचार किया जाना चाहिए।

जनता का सहयोग

रिसपॉन्स ऑपरेशंस की सफलता के लिए आपदा रिसपॉन्स अधिकारियों और जनता के बीच आपदा सहयोग बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इस सहयोग की नींव जन–जागृति अभियानों जो आपदा तैयारी के जरूरी हिस्सा हैं, के दौरान रखी जानी चाहिए। हालांकि आपदा रिसपॉन्स और समन्वय ऑथोरिटीज को

याद रखना चाहिए कि प्रभावित जनता को सूचना देते रहना चाहिए। यह विशेषरूप से अभीष्ट रिसपॉन्स कार्य और राहत सप्लाई के मामलें में लागू होता है।

आपदोत्तर – रिसपॉन्स चरण

जैसा कि बताया जा चुका है, आपदोत्तर स्थिति के दो चरण होते हैं– रिसपॉन्स और समुत्थान चरण। रिसपॉन्स का तात्पर्य ''उन आपताकालीन सेवाओं एवं लोक सहयोग से है जो आपदा के दौरान या ठीक तुरंत बाद लोगों की जान बचाने, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए मुहैया कराई जाती है।

इसी चरण के दौरान प्रभावित पीड़ितों (जिन्हें बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है) को बुनियादी सुविधायें मुहैया कराई जाती हैं। इसी दौरान जीवनोपयोगी सेवाओं, जो आपदा के कारण ध्वस्त हो चुकी है, की पुनः स्थापना और मरम्मत भी की जाती है।

हालांकि बड़ी एवं दीर्घकालीन आपदाओं के मामलें में राहत कार्य अब भी चल रहे होते हैं।

आपदोत्तर स्थिति में कारगर रिसपॉन्स के लिए प्रमुख कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अनुभव से पता चलता है कि प्रभावी रिसपॉन्स मूलरूप से दो कारकों पर निर्भर करता हैः

- सूचना
- संसाधन

इन दो महत्वपूर्ण अवयवों के बिना अच्छी से अच्छी योजनाओं, प्रबंधन व्यवस्थाओं और विशेषज्ञ स्टाफ का भी क्रियान्वयन कठिन हो जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कारगर रिसपॉन्स के लिए आवश्यक वस्तुएं निम्न लिखित हैंः–

इमरजेंसी सपोर्ट फॅन्कशन (ईएसएपफ)

इमरजेंसी सपोर्ट फॅन्क्शन, जिसमें विभिन्न सपोर्ट एजेंसियां शामिल हैं, विशेष तरह के सहयोग से जो सभी तरह की आपदाओं के लिए सामान्य हैं, मुख्य एजेंसियों का प्रबंधन, समन्वयन एवं सपोर्ट करेगी। इमरजेंसी सपोर्ट फॅन्क्शन ईओसी का एक अभिन्न हिस्सा है।

प्रस्तावित ईएसएस जरूरी वस्तुओं की पहचान करेंगे, संसाधन जुटाएंगे एवं उन्हें प्रभावित इलाकों तक पहुंचाएंगे और जिला प्रशासकों की रिसपॉन्स कार्यवाही में मदद करेंगे। ईएसएफस अपनी कार्यवाही या तो किसी संभावित आपदा की चेतावनी मिलने पर शुरू करेंगे अथवा किसी दुर्घटना के अचानक घटित होने पर शुरू करेंगे।

शिविर प्रबंधन

आपदा की वजह से विस्थापित लोगों के लिए शिविर अस्थाई आवासीय व्यवस्था है।

एसईसी और जिला प्रशासन शिविर प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्य सुनिश्चित करेंगे।

आपदा की स्थिति में एक ही शिविर में विभिन्न समूहों के लोग होते हैं जिनकी आन्तरिक एवं बाह्रय सुरक्षा और मान–मर्यादा की रक्षा शिविर प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं, रीति–रिवाजों, शारीरिक और मानसिक जरूरतों के संदर्भ में हो सकती है।

पंजीकरण एवं आबादी

सभी शिविर निवासियों का डेटाबेस तैयार करना, जिसमें जनसांख्यिकीय विवरण जैसे प्रवेश और प्रस्थान का पंजीकरण, शिविर प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। हालांकि शिविरवासियों की संवेदनशील सूचनाएं गुप्त रखी जाती हैं।

सूचना प्रसार

वर्तमान स्थिति, स्वास्थ्य, कुल संख्या और अन्य पहलुओं के बारे में जरूरी सूचनाओं के आदान–प्रदान को समायोजित किया जायेगा।

समन्वय एवं प्रबंधन

शिविर प्रबंधन के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच उच्च स्तरीय समन्वय की आवश्यकता होती है। समन्वय में थोड़ी सी भी लापरवाही अव्यवस्था, हिंसा या जरूरी सेवाओं में बाधा का कारण बन सकती है। इसलिए शिविर प्रबंधन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।

संगठन एवं सहभागिता

शिविर में सारे क्रियाकलाप सहभागी तरीके से किये जाने चाहिए। बेहतर समन्वय और संगठन के लिए शिविरवासियों में से स्वयंसेवियों और प्रबंधकों का चयन बहुत ही उपयोगी हो सकता है।

शरणस्थल की योजना एवं पर्यावरणीय मामले

शरणस्थलों की योजना शिविर प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी व्यवस्था संभावित आबादी, बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं, प्रवेश एवं निकासी द्वारों की व्यवस्था, सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। पर्यावरणीय समस्याएं प्रत्येक शिविर का एक प्रमुख लक्षण है और शिविर के लिए स्थान चुनने से लेकर उसकी समाप्ति तक पर्यावरणीय मामलों को ध्यान में रखना चाहिए। भूमि कटाव और प्राकृतिक वानस्पतिक आवरण का ह्रास प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं। इनके अलावा भूजल प्रदूषण और मृदा प्रंदूषण भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। शिविर के अंदर और आसपास पर्यावरण का प्रबंधन वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से किया जाना चाहिए। शिविरवासियों के साथ मिलकर एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए जिससे प्राथमिकता वाले मामलों की पहचान की जा सके।

बुनियादी सेवाएं

बुनियादी सेवाएं जैसे जल, सैनिटेशन, हाइजीन और मल प्रबंधन की व्यवस्था शिविर प्रबंधन के प्रमुख अवयव हैं। इन कार्यो के लिए विशिष्ट एजेंसियों और दलों की सेवाएं ली जा सकती हैं। शिविरवासियों की सहभागिता और निष्पक्षता का भी ध्यान रखना चाहिए।

परिवर्ती शिक्षा

अगर शिविर के तीन या ज्यादा महीने तक चलने की संभावना हो तो वहां के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस काम के लिए स्थानीय अध्यापकों, युवकों और विशिष्ट एजेंसियों एवं विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए।

स्वास्थ्य सुविधाएं

शिविर में स्वास्थ्य एवं हाइजीन की उचित देखभाल करना शिविर प्रबंधकों की प्रमुख जिम्मेदारी है। इलाके में पायी जाने वाली मौसमी एवं चिरकालिक बीमारियों और पानी एवं वैक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों की निगरानी एवं इलाज की जिम्मेदारी चिकित्सकों के किसी विशेष दल को सौंप देनी चाहिए। शिविर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधओं की व्यवस्था होनी चाहिए जो सभी शिविरवासियों के लिए सुगम्य हों। समय–समय पर टीकाकरण एवं विसंक्रमण अभियान चलाये जाने चाहए। शिविर में स्वच्छ वातावरण रखने के लिए शिविरवासियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विशेष जरूरत वाले समूह

शिविर प्रबंधक की यह जिम्मेदारी है कि वह विशेष जरूरत वाले समूहों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करे। इन समूहों में गर्भवती महिलाएं, चिरकालीन बीमार, विकलांग, शिशु, बुजुर्ग, अनाथ और एचआईवी–एड्स से पीडित लोग शामिल हैं।

न्यूनतम मानदंड

आपदा रिसपॉन्स के लिए न्यूनतम मानदंड सुनिश्चित किये जाने चाहिए जिससे उसमें गुणवत्ता और जवाबदेही का भाव पैदा हो सके। आपदाओं से निपटने के लिए कुछ राष्ट्रीय मानदंड निर्धारित किये गये हैं जिनका पालन सभी संबंद्ध विभागों द्वारा किया जाता हैं। आईएनजीओज एवं एनजीओज ने स्पेयर डिजास्टर रिसपॉन्स मिनिमम स्टैन्डर्ड्स तैयार किये हैं जिनको दुनिया के कई देशों ने लागू किया है।

आपदा के दौरान स्कूल की इमारतों को अस्थाई राहत शिविरों के रूप में लम्बे समय तक इस्तेमाल करने से बच्चों की शिक्षा में बाधा पड़ती है। विभिन्न आपदा शमन परियोजनाओं के माध्यम से राहत शिविरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे धीरे–धीरे स्कूली इमारतों पर निर्भरता कम की जा सके।

डैमिज एंड नीड्स असेसमेंट

समुत्थान चरण में जिला स्तर पर नुकसान का विस्तृत निर्धारण किया जाना चाहिए। इसमें निपुण कर्मचारियों की सेवा ली जायेगी। इस निर्धारण का मुख्य उद्देश्य आपदा से होने वाले आर्थिक एवं वित्तीय नुकसान का आकलन करना है। इससे इमारतों, कृषि और सम्पत्ति के नुकसान का भी आकलन किया जायेगा। डीडीए टीम का नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर करेंगे। इसमें जिला राहत अधिकारी, सावजनिक निर्माण विभाग के इग्जेक्यूटिव इंजिनियर, प्रभावित जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिले में कार्यरत प्रमुख एनजीओज और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस टीम में बाह्रय पर्यवेक्षक भी होंगे जो क्रमशः राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य एटीआई के डीएमसी सेल से लिये जायेंगे। यह टीम नुकसान का आकलन एसडीएमए एवं राज्य एटीआई के डीएमसी सेल द्वारा निर्धरित फॉरमेट के आधार पर करेगी।

अध्याय 9

समुत्थान एवं पुननिर्माण

समुत्थान एवं पुननिर्माण आपदा प्रबन्ध का आखिरी चरण है। यह एक नये च्रक का वह चरण है जंहा समुत्थान एवं पुनर्वास का इस्तेमाल एक बेहतर सुरक्षा एवं ज्यादा समुत्थानशील समाज के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए पुननिर्माण की प्रकिया बहुत व्यापक होनी चाहिए, जिससे विपत्ति को अवसर में बदला जाना चाहिए। आपदा विरोधी कारको को समावेश करते हुए इसमे बेहतर पुननिर्माण निर्देशक सिद्वान्त के रूप में कार्य करेगा। इस चरण में सभी सहयोगियों के धेर्यशील एवं श्रमसाध्य प्रयासो की जरूरत है। प्रशासन– सहयोगीयों एवं समुदायों को इस चरण की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योकि समय के साथ साथ अत्यावश्यक का भाव भी विलुप्त हो जाता है। उचित तकनीक का चयन और प्रोजक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट किये जाने चाहिये जिससे यह स्थापित किया जा सके कि अपेक्षित परियोजनाओं को आपदाग्रस्त इलाके के लोगो के शारीरिक सामाजिक,सांस्कृतिक एवं आर्थिक वातावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा।

समुत्थान प्रक्रिया आपदा आने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है और यह आपदोत्तर चरण के राहत रिसपॉन्स एवं पुनर्वास कार्यो के साथ समायोजित हो जाती है। समुत्थान प्रकिया के अल्पकालीन एवं दीर्धकालीन उपाय हो सकते है। जिन क्षेत्रो को समुत्थान की आवश्यकता है वे निम्न लिखित हैः–

सामाजिक एवं आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियो को दूर करने के उपाय किये जाने चाहिए। साथ ही पिछडे और अगडे के बीच की आवश्यकताओं को भी दूर किया जाना चाहियैं ऐसे प्रयास किये जाने चाहिये जिनसे जीविकोपार्जन प्रणालीयों की व्यवहारिकता, शिक्षा स्वास्थ्य सुविद्याएं और बुर्जुगो महिलाओं और बच्चो की देखभाल संबधी कार्यो को बढावा मिल सके। अन्य पहलू जिन पर ध्यान देने की जरूरत है उनमें सडके, आवास, पेय जल, सैनेटरी,.ऋण की सुविद्या कृषि निवेश तकनीको का आधुनिकरण भण्डार प्रसंस्करण आदि शामिल है।

आवासीय सुविधा

इसमें आपदाग्रस्त क्षैत्र के ग्रामिण एवं शहरी इलाकों के सभी प्रभावित धरों की डिजाइन योजना एवं पुननिर्माण शामिल है। हालाकि दोंनो तरह के क्षेत्रों मे योजना प्रक्रियाएं अलग अलग होती है लेकिन दोनो के पुननिर्माण के बुनियादी सिद्वांतों में कोई अन्तर नही हें। डेमिज असेसमेंटस(आरडीए/डीडीए) जो आपदा के बाद राज्य के द्वारा किये जाते है, नुकसान के परिणाम और उसका मुकाबला करने के क्षमता का आकलन करने के लिए प्रयोग में लाये जाते है। उनके आधार पर प्रभावित लोगो के तुरन्त पुनर्वास के लिए अस्थाई या अर्ध–स्थाई मकानो का निर्माण किया जाता है। इन आवासीय इमारतों को विभिन्न वर्गों में बाटा जाता है जिससे मुआवजा पैकेज निर्धरित किया जा सके और यह मालूम किया जा सके। कि वे भविष्य में उपयोग के लिये सुरक्षित है या नही।

उचित निर्माण स्थाल का चयन करने के बाद बडी तादाद मे मकान बनाने के लिए निर्माण सामग्री और तकनीक भी बहुत महत्वपुर्ण है। लोगो की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए मकानो की डिजाइन आदि में सहभागी प्रक्रिया आपनाई जा सकती है। गुजरात, बिहार, कश्मीर एवं उत्तराखण्ड के हालिया अनुभवो से

पता चलता है कि ओनर ड्राइविन रिकस्ट्रक्शन (ओडीआर) प्रक्रिया लोगो के लिए उचित है। पुननिर्माण योजनाओं और मकानो की डिजाइन में सहभागी प्रक्रिया की जरूरत है जिसमें सरकार, प्रभावित समुदाय, एनजीओ, कॉरपोरेटर सैक्टर शामिल हो। पुननिर्माण कार्यक्रम सरकार द्वारा निर्धरित गुणवत्ता मापदण्डो के मुताबिक होने चाहिए।

हालाकि कम से कम समय में स्थाई मकान जरूरी सेवाएं और सामाजिक ढांचे की स्थापना के लिए दीर्धकालीन पुननिर्माण प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए। स्थायी पुननिर्माण के लिए मकानो आदि का निर्माण दो तीन साल के अन्दर हो जाना चाहिए। पुननिर्माण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन समर्पित लोगो की टीम तैयार करेगी।

बुनियादी सुविधाए

बुनियादी संवाए जैसे जल आपूर्ति, सेननिटेशन, सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट, सीवरेज आदि शीध्रातिशीध्र पूनः स्थापित की जानी चाहिए। विशेष एजेसियो/एनजीओज अ्रैर सीबीओज की सहायता से जल आपुर्ति और अस्थाई सेनिटेशन की वैकल्पि व्यवस्था की जानी चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए । इसमे पानी के स्टोरेज और वितरण के लिए अस्थाई इंफ्रास्टक्चर, टेंकर्स वेस्ट मेनेजेंट के लिए अस्थाई स्थानो का चयन एवं सैनिटेशन सुविधाए शामिल है । समाज के सुभेद्य वर्ग देहात में रहने वालो और विशेष जरूरत वाले समूहों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे पुनर्वास प्रकिया में वे पीछे न रह पायें।

दीर्धावधी में स्थानीय लोगो से विचार–विमर्श करके बुनियादी सेवाओ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह सुविधाऐं इतनी मजबूत हो कि भविष्य में आपदाओं का प्रकोप सह सके।

क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर

जीवन रेखा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली संचार और परिवहन का पुनर्स्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेस्पॉन्स एवं राहत कार्यक्रम पूरी तरह इन्ही सेवाओं पर निर्भर है। क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाईन एवं योजना सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखकर और क्षति नहीं पहुचाने वाली सोंच के साथ की जानी चाहिये।

अकसर सामाजिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि बुनियादी सेवाओं का पुर्नस्थापन कितना जल्दी किया जा सकता है। असफल होने पर दुरव्यवस्था, दंगे, बलकृत पलायन और सामाजिक वेदनाओं की स्थिति पैदा हो जाती है। मौलिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सेवाओं के पुर्नस्थापन के कुछ उपाय निम्नलिखित हैः–

बेहतर पुनर्निर्माण

विनाश हमेशा बेहतर और मजबूत इंप्रफास्ट्रक्चर बनाने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए समुत्थान प्रक्रिया बेहतर पुनर्निर्माण को ध्यान में रखकर शुरू की जानी चाहिए। भविष्य में आपदा की स्थिति में यह बेहतर तैयारी और कम से कम नुकसान सुनिश्चित करता है।

मास्टर प्लान

समुत्थान प्रक्रिया व्यापक क्षेत्रीय योजना को ध्यान में रखकर शुरू की जानी चाहिए। यह केवल स्थानीय विकास पर आधरित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समुत्थान प्रक्रिया का असर पड़ोसी इलाके के जीविकोपार्जन और रोजगार पर भी पड़ता है।

सहभागिता योजना

इंफ्रास्ट्रक्चर में संतुलित सुधार की आवश्यकता है या कम से कम लाभ भोगियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जरूरतों या उनकी अभिरुचियों के अनुरूप होना चाहिए।

प्राथमिकता एवं चरणबद्व विकास

दीर्घकालीन विकास योजनाओं में हमेशा प्राथमिकता युक्त कार्यो का समायोजन होता है जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सुभेधता एवं संकट कालीन सेवाओं के मामलों को वरीयता देती है। चरणबद्व विकास समुत्थान के शुरूआती चरण में हुई गलतियों को सुधारने में मदद करता है।

समन्वयन

विकास का मास्टर प्लान विभिन्न विकास एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वयन में सहायता करता है। योजना क्रियान्वयन को सहभागी तरीके से पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र और सीएसओज की सहभागिता को बढावा देना चाहिये।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा

आपदाओं के अनुभवों से पता चलता है कि आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। स्कूलो, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों, क्लिनिकों को आपदाओं से सुरक्षित बनाने के लिए यह जरूरी हे कि एक ऐसी संस्थागत प्रक्रिया ईजाद की जावे जिससे आपदाओं के दौरान जान, माल और इंस्फ्रास्ट्रक्चर को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जोखिम मूल्यांकन और जोखिम अल्पीकरण उपाय तैयार एवं क्रियान्वित किये जाने चाहिये। आपदाओं से होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए नई स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिये।

ज्यादा लम्बे समय तक स्कूली ईमारतों को अस्थायी राहत शिविरों के रूप में इस्तेमाल करने से बच्चों की शिक्षा में बाधा पडती है। विभिन्न आपदा शमन योजनाओं के माध्यम से राहत शिविरों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किये जाने चाहिये जिससे स्कूली ईमारतों पर निर्भरता कम की जा सके।

आजीविका की पुर्नस्थापना

क्षमताए, सम्पतिया (सामग्री और सामाजिक संसाधन) और जीने के लिए जरूरी सारे क्रियाकलाप आजीविका का हिस्सा होते हैं। वही आजीविका दीर्घकालीन मानी जाती है जो तनावों और आघातों का मुकाबला कर सके और वर्तमान एवं भविष्य में अपनी क्षमताओं और सम्पतियों को बरकरार रख सके।

जिला प्रशासन द्वारा आपदा पीडित लोगो की स्थायी आजीविका के पुर्नस्थापन पर विशेष ध्यान देगी। महिला प्रधान परिवारों, कारीगरों, किसानों और पिछडे एवं सुभेद्य वर्गो की जरूरतों पर भी ध्यान दिया जावेगा।

आजीविका की पुर्नस्थापना के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित है –

आजीविका अवसरों का विस्तारीकरण

आपदा परिणामों के बाद हमेशा यह मांग की जाती है कि तुरंत रोजगार के अवसर पैदा की जाये जिससे प्रभावित लोगों की आमदनी और आजीविका को स्थायित्व दिया जा सके। काम के बदले दाम, प्रभावित लोगो को मलबा हटाने एवं वेस्ट मेनेजमेंट के काम में लगाने से उन्हें तुरंत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते है। हालांकि आपदाग्रस्त क्षेत्र में आजीविका के तरीकों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों , स्किल्स और सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुये आजीविका की पुर्नस्थापना के प्रयासों में संतुलन की जरूरत है। सरकार इन क्षैत्रों में निवेश करने के लिए टेक्स में छूट और अन्य सुविधाऐं देकर उद्योगपतियों को फेक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित कर सकती है। जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सके।

आजीविका के वर्तमान साधनों का मजबूतीकरण

बाजारों की बेहतर सुगम्यता, तकनीकी सहायता और अन्य तरीको से आजीविका के वर्तमान साधनों को मजबूत किया जा सकता है।

पर्यावरण एवं दीर्घकालिक आजीविका

रोजगार के अवसर पैदा करने की प्रक्रिया में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। जिला प्रशासन आपदा पीडित लोगों की स्थायी आजीविका के पुर्नस्थापन पर ध्यान देगा। महिला प्रधान परिवारों, कारीगारों, किसानों और पिछडे एवं सुमेध वर्गो की जरूरतों पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

वित्तीय ढांचा

बैंक, डाकखाना, सरकारी खजाना, आयकर कार्यालय जैसे संस्थान भी आपदा सुभेद्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रक्षोपाय वाले छोटे बैंक विशेष रूप से आपदा सुभेद्य है। इन संस्थानों में डेटा, मुद्रा और दस्तावेजों की क्षति से लोगों की सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा खतरे में पड सकती है। इन महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आपदा से सुरक्षित रखने के लिए इनके पास मजबूत बेकअप सिस्टम और सम्पतियों की ढांचागत एवं गैर–ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिये। शीघ्र पुर्नवास के लिए समुत्थान प्रक्रिया को वित्तीय सेवाओं, जैसे छोटे एवं आसान ऋण के विस्तारीकरण पर ध्यान देना चाहिये। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की सहभागिता में बीमा एवं पुर्नबीमा को बढावा देना चाहिये, जिससे जोखिम में कटौती की जा सके। साथ ही स्थानीय भामाशाहों एवं सामाजिक संस्थाओं की मदद भी उपयोगी साबित होगी।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

आपदा के बाद समुत्थान प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण और पारिस्थितिकी को अकसर नजर अंदाज कर दिया जाता है जिससे स्थिति ओर बिगड जाती है। बडी आवासीय परियोजाऐं, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट और अन्य

समुत्थान सबंधित कार्यक्रमों का पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इसलिए यह जरूरी है कि समुत्थान प्रक्रिया के दौरान पारिस्थितिकी और पर्यावरण का ध्यान रखा जावें।

मलबा निकासी

किसी भयंकर आपदा के बाद मलबा निकासी एक प्रमुख काम है। आपदा गठित मलबों में मिट्टी, तलछट, वनस्पति (पेड–पौधे, शाखाऐं एवं झाडिया) म्युनिसिपल सोलिड वेस्ट (घरों का कूडा–करकट) निर्माण एवं तोडने का मलबा (ईमारेते एवं अन्य मटेरियल) वाहन (कार एवं ट्रक) और वाईट गुड्स (फ्रीज, वातानूकुलित) आदि चीजे होती है। यह मलबा प्रभावित ईलाकों तक पंहूचने में बाधाऐं उत्पन्न नहीं करती बल्कि तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों के फैलने में मदद करती है।

इसके अलावा औद्योगिक ईकाईयों रिफाईनरी और सीवरेज सिस्टम के क्षतिग्रस्त होने से दूसरी तरह के जोखिम पैदा हो जाते है। इससे जहरीले एवं ज्वलनशील पदार्थ पर्यावरण में फैल जाते है। जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इन परिस्थितियों में वेस्ट मेनेजमेंट सुविधाऐं अगर मौजूद है तो शीघ्र ही ध्वस्त हो जाती है।

पर्यावरण संघात मूल्यांकन

दीर्घकालीन समुत्थान प्रक्रिया के लिए पर्यावरण कानूनों को लागू करना जरूरी है। सभी एवं मध्यम एवं बडी एंव पुर्ननिर्माण एवं विकास योजनाओं का पर्यावरण संघात मूल्यांकन किया जाना चाहिये। और सभी पर्यावरणीय नियमों एवं विनियमों का क्रियान्वयन होना चाहिये ।

पर्यावरणानुकूल सामग्री एवं तकनीक

जैसा कि पुर्ननिर्माण समुत्थान प्रक्रिया का एक प्रमुख अवयव है। आपदोंपरांत पुर्ननिर्माण प्रक्रिया के पर्यावरण पर पडे प्रभाव का पता लगाने में सामग्री एवं तकनीक का चयन कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुर्ननिर्माण प्रक्रिया का स्थानीय संसाधानों और पारिस्थितिकी पर गहरा प्रभाव पडता है। और इसे रोका नही गया तो पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और आजीविका पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पडेगा। इसी तरह आजीविका की पुर्नस्थापना में भी पर्यावरण सम्बन्धी पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिये जिससे तेजी से रोजगार के अवसर मुहैया कराते हुये पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सके।

पारिस्थितिकी की पुर्नस्थापना

जंहा–जंहा पारिस्थितिकी को भारी क्षति पंहुची है, वंहा बहुक्षेत्रीय प्रबंधन प्रणाली बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न आजीविका और पर्यावरणीय पहलुओं के बीच की कडी को पहचाना जाये और उस पर ध्यान दिया जाये।

पारिस्थिति का समाकलित प्रबंधन

समाकलित प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग मुख्य रूप से जलसंभर, वनों, नदी–घाटियों आदि के प्रबंधन में किया जाता है। इसका ध्यान जलवायु परिवर्तन के स्वीकृतिकरण और आपदा जोखिम के अल्पीकरण की तरफ भी बढ रहा है। दीर्घकालीक आजीविका विकल्प तैयार करना इन प्रक्रियाओं का एक नया घटक है।

सम्पोषित पर्यटन

जैसा कि राजस्थान घरेलू एवं विदेशी सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा पर्यटन केन्द्र है। इसे प्रवर्धक एंव सम्पोषित पर्यटन के रूप में विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन विकास से पर्यावरण पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों और उससे होने वाले वित्तीय लाभ के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है।

शासन

शासन एक महत्वपूर्ण विषय है और आपदा प्रबंधन के मामले में इसके लिए बहुक्षैत्रीय एवं बहुसहभागी माध्यम की जरूरत है। इस लिए निम्नलिखित बातों को समझने और सम्बोधित करने की आवश्यकता है –

आपदा पीडितों के पुर्नवास, राहत और आपदा शमन के सम्बन्ध में निर्णय लेने के सभी पहलुओं में सहभागियों की हिस्सेदारी ।

आपदा के प्रति रेस्पॉन्स प्रक्रिया में खामियां और द्विरावृति मौजूद है। इसलिए ज्यादा सामंजस्य सुसंगति और सहयोग की आवश्यकता है जिससे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। मानव स्वास्थ्य, समाज और पर्यावरण पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किये जाने वाले उपायों को समायोजित और मजबूत करने की आवश्यकता है। इन उपायों मे ऋण, मुवाअजा एवं सुधार शामिल है।

अध्याय 10

जिला आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन

वर्तमान फंडिंग व्यवस्थाः–

आपदा पीड़ित लोगों की राहत सहायता के लिए नीति और फंडिंग प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परियोजनाओं में दी हुई होती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आायोग हर पांच साल में इनका पुनर्निरीक्षण करता है। वित्त आयोग का मुख्य दायित्व कर राजस्व को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित करना और राहत सहायता संबंधी नीति एवं उनके हिस्से के खर्च का निधार्रण करना है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर राज्य ने एक कलैमिटि रिलीफ फंड (सीआरएफ) स्थाापित किया है। कलैमिटि फंड का साइज वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह काम पिछले वर्षो में राहत कार्यो एवं पुर्नवास पर किये गये खर्चे को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस फंड में 75% योगदान केन्द्र सरकार का और 25% योगदान राज्य सरकार का होत है। प्रकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत सहायता सीआरएफ से दी जाती है। अगर आपदा बहुत बड़ी है जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है तो वह फंड नेशनल कलैमिटि कंटिजोंसि फंड (एनसीसीएफ) जो केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है में से दिया जाता है। जब इस तरह की मांग की जाती है तो ये जरूरतें एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। संक्षेप में, राहत एवं रिसपॉन्स संबंधी कार्यक्रमों के लिए देश में फंडिंग की संस्थागत व्यवस्था की गई है जो बहुत ही मजबूत और कारगर है। हालांकि आपदाओं की सूची और मानकों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और यह कार्य राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट (2005) के अनुसार वर्ष 2010–11 में कलैमिटि फंड का नाम स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फंड (एसडीआरएफ) और नेशनल कलैमिटि कंजिन्जेन्सी फंड का नाम बदलकर नेशनल डिजास्टर रिसपॉन्स फंड (एनडीआरएफ) कर दिया गया है। यहां एक नये फंड की भी व्यवस्था की गई है जिसका नाम स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) है।

नुकसान का आकलन करने वाली मुख्य एजेंसी डिस्ट्रिक्ट कलक्टर हैं। इस काम में विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, गृह, चिकित्सा, पशुपालन, वन, जल, आपूर्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु कल्याण आदि के कर्मचारी लगाये जाते हैं। नुकसान परिणाम का पता लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलक्टर प्रत्येक संबंधित कर्मचारी से रिपोर्ट मांगते हैं। अगर किसी क्षेत्र में फसलों को 33% नुकसान हुआ है तो उसे अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है।

एनसीसीएफ (एनडीआरएफ) के तहत दावेदारी प्रक्रिया

राज्य स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर्स की रिपोर्ट्स संकलित की जाती है और नुकसान के विवरण के आंकड़े केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ भेज दिये जाते हैं। जब एनसीसीएफ (एनडीआरएफ) से सहायता संबंधी निवेदन आते हैं तब केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक टीम उनका मूल्यांकन करती है और इसके बाद एक उच्च–स्तरीय कमेटी द्वारा वह पास किये जाते है।

क्षमता–वर्धन के लिए फंड

आपदा प्रबंधन में प्रशासकीय तंत्र के क्षमता–वर्धन के लिए केन्द्र सरकार ने पांच साल तक (वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15) 6 करोड़ सालाना देने का प्रावधान किया गया था। है। यह फण्ड क्षमता–वर्धन नाम अध्याय में वर्णित कार्यक्रमों और रेडियो, प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जन जागृति, प्रशिक्षण और आईईसी मैटेरियल के उन्पादन एवं प्रसार पर खर्च किया गया।

रिवॉल्विंग फंड

वर्तमान में क्षमता वर्धन फण्ड के स्थान पर रिवॉल्विंग फण्ड राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। इस फण्ड के तहत झालावाड़ जिले को प्रतिवर्ष 10.00 लाख रू. दिये जा रहे है। इस फण्ड का उपयोग क्षमता–वर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों जैसे रेडियो, प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जन जागृति, प्रशिक्षण और आईईसी मैटेरियल के उत्पादन एवं प्रसार पर किया जाता है।

आपदा तैयारी कार्यक्रमों के लिए फंड

बारहवें वित्त आयोग ने आपदा तैयारी एवं शमन कार्यो को राज्य योजना का हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी। अभी तक आपदा तैयारी कार्यक्रमों के लिए फंड का कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य द्वारा फंडिंग व्यवस्थाएं

उपरोक्त प्रावधानों के अलावा, राज्य ने भी फंड स्थापित किया है। जिसका नाम है राजस्थान राहत कोष (आरआरके) जिसके लिए शुरूआती तौर पर 6 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है और आगामी वर्षो में इसमें 25 लाख रूपये सालाना डाले जायेंगे। इस फंड का इस्तेमाल उन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्यो के लिए किया जायेगा जिसके लिए फंडिंग का कोई दूसरा प्रावधान नहीं है (जैसे बोर वैल्स में फंसे बच्चों को निकालने के लिए खुदाईं आदि कार्य)। सांसद, विधायक एवं अन्य लोग इस फंड में अपना योगदान दे सकते हैं। आपदा राहत के लिए मुख्यमंत्री कोष का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इस फंड में योगदान देने के लिए जनता से अपील की जाती है।

जिला स्तर पर फंडिग व्यवस्थाएं

जिले में किसी भी प्रकार की घटना/आपदा की स्थिति में तहसील स्तर से प्रकरण तैयार किया जाकर मय अभिशंषा के जिला कलक्टर कार्यालय को भेजा जाता है। इस प्रकरण में जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाकर आपदा प्रबधंन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर से ऑन–लाईन बजट की मांग की जाती है। बजट प्राप्त होने पर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

अन्य फंडिंग व्यवस्थाएं

आपदा की स्थिति में जिले के भामाशाहों, सामाजिक संस्थाओं से भी तत्काल राहत दिलाये जाने के उद्देश्य से मदद हेतु अनुरोध किया जाता है।

अध्याय 11

जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण

आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी एवं आधुनिकीकरण

वर्तमान आपदा प्रबंधन योजना में प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना निम्न लिखित परिकल्पनाओं पर आधरित होगीः—

जिले की आपदा प्रबंधन योजना एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। आपदा प्रबंधन प्लान जिले में सभी आपदा प्रबंधन योजनाओं का सार और संकलन फल है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य पेयजल एवं सेनिटेशन, शहरी विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग और जिला परिषद विभाग आदि शामिल है। साथ ही अग्निशमन सेवा और नगर परिषद एवं पालिकाऐं भी इसका अभिन्न अंग होती है।

ये योजनाएं तभी कारगर साबित होगी जब संगठनात्मक रूप से यह कार्य करेंगी तथा आपातकालीन स्थिति में विशेष रूप से निचले स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाऐं समन्वय के साथ कार्य करें। इस हेतु स्वंय सेवी संस्थाओं पर भी जोर दिया जाना चाहिए।

स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी क्षेत्र की भागादारी पर जोर दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक और मानवकृत आपदाओं के सभी चरणों में आपात प्रबंधन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।

जिले आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जिला कलक्टर के नेतृतव में संचालित जिला आपदा प्रबंधन समिति की है, जिसमें निरन्तर अधतन किया जाना चाहिए।

प्रत्येक अधतन एंव आधुनिकीकरण के बाद दस्तावेज की प्रतिलिपि जिले में आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी सहभागियों को दी जानी चाहिए, जिससे समय समय पर सभी सहभागी ऐजेन्सियां अपने स्तर की समुचित तैयारी कर सके।

जिला आपदा प्रबंधन योजना का नियतकालिक आधुनिकीकरण

आपदा प्रबंधन गतिशील होता है। जमीनी हकीकतें, बदलती आबादी और उसकी विशिष्टताएं, आपदाओं से निपटने की सरकारी प्रणालियां डीडीएमपी की कार्यसाध्कता का निर्धरण करती है। समय—समय पर योजना की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण किया जायेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 (5) के अनुसार डीडीएमपी की सालाना समीक्षा और आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

तैयारी का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करने और किसी भी विस्तार एवं तीव्रता वाली आपदा का मुकाबला करने के लिए राज्य का पर्याप्त एवं तकनीक द्वारा संचालित हैजर्ड, रिस्क एंड वलनरेबिलिटी असैसमेंट (एचवीआरए) किया जायेगा। एचवीआरए के परिणामों के आधर पर डीडीएमपी की समीक्षा की जायेगी और उसमें व्यापक संशोधन किये जायेंगे।

हालाकिं योजना के प्रासंगिक अनुभागों की समीक्षा और सुधरीकरण हर साल किया जायेगा, लेकिन योजना व्यापक संशोधन पांच साल में एक बार किये जायेंगे। जिला स्तर पर प्रमुख कर्मचारियों के बार—बार तबादलों को ध्यान में रखते हुए, यह जरूरी है कि प्रमुख विभागों के संपर्क अधिकारियों के बारे में मासिक अपडेट्स को योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जायें। इसी तरह, उपकरणों की सूची के तिमाही अपडेट्स डीडीएमपी का अभिन्न हिस्सा बनाये जायें।

आपदा प्रबंधन के क्रियान्वयन की स्टेट्स रिपोर्ट

जिला, ब्लॉक, नगरपालिका और ग्राम पंचायत स्तरों पर डीडीएमपी का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जमीनी स्तर पर योजना में उल्लखित प्रणाली को किस स्तर तक प्रयोग में लाया जाता है। सभी स्तरों पर प्रशासन, सभी विभाग, एजेंसियां और सहभागी योजना में दिये गये अपने–अपने उद्देश्यों को पहचान कर अपनी–अपनी योजनाएं तैयार करेंगे। प्रत्येक विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों का दायित्व योजना तैयार करना और उसका उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उसकी स्टेटस रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसकी एक प्रतिलिपि डीएमएंडआर को सौंपी जायेगी।

क्रियान्वयन स्टेटस रिपोर्ट में आपदा शमन के सभी चरणों में (आपदा पूर्व, दौरान और बाद में) प्रयोग में लाई गई मानवशक्ति, सभी कार्यक्रमों पर खर्च की गई रकम, प्रशिक्षण और अन्य क्षमता–वर्धक कार्यक्रमों, तकनीक और आपदा तैयारी एवं शमन उपायों के लिए इस्तेमाल किये गये संसाधनों का विस्तृत विवरण दिया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा तैयार की गई क्रियान्वयन स्टेटस रिपोर्ट विभागों के प्रमुखों द्वारा अनुमोदिक की जायेगी और डीएम एंड आर के सचिव को भेजी जायेगी। अनुभवों के आधार पर सभी विभाग सालाना इस योजना की समीक्षा कर सकते हैं और उसमें जरूरी सुधार कर सकते हैं।

आपदोत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया

आपदाएं हमेशा अप्रत्याक्षित होती हैं। प्रत्येक आपदा में जान–माल का भारी नुकसान होता है। और प्रत्येक आपदा कुछ अन्तराल के बाद पुनः घटित होती है। किसी आपदा से मिली सीख से हमें किसी दूसरी संभावित आपदा के शमन की योजना तैयार करने में मदद मिलती है। आपदा के मामलें में एसईसी हर छोटी–बड़ी आपदा का डेटा इकट्ठा करती हैं। आपदोत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया विशेषज्ञों, प्रोपफेशनल्स और शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की जाती है और इकट्ठे किये गये आंकड़े पुनः जांच के बाद राज्य और जिला ईओसी में भविष्य में संदर्भ के लिए प्रलेखित किये जाते हैं। यह दस्तावेज आपदा शमन, तैयारी, रिसपॉन्स, समुत्थान और पुनर्वास संबंधी सभी उपायों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

परामर्श प्रक्रिया

जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी विभागों, सिविल सोसाइटी, एनजीओ और प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच परामर्श प्रक्रिया ही आपदा योजना में सुधर और संशोधनों का आधार बनती है। इसी तरह, जरूरतों के अनुसार डीडीएमए डीडीएमपी को अपडेट करेगा।

अध्याय 12

समन्वयन और क्रियान्वयन

सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबंधन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगा। जिला स्तर पर समन्वय के लिए सभी सरकारी विभागों और अन्य सहभागियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जिसके लिए कुछ साधन पहले से ही उपलब्ध हैं। विभिन्न राज्यों, विभागों और सहभागियों के बीच बेहतर समन्वय स्थावित करने में इंडियन डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (http://idrn.gov.in)

विभिन्न विभागों और एजेसियों के साथ समन्वय

किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा रिसपॉन्स किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते हैं। फिर भी, इस काम में कई अन्य एजेंसियां भी शामिल होती हैं। आपात सेवाएं हमेशा तैयार अवस्था में रहती हैं। जिससे तुरंत रिसपॉन्ड कर सकें और स्थानीय प्रशासन एवं अन्य सेवाओं को शीघ्रतिशीघ्र अलर्ट कर सकें। सभी विभाग जिन्हें आपदा की स्थिति में तुरंत कार्यवाही करनी होती है उसके पास जरूरी संसाधन होते हैं जिन्हें आपदा की स्थिति में तुरंत सक्रिय किया जा सकता है। ये व्यवस्थाएं स्पष्टतः स्थापित की जायेगी और उनका प्रसार किया जायेगा।

हालांकि विभिन्न आपात सेवाएं जैसे पुलिस, अग्नि शमन और अस्पताल अनिवार्य हैं, लेकिन आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिए कुछ लोक उपयोगी सेवाओं जैसे स्थानीय संस्थाएं, रेलवे, हवाई सेवा आदि का सहयोग भी जरूरी है। ये सभी एजेसिंयों अलग अलग संस्थाऐं है, उनमें अलग अलग पदक्रम है, अलग अलग नियंत्रण आथोरिटीज और अलग अलग दायित्व है। अगर बचाव एवं समुत्थान कार्यो को बेहतर अंजाम देना है तो इस सभी विभागों और एजेंसियों को मिलकर बेहतर तालमेल के साथ काम करना जरूरी है। इसलिए इन सभी को एक–दुसरे की कार्यसीमाओं और जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। योजना स्तर पर इन विभागों और एजेंसियों के बीच गहन विमर्श एवं सहमति और उनको निचले स्तर के कर्मचारियों तक पहुंचाना एवं क्षमतावर्धन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें दूसरों की जिम्मेदारियों के साथ–साथ अपनी जिम्मेदारी और भूमिका पता चलेगा। और आपदा स्थिति में जरूरत पड़ने पर विभिन्न सेवाओं का सहयोग लिया जा सकेगा, बिना किसी द्विरावृति के।

अनुलम्ब एवं क्षैतिज संबंध स्थापित करना

आपदा प्रबंधन में संलग्न विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय उनको दिये गये कार्यो के क्रियान्वयन के लिए एक आवश्यक जिम्मेदारी है। आपदा स्थिति में व्यावहारिकता, पारदर्शिता, अनुक्रम और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिला आपदा प्रबंधन योजना, आपदानुसार कार्ययोजना तैयार की गई है। इसलिए यह आपदा प्रबंधन जिला सेल सभी विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर अनुलंब एवं क्षैतिज संबंध एवं समन्वयन सुनिश्चित करता है।

हालांकि यहां यह बताना जरूरी है कि समन्वयन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और किसी एक स्थिति तक सीमित नहीं है। विभिन्न सरकारी विभागों एवं अन्य सहभागियों के बीच समन्वय से सहक्रिया पैदा होती है जो बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। इसलिए बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय जरूरतों के मुताबिक छोटा–मोटा परिवर्तन करना बड़ा आसान होता है।

वार्षिक रिपोर्ट

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में डीएम एंड आर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करता है। इस सालाना रिपोर्ट में पूर्व वर्ष के दौरान डीएम एंड आर द्वारा किये गये सभी कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे।

आपदा प्रबंधन के लिए डीएमएंडआर के उद्देश्यों और विजन का विवरण
भौतिक एवं वित्तीय दृष्टि से सालाना लक्ष्य एवं उपलब्धियां
पूर्व वर्ष में क्रियान्वित कार्यक्रम
अगले वर्ष के लिए योजना
अन्य जरूरी सूचना यदि कोई हो तो

आपदा प्रबंधन योजना का संस्थापन

सभी विभाग अपना–अपना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो आपदा प्रबंधन में अपने–अपने विभागों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के लिए जिम्मेदार होंगे। ये मनोनीत अधिकारी अपने–अपने विभागों के लिए कन्टेन्जेन्सी प्लान तैयार करेगे। आपदा प्रबंधन और ईओसी के क्रियान्वयन के दौरान ये अधिकारी मुख्य संपर्क का कार्य भी करेंगे।

सरकारी विभागों और अन्य सहभागियों की क्रॉसकटिंग क्रिया कलाप

आपदाएं विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जिससे लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। विकास प्रक्रिया और विकास के मॉडल का चयन कभी–कभी आपदा जोखिमों की तरफ धकेल देता है। इस समय देश में आपदा प्रबंधन प्रणाली में भारी बदलाव हो रहा है। नई सोच यह है कि दीर्घगामी विकास के लिए आपदा शमन योजना को विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाना जरूरी है। नई नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आपदा शमन योजनाओं पर किया गया निवेश आपदा राहत और पुनर्वास पर किये जाने वाले खर्च से काफी कम है।

सरकारी के सभी प्रमुख विभाग और सेवा मुहैया कराने वाले विभाग जिला एवं पंचायत स्तर पर तमाम विकास परियोजनाएं चलाते हैं। उदाहरण के लिए कृषि विभाग किसानों को बेहतर कृषि प्रणालियों के बारे में प्रशिक्षित करता है। इसी तरह, राज्य स्तर पर डीएमएंडआर ऐसी प्रक्रियाएं विकसित करता है जहां किसानों को दी जाने वाली सूचनाएं आपदा तैयारी से संबंधित होती हैं। यह काम कृषि स्टाफ और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करके किया जा सकता है। इस तरह कृषि–विस्तार कर्मचारी आपदा प्रबंधन के बेहतर फील्ड एम्बेसडर के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह बात सभी विभागों पर लागू होती है। क्षमता–वर्धन भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह सिचांई और लोकनिर्माण विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में समायोजित करने से आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।

राज्य एवं जिले में अनेक एनजीओ और कॉरपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कई सामाजिक विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं। जिला इन क्षेत्रों से आग्रह करेगा कि वे अपने सामाजिक विकास के कार्यक्रम के उद्देश्यों में आपदा प्रबंधन प्रयासों को भी समायोजित कर लें। जिला क्षमता–संवर्धन के कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास करेगा।

अध्याय 13

उपसंहार

आपदाओं को रोकने या आपदा की स्थिति में उसका बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना एक संस्थागत प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। नोडल विभागों से उम्मीद की जाती है कि वे आपदा की स्थिति या सम्भावना के मद्देनजर अपने–अपने कन्टेन्जेन्सी प्लान के अनुसार स्वयं कार्यवाही शुरू करें या उच्च अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही करें। आपदा की स्थिति में, तुरंत बचाव एवं राहत अभियान अत्यन्त आवश्यक है। हालांकि, बेहतर तैयारी एवं शमन उपायों से आपदा से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वास्तव में यह पहले देखा जा चुका है कि जब भी बेहतर तैयारी संबंधी उपयों पर ध्यान दिया गया है वहां आपदाओं से जान–माल को नुकसान काफी हद तक कम हुआ।

परिशिष्ट नं. 1 दूरभाष नम्बरों की सूची

जिला स्तरीय एवं अन्य अधिकारियों के दूरभाष की सूची जिला,झालावाड़

क0सं0	पद	कार्यालय	निवास एवं मोबाईल
1.	जिला कलक्टर	230403, 230404	230401, 230402
2.	अति.जिला कलक्टर	230459	230460
3.	मुख्य कार्य0 अधि0 (जिला परिषद) झालावाड़	230434	230995
4.	अति0मु0कार्य0अधि0,जि0परि0	230437	
5.	उपखण्ड अधिकारी झालावाड़	230457	230458
6.	मुख्य आयोजना अधिकारी	230447	233202
7.	परि0प्रबंधक, डीपीआईपी	233214	233329
8.	कोषाधिकारी	230439	
9.	जिला सूचना व विज्ञान अधि0 (डी0आई0ओ0)	230310	
10.	जिला रसद अधिकारी	230445	232980
11.	सूचना एवं जन सम्पर्क	230448	
12.	सहा0 निदेशक बीमा	232592	
13.	अल्प बचत अधिकारी	230256	
14.	वाणिज्य कर अधिकारी	232560	
15.	आबकारी अधिकारी	232651	
16.	जिला परिवहन अधिकारी	232307	
17.	मुख्य प्रबंधक रोडवेज	231147	232471
18.	समाज कल्याण अधिकारी	231215	
19.	परि0 प्रबंधक, एससीडीसी	232129	
20.	बाल विकास परि0 अधि0	241300	
21.	उप निदे0 महिला वि0अभि0	231771	
22.	श्रम कल्याण अधिकारी	232228	

23.	महा प्रबंधक, उद्योग केन्द्र	231196	
24.	रीजनल मैने0 रीको	231358	231357
25.	मैनेजर वित्त निगम	232219	232410
26.	सहा0महाप्रबंधक, नाबार्ड	233380	233380
27.	लीड बैंक अधि0	232295	
28.	एम0डी0,के0 सहकारी बैंक,झा0पाटन	233089,233090	231395,
29.	सचिव, भूमि विकास बैंक	232573	
30.	नियोजन अधिकारी	232318	
31.	जिला सांख्यिकी अधि0	232425	233202
32.	निजी सहायक, कलक्टर	230403,230404	230164, 231120
33.	निजी सहायक, कलक्टर	230403,230404	230188
34.	सहा0 रजि0 सह0 समिति	232558	
35.	विशेष लेखा परीक्षक		
36.	समन्वयक,नेहरु युवा केन्द्र	232304	

चिकित्सा विभाग

1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	230009	230453
2	डीन, मेडिकल कॉलेज	233388	233892
3	अधीक्षक, हॉस्पिटल, झालावाड़	233277	
4	उप मु0चिकि0 प0क0	232346	230018
5	प्रभारी टी0बी0 क्लिनिक	232687	
6	उप निदे0 पशुधन अधि0	232434	230122
7	जिला आयुर्वेद अधिकारी	232249	

पुलिस विभाग

1	पुलिस अधीक्षक	230410	230411
2	अति0 पुलिस अधीक्षक	230010	230011
3	उप पलिस अधीक्षक	230407	230463
4	उप अधीक्षक जैल	231306	232779
5	सी0आई0 कोतवाली	230464	230464

वन –कृषि एवं माईन्स

1	वन मण्डल अधिकारी	232230	231131
2	सहा0 अभियंता, माईन्स	232414	
3	उप निदेशक कृषि	232345	232609
4	सहा 0 निदेशक कृषि	232343	240051
5	कृषि विज्ञान केन्द्र	230504	230505
6	सहा0 निदेशक फलोद्यान	232658	
7	उप निदेशक वाटरशेड	232130	231476

विद्युत निगम

1	अधीक्षण अभियंता	230030	230042
2	अधिशषी अभियंता	230452	230451
3	अधिशाषी अभियंता 220 केवी	232271	232271

जनस्वा0 अभियांत्रिकी विभाग

1	अधीक्षण अभियंता	232285	232812
2	अधिशाषी अभियंता	230454	231190

3	सहा0अभि0 ड्रिलिंग एंड हैण्डपंप	232251	
4	सहा0अभि0 भूजल विभाग	232684	
5	कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक	232684	231874

सिंचाई विभाग

1	अधीक्षण अभियंता सिंचाई	231059	232374
2	अधिशाषी अभियता सिंचाई	232349	232379
3	अधि0 अभि0 छापी परि0	232372	232821
4	अधि0 अभि0 चंवली परि0	232229	231760
5	अधि0अभि0 सर्वे व अनुसंधान	233309	

सार्वजनिक निर्माण विभाग

1	अधीक्षण अभियंता	233336	230450
2	अधिशाषी अभियंता	230449	
3	अधिशाषी अभियंता नेश0हाईवे	232145	
4	उद्यान निरीक्षक		

शिक्षा विभाग

1	जि0शिक्षा अधि0 माध्य0	232338	231201
2	जि0शिक्षा अधि0 प्रारंभिंक	232283	232194
3	प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़	232315	231232
4	प्राचार्य राजकीय बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़	232415	
5	जिला समन्वयक, डीपीईपी	233183	222415, 233140
6	प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय झालावाड़	233388	233788

7	प्राचार्य डाईट झालरापाटन	240129	
8	अधीक्षक, आईटीआई झालावाड़	231314	
9	जिला साक्षरता अधिकरी झालावाड़	232574	

केन्द्रीय कार्यालय

1	आयकर अधिकारी	231171	230078 मो0
2	अफीम अधिकारी	232311	
3	सहा. गुप्तचर अधि.	232657	
4	श्री एमआर जैन प्रभारी आकाशवाणी	232593, 232641	230413
5	प्रभारी दूरदर्शन	2232321	231160
6	प्रधान डाकघर	2232359	
7	दूर संचार अभियन्ता	231500, 230497	231501
8	एस0डी0ओ0 झालावाड़	230457	230458
9	एस0डी0ओ0 अकलेरा	07431—222203	222242
10	एस0डी0ओ0 भवानीमंडी	07433—222198	222278,
11	एस0डी0ओ0 पिडावा	04734—258453	258453
12	एस0डी0ओ0 गंगधार	04735—284500	
13	एस0डी0ओ0 खानपुर	07430—260400	261401
14	एस0डी0ओ0 मनोहरथाना	07431—274712	274713
15	तहसीलदार, झालरापाटन	07432—240268	240268
16	तहसीलदार पचपहाड़	07433—222085	222085
17	तह0अकलेरा	07431—222207	222207
18	तह0 पिड़ावा	07434—258237	258237
19	तह0 गंगधार	07435—244229	44229

20	तह0 मनोहरथाना	07431—274000	274000
21	तह0 खानपुर	07430—261221	261221
22	तह0 असनावर	04732—244447	244005
23	ना0 तह0 सुनेल	253827	
24	ना0तह0 डग	280204	
25	पंचायत समिति झालरापाटन	240026	
26	पंचायत समिति बकानी	245058	245359
27	पंचायत समिति खानपुर	261251	261251
28	पंचायत समिति सुनेल	253223	253366
29	पंचायत समिति डग	233324	233325
30	पंचायत समिति मनोहरथना	274226	274226
31	चेयरमेन झालावाड़	231136	
32	चेयरमेन झालरापाटन	240025	
33	चेयरमेन न0पा0, पिड़ावा	258566	
34	चेयरमेन न0पा0 भवानीमंडी	222033	222127
35	चेयरमेन न0पा0 अकलेरा	272033	
36	आ0 न0पा0 झालावाड़	231136	320797
37	आ0न0पा0, झा0पाटन	240025	
38	ई0ओ0,न0पा0, पिड़ावा	258566	
	ई0ओ0,न0पा0, भवानीमंडी	222033	

बैंकर्स्

1	एम0डी0 कोपरेटिव बैंक	240290	240273
2	मैनेजर सेंट्रल बैंक	232309	

3	मैनेजर एस0बी0बी0जे0	231477	
4	मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक	231139	
5	मैनेजर हाड़ौती ग्रामीण बैंक	230196	
6	मैनेजर राजस्थान बैंक	130021	
7	मैनेजर सहकारी बैंक	232551	
8	मैनेजर एल0आई0सी0	232433	
9	एल0बी0ओ0	232295	
10	मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस	231216	
11	मैनेजर यूनाईटेड इंश्योरेंस	232501	232498
12	मैनेजर,ऑरियंटल बैंक पाटन	240984	
13	मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक पाटन	240750	

कृय मंडी व कय विकय सह0स0

1	कयविकय सह0स0 झालावाड़	232238	वेयर हाउस झा0पाटन	
2	कयविकय सह0स0 झा0पाटन	240179	कृषिउपजमंडी झा0पाटन	240023
3	कयविकय सह0स0 अकलेरा	272348	कृषिउपजमंडी खानपुर	261225
4	कयविकय सह0स0 भवानीमंडी	222230	कृषिउपजमंडी अकलेरा	272228
5	कयविकय सह0स0 खानपुर	261211	कृषिउपजमंडी भ0मंडी	222058
6	कयविकय सह0स0 चौमेहला	284240		

उप अधीक्षक पुलिस

1	उप अधीक्षक	झालावाड़	230407	230463
2	उप अधीक्षक	भवानीमंडी	223306	222067
3	उप अधीक्षक	अकलेरा	272210	272835
4	उप अधीक्षक	खानपुर	261116	261116
5	उप अधीक्षक	मनोहरथाना	274034	
6	उप अधीक्षक	गंगधार	284100	
7	उप अधीक्षक एससीबी		232846	
8	उप अधीक्षक एक्साईज		232651	

थानाधिकारी

पद	एसटीडी	कार्यालय	मोबाईल
थाना सदर झालावाड	07432	240013	9530417003
थानाधिकारी कोतवाली	07432	230464	9530416601 9929728430
महिला थाना झालावाड	07432	230142	9530417006
थानाधिकारी झालरापाटन	07432	240024	9530417002
थानाधिकारी असनावर	07432	244236	9530417007
थानाधिकारी, बकानी	07432	245532	9530417004
थानाधिकारी अकलेरा	07432	272223	9530417008
थानाधिकारी रायपुर	07432	255022	9530417005
थानाधिकारी मनोहरथाना	07431	274234	9530417012
थानाधिकारी जावर	07431	295106	9530417011
थानाधिकारी भालता	07431	277608	9530417009
थानाधिकारी घाटोली	07431	276386	9530417010
थानाधिकारी दांगीपुरा	07431	295044	9530417013
थानाधिकारी भवानीमण्डी	07433	222103	9530417017
थानाधिकारी पिडावा	07434	258223	9530417019
थानाधिकारी सुनेल	07434	253230	9530417018
थानाधिकारी मिश्रोली	07433	228099	9530417020
थानाधिकारी खानपुर	07430	261228	9530417014
थानाधिकारी सारोला	07430	263313	9530417015
थानाधिकारी मण्डावर	07432	211300	9530417016
थानाधिकारी गंगधार	07435	284234	9530417023
थानाधिकारी पगारिया	07433	228523	9530417021
थानाधिकारी डग	07435	283329	9530417022
थाना उन्हेल	07435	286030	9530417024
प्रभारी यातायात			9530417025 9660200946
अपराध सहायक			9414307477
थानाधिकारी कामखेड़ा			9829329178
सी ओ स्काउट			8003097178

परिशिष्ट नं. 2 जिले में उपलब्ध वायरलेस संचार व्यवस्था

TYPE OF EQUIPMENT	NUMBER	LOCATION	RANGE
H.F.	01	R.L.	335 K.M.
V.H.F.	22	Q.S.S, O.P.S., MOBILE	10 KM. TO 50 KM.

वायरलेस केन्द्र

क0सं0	केन्द्र का नाम	कॉल साईन	स्टेटिक / मोबाईल	
	फोन / वायालेस सेट	कार्यालय का नाम	लोकेशन	रेंज
1	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस अधीक्षक	झालावाड़	सम्पूर्ण जिला
2	फोन / वायालेस सेट	अति0 पुलिस अधी0	झालावाड़	सम्पूर्ण जिला
3	फोन / वायरलेस सेट	उप पुलिस अधीक्षक	झालावाड़	सम्पूर्ण जिला
4	फोन / वायालेस सेट	कोतवाली	झालावाड़	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
5	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस थाना	झालरापाटन	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
6	फोन / वायालेस सेट	पुलिस थाना	असनावर	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
7	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस थाना	बकानी	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
8	फोन / वायालेस सेट	पुलिस थाना	मंडावर	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
9	फोन / वायरलेस सेट	सी0ओ0	भवानीमंडी	सम्पूर्ण सर्किल
10	फोन / वायालेस सेट	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र	भवानीमंडी	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
11	फोन / वायरलेस सेट	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र	मिश्रोली	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
12	फोन / वायालेस सेट	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र	पगारिया	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
13	फोन / वायरलेस सेट	उप पुलिस अधी0	खानपुर	सम्पूर्ण सर्किल
14	फोन / वायालेस सेट	पुलिस थाना	खानपुर	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
15	फोन / वायरलेस सेट	उप पुलिस अधी0	सारोला	सम्पूर्ण सर्किल
16	फोन / वायालेस सेट	सी0ओ0	अकलेरा	सम्पूर्ण सर्किल
17	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस थाना	अकलेरा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
18	फोन / वायालेस सेट	पुलिस थाना	भालता	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
19	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस थाना	घाटोली	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र

20	फोन / वायालेस सेट	पुलिस थाना	पिड़ावा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
21	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस थाना	रायपुर	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
22	फोन / वायालेस सेट	पुलिस थाना	सुनेल	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
23	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस थाना	मनोहरथाना	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
24	फोन / वायालेस सेट	पुलिस थाना	जावर	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
25	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस थाना	दांगीपुरा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
26	फोन / वायालेस सेट	पुलिस थाना	डग	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
27	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस थाना	गंगधार	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
28	फोन / वायालेस सेट	पुलिस थाना	उन्हेल	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
29	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	रीछवा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
30	फोन / वायालेस सेट	पुलिस चोकी	रटलाई	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
31	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	बाघेर	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
32	फोन / वायालेस सेट	पुलिस चोकी	पनवाड़	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
33	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	तारज	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
34	फोन / वायालेस सेट	पुलिस चोकी	धानोदा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
35	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	सरड़ा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
36	फोन / वायालेस सेट	पुलिस चोकी	चुरेलिया	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
37	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	महाराजपुरा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
38	फोन / वायालेस सेट	पुलिस चोकी	खारपा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
39	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	कोटडा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
40	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	बांसखेड़ा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
41	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	छत्रपुरा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
42	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	कोलूखेड़ी	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
43	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	कनवाड़ा	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
44	फोन / वायरलेस सेट	पुलिस चोकी	धरोनियां	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
45	फोन / वायरलेस सेट	आर.ए.सी.पोस्ट	झालरापाटन	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र

परिशिष्ट नं. 3. चिकित्सालयों की सूची

क0सं0	नाम चिकित्सालय	स्थान	नाम चिकि0 अधि0
1	सामू0 स्वा0 केन्द्र	भवानीमंडी	के0के जूहिया
2	सामू0 स्वा0 केन्द्र	अकलेरा	सतीष पारीक
3	सामू0 स्वा0 केन्द्र	झालरापाटन	जीएस विसनार
4	सामू0 स्वा0 केन्द्र	सुनेल	के0केसोनी
5	सामू0 स्वा0 केन्द्र	मनोहरथाना	राकेष चौहान
6	सामू0 स्वा0 केन्द्र	खानपुर	आईजी वर्मा
7	सामू0 स्वा0 केन्द्र	बकानी	अनिल कोषिक
8	सामू0 स्वा0 केन्द्र	पिड़ावा	पुखराज मीणा
9	सामू0 स्वा0 केन्द्र	डग	उमेष भटनागर
10	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	मंडावर	चेतना जैन
11	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	कनवाड़ा	एनसी वर्मा
12	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	पचपहाड़	अखिलेष जैन
13	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	सांगरिया	मो0 साजिद खांन
14	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	उन्हेल नागेश्वर	
15	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	चोमहला	रमेषचन्द खटीक
16	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	सिरपोई	नरेश अग्रवाल
17	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	मिश्रोली	विजय गोयल
18	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	तारज	ष्विकुमार शर्मा
19	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	हरनावदागजा	हेमराज मीणा
20	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	सरड़ा	रोहिताष कुमार
21	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	घाटोली	उमदा सिंह मीणा

22	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	रीछवा	जगदीश मीणा
23	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	हेमड़ा	जगदीष अग्रवाल
24	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	सारोलाकलां	भवानी शंकर
25	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	रायपुर	छेत्रपाल सिंह
26	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	दहीखेडा	डीजी मिश्रा
27	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	आवर	एचडी मीणा
28	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	रटलाई	आषिक हुसैन
29	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	झूमकी	हेमन्त भारती
30	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	उन्हेल पिड़ावा	एन हाषमी
31	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	गंगधार	
32	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	गरनावद	नितीन जैन
33	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	थनावद	सत्येन्द्र सिंह
34	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	पनवाड़	ओमप्रकाष सांभर
35	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	हरीगढ़	आर0 के0 सोनी
36	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	जावर	एसएन मीणा
37	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	भालता	वीरभान चंचलानी
38	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र	असनावर	आरसी जैन

परिशिष्ट नं. 4 चिकित्सकों की सूची

तहसील	अस्पताल का नाम, पता, फोन	डाक्टरों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	अस्पताल में उलपब्ध संसाधन (एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, मशीन इत्यादि)			
				एम्बुलेंस	स्ट्रेचर	एक्सरे	इसीजी
झालरापाटन	महावीर नर्सिग होम झालावाड़ 232470	1	4	हां	हां	हां	हां
	एम0एम0 नर्सिग होग झालावाड़ 230061	1	4	हां	हां	हां	हां
	भार्गव हास्पिटल एवं रिंसर्च सेंटर झालरापाटन 240069	2	4	हां	हां	हां	हां
पचपहाड़	शान्ति श्री नर्सिग होम भवानीमंडी 222721	2	4	हां	हां	हां	हां
	जे0 के0 होस्पिटल भवानीमंडी 222143	1	2	हां	हां	हां	हां
	डा0 एम0एल0 आहूजा हास्पिटल भवानीमंडी 222312	1	1	हां	हां	हां	हां
	गुप्ता क्लिनिक भवानीमंडी 222150	1	1	हां	हां	हां	हां
अकलेरा	निरोगधाम अकलेरा	4	4	हां	हां	हां	हां

परिशिष्ट नं. 5. नर्स/पेरामेडिकल कर्मचारियों की सूची

तहसील	संख्या
झालरापाटन	**61**
पिड़ावा	**26**
पचपहाड़	**44**
गंगधार	**17**
अकलेरा	**58**
खानपुर	**17**

परिशिष्ट नं. 6 मेडिकल स्टोर्स की सूची

तहसील	मेडिकल स्टोर का नाम व पता	एसटीडी	फोन / मो.	क्षमता
झालरापाटन	अग्रवाल ड्रग स्टोर, भारत मेडिकल ऐजेन्सी,	07432		पूरी तह मेडिसीन
	भारत मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	हरिश मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	आई0एम0ए0 मेडिकल हाल	07432		पूरी तह मेडिसीन
	जैन मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	महावीर मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	मित्तल मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	श्री राम मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	सोनी मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	सूरज मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	विकास मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	जिन्दल मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	लक्ष्मी मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	शौरी मेडिकल स्टोर – झालरापाटन	07432		पूरी तह मेडिसीन
	इंडियन मेडिकल हॉल	07432		पूरी तह मेडिसीन
	राजेश मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	परस मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	हुसैनी मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	बुरहानी मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	मंसूर मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	मूफदिल मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	जैन मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	हिमांशु मेडिकल स्टोर असनावर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	अरिहंत मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	गेापाल मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	नेशानल मेडिकल स्टोर रटलाई	07432		पूरी तह मेडिसीन
	गुप्ता मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	हरिओम मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	अकित मेडिकल स्टोर – बकानी	07432		पूरी तह मेडिसीन
	फलोदी मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	भगवती मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन

	काका मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	हरिश मेडिकल स्टोर	07432		पूरी तह मेडिसीन
	मितत्तल मेडिकल स्टोर – मंडावर	07432		पूरी तह मेडिसीन
पिड़ावा	कमल मेडिकल स्टोर	07434		पूरी तह मेडिसीन
	जैन मेडिकल स्टोर	07434		
	रहमान मेडिकल स्टोर	07434		
	नागदा मेडिकल स्टोर	07434		
	नेशनल मेडिकल स्टोर	07434		
	बहुबली मेडिकल स्टोंर	07434		
पचपहाड़	विकास मेडिकल स्टोर	07433		
	जैन मेडिकल स्टोर	07433		
	कन्हैयालाल,माणकचन्द मेडिकल स्टोंर	07433		
	अरीहन्त मेडिकल स्टोर	07433		
	चन्दालाल,मानमल मेडिकल स्टोर	07433		
	महावीर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर	07433		
	गुप्ता मेडिकल स्टोर	07433		
गंगधार	अब्दुल कादर अलाबक्क्ष मेडिकल स्टोर	07435		
	हरी मेडिकल स्टोर	07435		
	जैन मेडिकल स्टोर	07435		
	शिव शक्ति मेडिकल्स	07435		
	कंवरलाल गोरधनलाल मेडिकल स्टोर	07435		
	रावत मेडिकल स्टोर	07435		
	नाकोड़ा स्टोर	07435		
	गैरी केमिस्ट	07435		
	गायत्री मेडिकल स्टोर	07435		
	जैन मेडिकल स्टोर	07435		
अकलेरा	दिव्या मेडिकल स्टोर	07431		
	अशोक मेडिकल स्टोर	07431		
	नागर मेडिकल स्टोर	07431		
	मोहन मेडिकल मेडिकल स्टोर	07431		
	पराशर मेडिकल स्टोर	07431		
	मनुश्री मेडिकल	07431		
	द्विवेदी मेडिकल स्टोर	07431		
	तरूण मेडिकल स्टोर	07431		
	एच0बी0 मेडिकल	07431		
	अग्रवाल मेडिक्ल स्टोर	07431		
मनोहरथाना	मनोहर मेडिकोज	07431		
	रामलाल/श्यामलाल मेडिकल स्टोर	07431		
	सूरजकरण मेडिकल स्टोर	07431		
	कोठारी मेडिकल स्टोर	07431		
	मनू मेडिकोज	07431		
	सोनी मेडिकल स्टोर	07431		

खानपुर	श्रीराम ड्रग स्टोर	07430		
	दिनेश मेडिकल स्टोर	07430		
	जनता मेडिकल स्टोर	07430		
	खंडेलवाल मेडिकल स्आंर	07430		
	लोकेश मेडिकल स्टोर	07430		
	शर्मा मेडिकल स्टोर	07430		
	प्रदीप मेडिकल स्टोर	07430		
	शुभम मेडिकल स्टोर	07430		
	विशाल मेडिकल स्टोर	07430		
	मोहित मेडिकल स्टोर	07430		
	अबिका मेडिकल स्टोर	07430		
	नगर मेडिकल स्टोर	07430		
	विरेन्द्र मेडिकल स्टोर	07430		
	सोना मेडिकल स्टोर	07430		
	जैन मेडिकल स्टोर	07430		
	कृणा मेडिकल स्टोर	07430		
	मनीश मेडिकल स्टोर	07430		
	नागर मेडिकल स्टोर	07430		
	दोलत मेडिकल स्टोर	07430		

परिशिष्ट नं. 7 आयुर्वेदिक चिकित्सा स्टोर्स

मेडिकल स्टोर का नाम व पता	एस.टी.डी. कोड	फोन/मो.
1. झालावाड़ होलसेल उपभोक्ता भंडार, झालावाड़	07432	
2. श्रीराम अवुर्वेदिक स्टोर, झालावाड	07432	231313
3. छोगालाल मोहनलाल अत्तार, झालावाड	07432	
4. मदनलाल हीरालाल अत्तार सराफा बाजार झालावाड	07432	
5. अग्रवाल ड्रग स्टोर मंगलपुरा झालावाड	07432	231328
6. अग्रवाल आयुर्वेद स्टोर झालरापाटन	07432	277192
7. मंसूर मेडिकल स्टोर झालरापाटन	07432	240052
8. सेफी मेडिकल स्टोर झालरापाटन	07432	
9. मूरलीमनोहर बंषीगोपाल बकानी	07432	
10. गुप्ता मेडिकल स्टोर रटलाई	07432	284423
11. ज्ञान मेडिकल स्टोर, रायपुर	07434	225145
12. सुनिल मेडिकल स्टोर रायपुर	07434	
13. गयत्री आयुर्वेदिक स्टोर रायपुर	07434	
14. मोत्तीलाल कन्हैयालाल, भवानीमंडी	07433	
15. श्रीराम आयुर्वेद स्टोर, भवानीमंडी	07433	222472
16. चंपालाल मांगीलाल, पिडावा	07434	
17. नेष्नल मेडिकल, पिडावा	07434	225226
18. शर्मा मेडिकल स्टोर, खानपुर	07430	
19. दिनेष मेडिकल स्टोर, खानपुर	07430	261333
20. फलोदी आयुर्वेदिक ओषधि, पनवाड	07430	
21. जैन मेडिकल स्टोर,चोमहला	07435	224123

परिशिष्ट नं. 8. चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों की सूची

तहसील	अस्पताल एवं डायग्नोसिस केन्द्र	एसटीडी	फोन नं.	उपकरणों का प्रकार	संख्या
झालरापाटन	बकानी	07432		ई.सी.जी.	1
	झालावाड	07432		लेप्रोस्कोप	18
	झालरापाटन	07432		इं.सी.जी.	1
पचपहाड़	भवानीमंडी	07433	..	एक्से–रे– ई.सी.जी.	1–1
पिड़ावा	सुनेल	07434		एक्से–रे– ई.सी.जी.	1–1
अकलेरा	अकलेरा	07431		एक्सरे – ई.सी.जी.	1–1
मनोहरथाना	मनोहरथाना	07431	..	ई.सी.जी.	1
खानपुर	खानपुर	07430		एक्स–रे,– ईसी.जी.	1–1
गंगधार	डग	07435		एक्स–रे– ई.सी.जी.	1–1

परिशिष्ट नं. 9 एम्बुलेन्स की सूची

तहसील	संख्या	एसटीडी कोड	फोन / मो.
झालरापाटन	11	07432	240268
पिड़ावा	7	07434	235237
पचपहाड़	2	07433	222085
गंगधार	5	07435	244229
खानपुर	4	07430	261221
अकलेरा	3	07431	222207
मनोहरथाना	4	07431	244515

परिशिष्ट नं. 10. सामुदायिक भवनों की सूची

S.No.	Name and Location	No. of Rooms	Construction Type
1	Samudayak Bhawan Diptiji ke Mandeer ke Pass Jhalawar	1 Room	Pucca Structure
2	Samudayak Bhawan Jhalrapatan	8 Room 1 Hall	Pucca Structure
3	Samidayak Bhawan Pirawa	2 Room	Pucca Structure
4	Panchayat Bhawan Manoharthana	1 Hall	Pucca Structure

परिशिष्ट नं. 11 निजी चिकित्सालयों की सूची

क्0सं0	चिकित्सालय का नाम	एसटीडी	टेलीफोल / मो0
1	महावीर नर्सिग होम झालावाड़	07432	232470
2	एम.एम. नर्सिग होम झालावाड़	07432	230061
3	संजीवनी नृंसिंग होम झालावाड़	07432	
4	भार्गव हास्पीटल एवं रिसर्च सेन्टर झा0पाटन	07432	240069
5	शान्ति श्री नर्सिग होम भवानीमंडी	07433	222721
6	जे0के0 होस्पीटल भवानीमंडी	07433	222143
7	डा0 एम.एल. आहूजा होस्पीटल भवानीमंडी	07433	222312
8	गुप्ता क्लिनिक भवानीमंडी	07433	222150
9	निरोगधाम अकलेरा	07431	222722
10	लाईफ लाईन होस्पीटल अकलेरा	07431	222913
11	एल0एन0 नर्सिग होम झालावाड़	07432	
12	हैदरी शिफाखाना झालरापाटन	07432	
13	सिद्धार्थ होस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर भवानीमंडी	07433	223362
14	गणपति नर्सिग होम एण्ड रिसर्च सेन्टर झालरापाटन	07432	
15	सी. एल. गोयल चिल्ड्रन अस्पताल अकलेरा		
16	मानक चंद्र हास्पीटल, झालरापाटन		
17	डॉ0 चंद्रषेखर हास्पीटल, स्टेषन रोग, भवानीमंडी		
18	डॉ0 दिनेश जैन हास्पीटल, बसस्टेंड, भवानीमंडी		
19	आहूजा आर्थेपेडिक हास्पीटल, भवानीमंडी		
20	एस0के0 हास्पीटल अर्पाजीत गर्वरमेन्ट हास्पीटल भवानीमंडी		
21	नून हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्ट्रल, भवानीमण्डी		
22	महावीर हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, भवानीमण्डी		

परिशिष्ट नं. 12 आश्रय स्थलों की सूची (तहसीलवार)

क0सं0	**आश्रय स्थल का नाम व पता**	एसटीडी	**टेलीफोन/मो.**
1	गढ़ बिल्डिंग – झालावाड़		
2	नगरपालिका		
3	राज.महा0 विद्या0 छात्र		
4	सी0 हा0 से0 स्कूल		
5	उ0 प्रा0 वि0 छात्राएं		
6	कलक्ट्री स्कूल		
7	विवेकानन्द उच्च प्राथमिक विद्या0		
8	सी0 हा0उ सेके0 स्कूल न्यु ब्लाक		
10	उद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान		
11	जीतमल धर्मशाला बस स्टेण्ड		
12	मुकन्द लाज बस स्टैण्ड		
14	सूर्या लाज बस स्टेण्ड		
15	पूर्वज होटल मंगलपुरा		231355
16	द्वारीका होटल		232636
17	चन्द्रावती होटल		234023
18	इमानुएल स्कूल		230335
19	मोर्डन स्कूल		
20	एम0 जे0 चिल्ड्रिन स्कूल		
21	निर्मल मॉटेसरी स्कूल		
22	लोटी सेकेड्री स्कूल		
23	जवाहर पब्लिक स्कूल		
24	राज0 सेके0 स्कूल – झालरापाटन		
25	षिक्षक प्रशिक्षण संस्थान		
26	राज0 सी0 स्कूल छात्राएं		
27	लक्ष्मण धर्मशाला		
28	सिंधी धर्म शाला		
29	संकट मोचन धर्मशाला		
30	ममता गेस्ट हाउस		
31	नागर गेस्ट हाउस		
32	पशुपति नाथ लाज		
33	सी0 हा0 सेके0 स्कूल छात्र – पिड़ावा		
34	सी0 हा0 सेके0 स्कूल छात्राएं		
35	राज0 उच्च0 मा0 वि0 छात्र – सुनेल		
36	राज0 उच्च0 मा0 वि0 छात्राएं		
37	राज0 उच्च मा0 वि0 छात्र रायपुर		

38	बालिका स्कूल — पचपहाड़		
39	राज0 मा0 वि0 छात्रा		
40	राज0 उ0 मा0 वि0		
41	राज0 उ0 मा0 वि0 भिलवाड़ी		
42	राज0 उ0 मा0 वि0 मिश्रोली		
44	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्र भवानीमंडी		
45	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्राएं भवानीमंडी		
46	अग्रवाल धर्मशाला		
47	मेड़तवाल धर्मशाला		
48	सिंधी धर्मशाला		
49	सीताराम धर्मशाला		
50	विशाल होटल		
51	सम्राट होटल		
52	राज0 मा0 वि0 आवर		
53	राज0 मा0 वि0 आंवली कलां		
54	राज0 मा0 वि0 झालावाड़ रोड़		
55	राज0 मा0 वि0 छात्राएं — गंगधार		
56	तहसील भवन		
57	राज0 उ0 मा0 वि0 गंगधार		
58	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्र डग		
59	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्राएं डग		
60	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्रा चोमहला		
61	राज0 मा0 वि0 रोझाना		
62	राज0 मा0 वि0 दुधालिया		
63	राज0 उ0 प्रा0 वि0 — अकलेरा		
64	राज0 उ0 प्रा00 वि0 छात्रा अकलेरा		
65	राज0 सी0 मा0 वि0 छात्र अकलेरा		
66	राज0 सी0 मा0 वि0 छात्रा अकलेरा		
67	अग्रवाल धर्मशाला		
68	राज0 मा0 वि0 जावर		
69	राज0 मा0 वि0 आमेठा		
70	राज0 मा0 वि0 भालता		
71	राज0 मा0 वि0 चुरेलिया		
72	राज0 मा0 वि0 ल्हास		
73	राज0 मा0 वि0 थरोल		
74	राज0 मा0 वि0 सरड़ा		
75	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्र — मनोहरथाना		

76	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्रा		
77	राज0 मा0 वि0 आंवलहेड़ा		
78	राज0 मा0 वि0 सरेड़ी		
79	राज0 मा0 वि0 जावर		
80	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्रा — खानुपर		
81	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्र		
82	धर्मशाला ग्राम पंचायत		
83	राज0 उ0 मा0 वि0 हरिगढ़		
84	राज0 उ0 मा0 वि0 पनवाड		
85	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्र सारोला कलां		
86	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्रा सारोलाकलां		
87	राज0 उ0 मा0 वि0 गोलाना		
88	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्र दहीखेड़ा		
89	राज0 उ0 मा0 वि0 छात्रा दहीखेड़ा		
90	राज0 मा0 वि0 छात्र तारज		
91	राज0 मा0 वि0 छात्रा तारज		
92	राज0 मा0 वि0 गाडरवाड़ा नूरजी		
93	राज0 मा0 वि0 जोलपा		
93	राज0 मा0 वि0 खंडी		

परिशिष्ट नं. 13 विवाह स्थलों की सूची

S.No.	Name and Location	No. of Rooms	Tel.No&Mob.
Tehsil – Jhalrapatan			
1	Dwarika Hotal Jhalawar	17 Room 2 Hall	232636
2	Purwaj Hotal Jhalawar	13 Room 1 Hall	231355
3	Chandrawati Hotal	5 Room	234023
4	Maharaja Bheemji ki Hawali	6 Room	231162
5	Sindhi ki Dharmshala Jhalrapatan	2 Hall	
6	Agarsan Bhawan Jhalrapatan	3 Room 2 Hall	
7	Laxman Dharmshala	4 Room 2 Hall	
8	Purwaj Hotal Jhalrapatan	20 Room 2 Hall	
9	Sharda Resort Jhalrapatan	35 Room 3 Hall	

10	Sattyam Palace Jhalrapatan	31 Room 2 Hall	
11	Paryatan Huts Jhalawar		
12	White House Hotal Jhalawar	Swing Pul, Rooms & Restorante	
13	Man Singh Palace Kota Road, Jhalawar	8 Room, 2 Hall & Restorante	
14	Ganpati Plaja Jhalawar	15 Room, 2 Hall	
Tehsil Gangdhar			
1	Tiliyon ka Nohara Gangdhar	1 Room 1 Hall	Tel.No.&Mob.
2	Jain Dharmshala Gangdhar	2 Room	
3	Jain Dharmshala Choumahala	7 Room	
4	Satyanarayan Mander Choumahala	3 Room, 1 Hall	
5	Harison Cotage Choumahala	3 Room, 1 Hall	
6	Soni Manglik Bhawan Dag	4 Room, 1 Hall	
7	Jain Dharmshala Dag	2 Room,	
8	Jaju Dharmshala Dag	4 Room	
9	Bheru Maharaj Dharmshala Dag	5 Room	
10	Jain Dharmshala Dhanmandu Dag	1 Room, 1 Hall	
Tehsil Pachpahar			
1	Baluram Ghasilal Bhawanimandi Dharmshala	6 Room 2 hall	Tek.No.&Mob.
2	Meratwal Dharmshala	6 Room 2 Hall	
3	New Sindhi Dharmshala	2 Room 1 Hall	
4	Sitaram Agarlwal Dharamshala B.Mandi	6 Room	
5	Ambedkar Bhawan Bhawanimandi	2 Room	
Tehsil Aklera			
1	Dulhan Marrige Hall	10Room 1 Hall	Tel.No.&Mob.

2	Shriram Dharmshala, Aklera	3 Room 1 Hall	
3	Meena Samaj Dharmshala,	10 Room 1 Hall	
4	Agarwal Dharmshala, Aklera	18 Room 3 hall	
5	Manglik Bhawan Aklera	7 Room 1 Hall	
Tehsil Manoharthana			
1	Agarwal Dharamshala Manoharthana	18 Room	Tel.No.
Tehsil Pirawa			
1	Babulal ki Dharmshala Pirawa	1Room 1 Hall	Tel.No.
Tehsil Khanpur			
1 2	Chandrawati Laj Khanpur Sarvjanik Dharmshala Khanpur	6 Room 2 Hall 20 Room	Tel.No.

परिशिष्ट नं. 14. होटलों की सूची (तहसीलवार)

S.No.	Name and Location	No. of Rooms	Tel.No&Mob.
Tehsil – Jhalrapatan			
1	Dwarika Hotal Jhalawar	17 Room 2 Hall	232636
2	Purwaj Hotal Jhalawar	13 Room 1 Hall	231355
3	Chandrawati Hotal	5 Room	234023
4	Maharaja Bheemji ki Hawali	6 Room	231162
5	Sindhi ki Dharmshala Jhalrapatan	2 Hall	
6	Agarsan Bhawan Jhalrapatan	3 Room 2 Hall	
7	Laxman Dharmshala	4 Room 2 Hall	
8	Purwaj Hotal Jhalrapatan	20 Room 2 Hall	
9	Sharda Resort Jhalrapatan	35 Room 3 Hall	
10	Sattyam Palace Jhalrapatan	31 Room 2 Hall	

11	Paryatan Huts Jhalawar	8 Rooms	
12	White House Hotal Jhalawar	Swing Pul, Rooms & Restorante	
13	Man Singh Palace Kota Road, Jhalawar		
14	Ganpati Plaja Jhalawar	15 Room, 2 Hall	
15	Jhamku Palace	8 Room, 2 Hall	
Tehsil Gangdhar			
1	Tiliyon ka Nohara Gangdhar	1 Room 1 Hall	Tel.No.&Mob.
2	Jain Dharmshala Gangdhar	2 Room	
3	Jain Dharmshala Choumahala	7 Room	
4	Satyanarayan Mander Choumahala	3 Room, 1 Hall	
5	Harison Cotage Choumahala	3 Room, 1 Hall	
6	Soni Manglik Bhawan Dag	4 Room, 1 Hall	
7	Jain Dharmshala Dag	2 Room,	
8	Jaju Dharmshala Dag	4 Room	
9	Bheru Maharaj Dharmshala Dag	5 Room	
10	Jain Dharmshala Dhanmandu Dag	1 Room, 1 Hall	
Tehsil Pachpahar			
1	Baluram Ghasilal Bhawanimandi Dharmshala	6 Room 2 hall	Tek.No.&Mob.
2	Meratwal Dharmshala	6 Room 2 Hall	
3	New Sindhi Dharmshala	2 Room 1 Hall	
4	Sitaram Agarlwal Dharamshala B.Mandi	6 Room	
5	Ambedkar Bhawan Bhawanimandi	2 Room	
Tehsil Aklera			
1	Dulhan Marrige Hall	10Room 1 Hall	Tel.No.&Mob.
2	Shriram Dharmshala, Aklera	3 Room 1 Hall	

3	Meena Samaj Dharmshala,	10 Room 1 Hall	
4	Agarwal Dharmshala, Aklera	18 Room 3 hall	
5	Manglik Bhawan Aklera	7 Room 1 Hall	
Tehsil Manoharthana			
1	Agarwal Dharamshala Manoharthana	18 Room	Tel.No.
Tehsil Pirawa			
1	Babulal ki Dharmshala Pirawa	1Room 1 Hall	Tel.No.
Tehsil Khanpur			
1 2	Chandrawati Laj Khanpur Sarvjanik Dharmshala Khanpur	6 Room 2 Hall 20 Room	Tel.No.

परिशिष्ट नं. 15. विश्राम स्थलों की सूची (तहसीलवार)

S.No.	Name and Location	No. of Rooms	STD	Tel. No.
P.W.D.				
1	Circuit House, Jhalawar	5	Wall Bearing Structure	230025
2	Dak Bunglow, Jhalawar	4	--do--	232314
3	Dak Bunglow, Bhawanimandi	4	--do--	
4	Dak Bunglow, Aklera	3	--do--	
5	Dak Bunglow, Khanpur	2	--do--	--
6	Dak Bunglow, Pirawa	3	--do--	--
7	Dak Bunglow Choumahala	3		
8	Dak Bunglow RTM Bhawanimandi	4		

Water Resources (Irrigation)

1	Inspection Bunglow, Bhimsagar Dam	3	Pucca Structure
2	Inspection Bunglow, Chhapi	3	Pucca Structure
3	Inspection Bunglow, Chauli	2	Pucca Structure
4	Inspection Bunglow, Bhimsagar Colony	4	Pucca Structure
RTDC			
1	Chandrawati	5	
2	Gaudi Huts	7	--do--

Forest

1	Nursery, Jhalawar	..	

परिशिष्ट नं. 16. गौताखोरों व तैराकों की सूची

उपखण्ड झालावाड में उपलब्ध तैराकों के नाम व मोबाईल नं.		
क्र.सं.	तैराक का नाम /पता	मोबाइल न0
1.	शंकरलाल /नन्दलाल भोई भोई मो0झालावाड	9887881590
2.	चन्दालाल/दूलीचन्द भोई भोई मो0झालावाड	
3.	सुरेश /दूलीचन्द भोई भोई मो0झालावाड	
4.	ओमप्रकाश /बाबूलाल भोई भोई मो0झालावाड	9460853621
5.	लक्ष्मीनारायण /नवल भोई भोई मो0झालावाड	941475079
6.	त्रिलोक /बाबूलाल भोई भोई मो0झालावाड	9460853621
7.	देवीलाल /कन्हैया भोई भोई मो0झालावाड	
8.	राजेन्द्र/गोरीशंकर भोई भोई मो0झालावाड	9928455873
9.	तिलकराज /गोरीशकर भोई मो0झालावाड	9928455873
10.	देवकरण	8769115719
11.	गोविन्द सिंह	9799617663
12.	प्रेमचन्द	8426068891
13.	हेमराज	8003784228
14.	बजरंगलाल	80089334237
15.	अमरलाल	9799179384
16.	जितेन्द्र कुमार	9887036993
17.	जगदीश	8769003468
18.	देवीलाल	9799443199

19.	प्रताप सिंह	9799609351
20.	राकेश	9929983850
21.	धनराज	9571510372
22.	पप्पूलाल	9928521759
23.	मोतीलाल	9799445110
24.	भोरूलाल	9928362039
25.	लक्ष्मीनारायण	9799398552
26.	रंगलाल	9784669211
27.	केवलचन्द	7726818445
28.	हरिसागर	7742123215
29.	रमेशचन्द	9929542684
30.	सुरेशचंद	9929052339
31.	योगेन्द्र सिंह	9024536998
32.	देवकरण	9001487749
33.	राजेन्द्र कुमार	9799641765

परिशिष्ट नं. 17 ड्रेन व बांधों की सूची

Dams

बांध का नाम	तहसील	प्रभारी अधि.अभि./सहायक अभियन्ता	मोबाईल
कालीसिंध	झालरापाटन	श्री धीरज जौहरी अधिशाषी अभियंता	8003390165
भीमसागर	खानपुर	श्री अजीत जैन अधि.अभि. जल संसाधन खण्ड झालावाड श्री शेर सिंह महला सहायक अभियंता	7737216000 9636737227
छापी	अकलेरा	श्री जे.के. सिंह अधि. अभि. श्री श्रीपत सोलंकी सहा.अभि. जल संसाधन उपखण्ड II छापी बांध स्थल	7737780745 9414311955
चंवली	पिडावा	श्री देवकीनन्दन शर्मा अधि. अभियंता	9414329518
		श्री अल्ताफ हुसैन सहा. अभियंता चंवली उप बांध स्थल	8058943098
गागरीन	पचपहाड़	श्री देवकीनन्दन शर्मा अधि. अभियंता	9414329518
पिपलाद	पचपहाड़	श्री देवकीनन्दन शर्मा अधि. अभियंता श्री आजाद कुमार जैन स्हायक अभियंता	

सारनखेडी	झालरापाटन	श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता जल संसाधन उपखण्ड झालावाड	9887052983
सारोला	खानपुर	श्री शिव सिंह जल संसाधन उपखण्ड (द्वितीय) झालावाड	8963019369
गणेशपुरा	खानपुर	अंकित अग्रवाल	9461554111
मोगरा	पचपहाड	श्री आजाद कुमार जैन सहा.अभि. जल संसाधन उपखण्ड भवानीमण्डी	9414939173
जसवन्तपुरा	पचपहाड	श्री शशि चतुर्वेदी	9414595945
ठीकरिया	गंगधार	श्री शशि चतुर्वेदी	9414595945
बिनायगा	पचपहाड	श्री शशि चतुर्वेदी	9414595945
बिस्तुनिया	पचपहाड	श्री शशि चतुर्वेदी	9414595945
भीमनी	पचपहाड	श्री राकेश शर्मा	8107385743
रेवा	पचपहाड़	श्री शेरसिंह महला सहायक अभियन्ता	9636737227
बोरबन्द	बकानी	श्री श्रीपत सोलंकी सहायक अभियन्ता	9414311955
पाडलिया	अकलेरा	श्री जे.के. सिंह सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड–चतुर्थ अकलेरा	9414256466
कंवरियाखेडी	मनोहरथाना	श्री जीवन राम मीणा सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड –प्रथम मनोहरथाना	9983199783
तलावडा	मनोहरथाना		
गुलेंडी	अकलेरा	श्री जे.के. सिंह सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड चतुर्थ अकलेरा	9414256466
कालीखार	मनोहरथाना	श्री जीवन राम मीणा सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड तृतीय मनोहरथाना	9983199783
पृथ्वीपुरा	अकलेरा	श्री जे.के. सिंह सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड प्रथम मनोहरथाना	9414256466

परिशिष्ट नं. 18 मुख्य नहरे व उनके भराव क्षमता की सूची

S. No.	Name	Capacity
1	Bhim Sagar Right main Canal	69 Cusecs
2	Bhim Sagar Left main Canal	185 Cusecs
3	Harish chandra Sagar Main Canal	290 Cusecs
4	Chhapi Right main Canal	117.25 Cusecs
5	Chhapi Left main Canal	62.33 Cusecs
6	Chauli Right Main Canal	15.53 Cusecs
7	Chauli Left Main Canal	147.44 Cusecs

परिशिष्ट नं. 19 पेट्रोल पम्पों की सूची

नाम पेट्रोल पम्प	नाम स्थान	मोबाइल नं.	मात्रा
चौधरी पेट्रोल पम्प अकलेरा	अकलेरा	9414193606	2500
रिलायस पेट्रोल पम्प अकलेरा	अकलेरा	9414330092	2500
वीर तेजा फिलीग स्टेशन अकलेरा	अकलेरा	9414193606	2500
भारत पेट्रोलियम राजस्थान नाका	अकलेरा	9414022301	2500
रिलायंस पेट्रोल पम्प राजस्थान नाका अकलेरा	अकलेरा	9928017725	2500
मै.अमरदीप पेट्रोलपम्प	पिड़ावा	9415651467	2500
नेशन फिलिंग स्टेशन	पिड़ावा	9829325786	2500
भारत पेट्रोलपम्प	पिड़ावा	9425921570	2500
भारत पेट्रोलपम्प	सुनेल	9414651419	2500
रियाज पेट्रोलपम्प	सुनेल	9414420931	2500
भारत पेट्रोलपम्प	हेमड़ा		2500
पेट्रोलपम्प कोटड़ी	कोटड़ी		2500
पेट्रोलपम्प धरोनिया	धरोनिया चौकी		2500
चौधरी फिनिंग स्टेशन रायपुर	रायपुर	9414194028	2500
रिलायंस पेट्रोल पम्प रायपुर	रायपुर	94142256355	2500
एच.पी. मिनेष	रायपुर	9413364557	2500
चौधरी भूरामल एच.जाट अकलेरा	अकलेरा	9414193606	2500
अभिषेक फिलिग स्टेशन अकलेरा	अकलेरा	07431 274540	2500
रिलायंस पेट्रो मार्केटिंग प्रा0लि0 बांसखेड़ी लोधान	बांसखेडी लोढान		2500
गोयल फिलिग स्टेशन बासखेडीलोढा	बांस0लोढान अकलेरा	07431 272131	2500
वीरतेजा फिलिग स्टेशन अकलेरा	अकलेरा	9414193606	2500
सुरेश कुमार पारस कुमार अकलेरा	अकलेरा	07431 272040	2500
उत्तम फिलिंग स्टेशन, अकलेरा	अकलेरा	9413195115	2500
मयंक फिलिंग स्टेशन, आसलपुर	आसलपुर	9414194340	2500

मै. माला सर्विस स्टशन अकलेरा	अकलेरा	9414194715	2500
मै. जयगुरुदेव फीलिंग स्टेशन, अकलेरा	बांसखेड़ी लोढान	9413364442, 9462104559	2500
उपखण्ड असनावर			
पोरवाल सर्विस स्टेशन असनावर (झा0पाटन)	असनावर	07432-244459 9414273835	2500
उपखण्ड भवानीमंडी			
रंगलाल चिरोंजीलाल भवानीमण्डी	भवानीमण्डी	07433 222172 9414194572	2500
सरावगी आटोमोबाईल्स भवानीमण्डी	भवानीमण्डी	07433 222070 9413807188	2500
भरत फिलिग स्टेशन सिलेहगढ	सिलेहगढ	07435-228326,	2500
सिसोदिया फिलिंग स्टेशन सिलेहगढ़ पचपहाड़	सिलेहगढ	07433 218010	2500
रिलायंस पेट्रो0 मार्केटिग प्रा0लि0 भवानीमंडी	भवानीमण्डी	07433 224354	2500
राजपूताना फिलिंग स्टेशन	भवानीमण्डी	9414569149	2500
पिपलिया फिलिंग स्टेशन	पिपलिया	9414183450	2500
ऋषभ फिलिंग स्टेशन, सिलेहगढ़	सिलेहगढ	9829230111	2500
श्री बालाजी फिलिग स्टेशन श्रीछत्रपुर	श्रीछत्रपुर	9413352122	2500
जैन फिलिग स्टेशन पगारिया	पगारिया	9414193902	2500
मै. पवित्र इण्डियन ऑयल रुनजी	भिलवाडी	9414194417	2500
भराड़िया फिलिंग स्टेशन,	सूलिया	9414167366	2500
राजवीर फीलिंग स्टेशन	पचपहाड	9829140475	2500
मै. देव शक्ति पेट्रोलियम स्टेशन, गुराड़ी, सुनेल रोड़	गुराड़ी, सुनेल रोड़ तह0 पचपहाड़		2500
मेसर्स धारीवाल फीलिंग स्टेशन,	गणेशपुरा गरनावद	8233322247	
मेसर्स सांवलिया सेठ फीलिंग स्टेशन, गोपालपुरा गणेशपुरा	गोपालपुरा,गणेशपुरा, तह0पचपहाड़	9214014296	
मेसर्स बालाजी फिलिंग स्टेशन यूनिट–2	पिपलिया तह0 पचपहाड़	9413352122	
मेसर्स मुस्कान फीलिंग स्टेशन	भवानीमण्डी–डग रोड़, मिश्रोली, तह0 पचपहाड़	9587653901	
चौहान फीलिंग स्टेशन	करावन		
राम फीलिंग स्टेशन पगारिया	पगारिया	9792663199	
एवरग्रीन पेट्रो बम्बारी पचपहाड़	बम्बारी पचपहाड़	9414421009	
मेसर्स गोल्डन फीलिंग स्टेशन रुणजी	रुणजी पचपहाड़	9929925122	

उपखण्ड गंगधार			
रामगोपाल राधाकिशन सरडा	डग	9414191671, 07435-283312	2500
शेखावाटी फिलिग स्टेशन गंगधार	गंगधार	9414194417	2500
राजस्थान पेट्रो0 नागेश्वर उन्हेल	ना0उन्हेल	9690023536	2500
अग्रवाल ट्रेडर्स चौमेहला	चौमहला	9413364360	2500
रमेश आटोमोबाईल दुघालिया	दुधालिया	9893227638	2500
कविश फयूल सेंटर रांपाखेडी	चौमहला	9414191671	2500
अरिहन्त फिलिगं स्टेशन उन्हैल	उन्हैल	9829230111	2500
श्री कायावर्णेश्वर फिलिंग स्टेशन, डग	डग	9414420861 9887178857	2500
मै. कनिष्का फिलिंग स्टेशन ग्राम खेजडिया	कूण्डला	9413364360	2500
झिकडिया किसान सेवा केन्द्र, झिकड़िया	सिलेहगढ	9772068609	2500
औसवाल फिलिंग स्टेशन, गंगधार	गंगधार	9414194847	2500
मै. एचपी राजा नागेश्वर फीलिंग स्टेशन, कूण्डला तह0 गंगधार	कूण्डला	8239944108	2500
मुक्तेश्वर फीलिंग स्टेशन, गंगधार	चौमहला तह0 गंगधार		2500
मॉ संतोषी फीलिंग स्टेशन नाहरड़ी	नाहरड़ी	9425921570	
उपखण्ड झालावाड			
चौधरी भूरामल एच जाट झालावाड	झालावाड़	9829039820, 07432-231333	2500
चौधरी भूरामल एच जाट झालरापाटन	झालरापाटन	9829039820, 07432-231333	2500
श्यामलाल श्रीकृष्ण झालावाड	झालावाड़	9414194243, 07432-232469	2500
वर्द्धमान फिलिग स्टेशन बकानी	बकानी	07432-250161	2500
सतनाम फिलिग तीनधार	तीनधार		2500
हमारा पेट्रोल पम्प बकानी	बकानी	9414193561	2500
रिलायंस पेट्रो0 मार्केटिग प्रा0लि0 झालावाड	झालावाड़	9414404449	2500
नवकार किसान सेवा केन्द्र रटलाई	रटलाई	9414571171	2500
श्री कल्याणी कार्मिशियल वृंद्वावन	वृंदावन	9828105267 9828137083	2500
शहीद हेम सिंह फिलिंग स्टेशन झालरापाटन	झालरापाटन	9413064624	2500
सत्यम फिलिंग स्टेशन झालावाड़	झालावाड़	9214014296	2500
मै. फलोदी फ्युल बकानी	बकानी	9414193522	2500
श्री कृष्ण किसान सेवा केन्द्र,	बिरियाखेडी	9414194243	2500

बिरियाखेडी कनवाडा झा.पाटन			
मै. चन्द्रावत फीलिंग स्टेशन, झालावाड़	डाक बंगला रोड़,झालावाड़	9829069066	2500
मै. पाटीदार फ्यूल, खण्डिया, झालावाड़ रोड़, झालावाड़	खण्डिया, झालावाड़		2500
मेसर्स राज फीलिंग स्टेशन सिंघानिया	सिंघानिया	9602803761	2500
उपखण्ड खानपुर			
धाकड फिलिग स्टेशन देवपुरा खानपुर	देवपुरा,	9414572153	2500
भैरूलाल बालचन्द मीणा खानपुर	खानपुर	07430-261219,	2500
शिवम फिलिग स्टेशन खानपुर	खानपुर	07430 262487	2500
कामखेड़ा फिलिंग स्टेशन सारोलाकलां खानपुर	सारोलाकला	07430 263268	2500
रिलायंस पेट्रो मार्केटिंग प्रा0लि0 खानपुर	खानपुर	07430 267510	2500
चांदखेडी रोड केरियर्ससारोलाकंला	सारोलाकला	9414572069	2500
डा0बी0एस0चन्द्रावत एचपी फिलिग स्टेशन पनवाड	पनवाड़ खानपुर	9784669599	2500
कन्हैया फिलिग स्टेशन खानपुर	खानपुर	9414521536	2500
मै. चन्द्रावत डी वी एस पेट्रो सर्विस बाघेर खानपुर	बाघेर	9784669599	2500
उपखण्ड मनोहरथाना			
मणिधारी फिल एण्ड फलाई	मनोहरथाना	07431 274510	2500
हमारा पम्प मनोहरथाना	मनोहरथाना	07431- 274228	2500
कामखेड़ा बालाजी फिलिंग स्टेशन ग्राम खुरी पं. सरेडी तह0 मनोहरथाना	ग्राम खुरी	9414194340	2500
उपखण्ड पिडावा			
मै. राजस्थान फीलिंग स्टेशन काली तलाई,	झालरापाटन, तह0पिडावा		2500
जैन फिलिंग स्टेशन नंदपुर–रायपुर तह0 पिड़ावा	रायपुर	07434-255456	2500
सुनेल फिलिग स्टेशन सुनेल	सुनेल	9414420931	2500
अमरदीप पेट्रोलियम पिडावा	पिडावा	07432-240941 9414651467	2500
चौधरी फिलिग स्टेशन रायपुर	रायपुर	9414194028	2500
हमारा पंप सुनेल	सुनेल	9414651419	2500
सुदर्शन फिलिग स्टेशन रायपुर	रायपुर	07434 255555	2500
मासूम किसान सेवा केन्द्र हेमड़ा	हेमडा		2500
मिनेष ट्रेडिग कंपनी रायपुर	रायपुर	9413364557	2500
मै. नेशनल प्यूल स्टेशन पिड़ावा	पिडावा	9414651467	2500
विनायक पेट्रोलियम पिड़ावा	पिडावा	9166138122	2500

झाला फिलिगं स्टेशन चॅवली	रायपुर	9799449217	2500
मै. करणवीर हाईवे सर्विस चंवली पिडावा	चंवली	9414194028	2500
रणजीत फिलिंग स्टेशन, ग्रामदौलतपुरा ग्राम पं.शेरपुर पिड़ावा	दौलतपुरा		2500
मै. सांवला फिलिंग स्टेशन	कोटड़ी	8058487788	2500
मै. बालाजी पेट्रोलियम, कालीतलाई पिडावा	ग्राम कालीतलाई	8003042801	2500
मै. सत्यम फीलिंग स्टेशन रायपुर, यूनिट–2 पिपलिया	रायपुर	9413364557	2500
मै. हर्ष फीलिंग स्टेशन कोटड़ी रोड़, धाराखेड़ी, पिड़ावा	कोटड़ी रोड, धाराखेड़ी		2500
मै. जय गोपाल फीलिंग स्टेशन झालरापाटन रोड़सुनेल	झालरापाटन रोड़ सुनेल,	8058900151	2500
मेसर्स राजपाल फीलिंग स्टेशन	लक्ष्मीपुरा पिड़ावा	9413557666	2500
मेसर्स जय कृष्ण पेट्रोलियम	सुनेल पिड़ावा	9887437879	2500
मेसर्स गोचर फीलिंग स्टेशन	जसवंतपुरा, सुनेल	9414447684	2500

परिशिष्ट नं. 20 छविगृहों की सूची

क्र.सं.	छविग्रह का नाम	स्थान
1.	प्रेम मंदिर, झालावाड़	झालावाड
2.	सुन्दर थियेटर	झालरापाटन

परिशिष्ट नं. 21 गैस एजेन्सियों तथा गोदामों की सूची

S. No.	Location	agency name	Capacity	Demand	Work Force	Safety Equipment	Contact No.
1.	झालरापाटन	मैं0 झा0 पाटन गैस एंजेसी	8000	280	8		9636955442
2.	भवानीमंडी	मैं0 ऋषभ गैस एंजेसी	12000	260–310	15	6 फायर पम्प 4 बासकेट	222222 9414194522
3.	झालावाड़	मैं0 झालावाड़ गैस एंजेसी	11000	300	11	6 फायर पम्प 4 बासकेट 2 ड्रम रेत	232580, 231734 9414489620
4.	खानपुर	मैं0 श्री साई भारत गैस	12000	250	10	6 फायर पम्प 4 बासकेट	07430261888
5	झालरापाटन	मैं0 दुर्गा देवी एच0 पी0 गैस सर्वीस	12000	300	15	6 फायर पम्प 4 बासकेट	07432241111 9413364441

6	अकलेरा	मैं0 अकलेरा एच0 पी0 गैस सर्वीस	12000	260	16	4 फायर पम्प 5 बासकेट	273099 9799378542
7	सुनेल (पिड़ावा)	मैं0 आदीष एच0 पी0 गैस सर्वीस	12000	200	12	7 फायर पम्प 4 बासकेट	253552 9829400231
8	डग (गंगधार)	मैं0 श्री नारायण एच0 पी0 गैस सर्वीस	12000	110	10	3 फायर पम्प 6 बासकेट	283399 9799277451
9	गंगधार	मैं0 नीमा एच0 पी0 गैस सर्वीस	5000	25	3	3 फायर पम्प 6 बासकेट	284376 09414570384
10	मनोहरथाना	मैं0 सिद्धार्थ गैस सर्वीस	12000	40	8	1 फायर पम्प 6 बासकेट	9414673222 9414734650
11	पिड़ावा	मैं0 श्री सांवरीया एच0 पी0 गैस	5000	50	4	1 फायर पम्प 6 बासकेट	9461609636
12	झालावाड़	मैं0 राजराजेश्वर इण्डेन	12000	70	9	5 फायर पम्प 6 बासकेट	9414194036 9413364412
13	पगारिया (आवर) पचपहाड़	मैं0 साई भाररत गैस, ग्रामीण वितरक	5000	15	4	1 फायर पम्प 6 बासकेट	9672813084 9982889695

परिशिष्ट नं0 22 केन, जेसीबी गैस कटरस, इत्यादि उपकरणों की सूची

क्र0 सं0	ठेकेदार का नाम	उपकरण का नाम					कुल उपकरण – 11	एसटीडी 07431	टेली0 / मो0 2
		ट्रक	ट्रेक्टर	डम्फर	रोलर	शावल			
1	श्री बलवीर कन्स्ट्रक्शन क0 अकलेरा	1	1	6	3	—	11	07431	222162, 222232, 98290–39513
2	के0 चौपड़ा कन्स्ट्रक्शन क0 झालावाड़	1	1	5	2	1	10	07432	231074,230184,98290–39800
3	श्री शशी जैन झालावाड़	6	1			1	8	07432	230985,230984,98290–55438
4	श्री सूर्या कन्स्ट्रक्शन क0 कोटा	1	1	4	3	1	10	0744	2411771,94141–89502
5	श्री मंगतराम अकलेरा	2	1	1	3		7	07431	222382,222286
6	श्री प्रेमचन्द सुमन झालावाड़		2		1		3	07432	230893, 9829230893
7	श्री असलम झालावाड़	1	1				2	07432	232308,98291–29569
8	श्री ग्रीस कन्स्ट्रक्शन क0 कोटा		1				1	0744	2326272,233477, 9829036404

परिशिष्ट नं. 23 जिले में उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों व प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची

अग्निशमन उपकरणों की सूची

तहसील	अग्निशमन वाहन (दमकल)	अधिकारी (नाम व पता)	कर्मचारी (संख्या)	आग बुझाने

	संख्या			के उपकरण
झालावाड़	1 आर.जे.–17 / जी.0325	श्री अमरसिंह 101 व (टे) 231136 (टे) 30797	14	–

उपकरण

टाईप	संख्या	क्षमता	क्षेत्राधिकार	विभाग	टेलीफोन
फोम टेण्डर	1	5000 लीटर	सम्पूर्ण जिला	नगरपालिका झालावाड़	232378 / 101

परिशिष्ट नं. 24 ठेकेदारों के पास उपबन्ध उपकरणों की सूची

क0सं0	ठेकेदार का नाम	उपकरण का प्रकार	संख्या	एसटीडी कोड	टेलीफोन / मो.
1	श्री बलवीर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी अकलेरा प्लान्ट घाटोली एन.एच.12, कि0मी0 400 / 0	जे0सी0बी0	1	07431	222162 / 98290–239513
2	श्री के0 चोपड़ा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, झालावाड़ प्लान्ट आमेठा, एन0एच012 कि0मी0 370 / 0	जे0सी0बी0	1	07432	231074, 230184, 98290–239800
3	श्री सूर्या कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, कोटा प्लान्ट रलायती, स्टेट हाईव्हे 19, कि0मी0 91	जे0सी9बी9	1	0744	2411771, 94142–231201

परिशिष्ट नं. 25 राजकीय एवं गैर सरकारी वाहनों की सूची

क्र. सं.	वाहन संख्या	वाहन किस्म	विभाग का नाम	वाहन चालक का नाम
1.	आरजे / 14–3सी–348	कार	जिला पूल	
2.	टारज–17 / सी–0080	कार	जिला पूल	
3.	आरजेओ / 4008	जिप्सी	जिला पूल	
4.	आरजे–17 / 0044	जिप्सी	जिला पूल	
5.	आरजे–17 / 0045	जिप्सी	जिला पूल	
6.	आरजे–17 / सी 0046	जिप्सी	जिला पूल	

7.	आरजे / 17–0644	जीप	जिला पूल	
8.	आरजे / 17–0760	जीप	जिला पूल	
9.	आरजे–16 / सी 151	जीप	जिला पूल	
10.	आरजे–17 / 730	जीप	जिला पूल	
11.	आरजेओ–1438 आरजेवाई – 5696	जीप जीप	अधिशाषी अभियन्ता भीमसागर	
12.	आरजे–17 / 321	जीप	सचिव भूमि विकास बैक झालावाड़	
13.	आरएनआर–8039	जीप	वणिज्यका अकधकारी झालावाड़	
14.	आरजे–17 / 1297 आरजे–20 / 1827	जैप जीप	जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़	
15.	आरएनवाई / 1454	जीप	सहा.अभि.खान एवं भू. वि.झालावाड़	
16.	आरएनओ–1482 आरजेओ–1490 आरएनवाई–6446	जीप जीप जीप	अधि.अभि.सिचाईखण्ड झालावाड़ अधि.अभि.चंवलीबांध खण्ड झा0 अधि.अभि.चंवली नहर खण्ड झा.	श्री अब्दुल मजीद श्री पृथ्वीसिंह
17.	आरजे–17 / सी 0135	जीप	छापी	
18.	आरजे–26 / सी 7987	जीप	छापी	
19.	आरआरआर–4935	जीप	छापी	
20.	आरजेओ– / 1863	जीप	छापी	
21.	आरजेओ / 1893	जीप	छापी	
22.	आरजे–17 / सी 951	जीप	व्यवस्थापक जेकेएसबी	
23.	आरजे–14–1826	जीप	उप निदे.पशुपालन विभाग	
24.	आरजे–14 / 3252	जीप	विकास अधिकारी खानुपर	
25.	आरजेओ– / 5411 आरजे–17 / 142	जीप जीप	अधी.अभि.आरएसईबी झालावाड़	
26.	आरजे–17 / 433	जीप	जिला शिक्षा अधि.छात्र झालावाड़	
27.	आरजे–17 / 0097 आरजे–20 / 698 आरजे–20 / के 1825	जीप जीप जीप	अधि.अभि.आरएसईबी झालावाड़	
28.	आरजे–17 / सी 7826	जीप	पंचायत समिति, झालरापाटन	

29.	आरजे–14 / सी 0216 आरजे–17ी 408	जीप	उपनिदेशक कृषि	
30.	आरएनएल–9484 अरजे–17 / 1027	जीप जीप	मु.चि.एवं.स्वा.अधि.झालावाड़	
31.	आरजे–17 / 0058	जीप	सहा.निदे.उद्यान झालावाड़	
32.	आरजे–17–18	जीप	विकास अधिकारी सुनेल	
33.	आरजे–17 / 131 आरआरआर– 548 आरजेओ– 488	जेप जीप जीप	अधि.अभि.पी.एचईडी झालावाड़	

परिशिष्ट नं. 26 पुलिस विभाग के पास उपलब्ध उपकरणों व वाहनों की सूची
उपकरणों की सूची

Type of equipment	Number	Location	Range
Fax	---	Jhalawar	S.P.
Wireless Set	1	Jhalawar	S.P.
Telephone	230410-230411	Jhalawar	S.P.
Life jacket	8	Pollice Line Jhalawar	S.P.
Gum boot	8	Pollice Line Jhalawar	S.P.
Rain Coat	10	Pollice Line Jhalawar	S.P.
Tube of Big Truck	4	Pollice Line Jhalawar	S.P.
Rope of San (Length 40 Ft.)	2	Pollice Line Jhalawar	S.P.
Torch (2 Cells)	6	Pollice Line Jhalawar	S.P.

Station	Equipment	Police Force	Dog-squad	Vehciles
R.L. Jhalawar	ROPES	50 NORMAL POLICE	NIL	6

वाहन

Type	Number	Capacity
Light Vehicle	21	168

Gipsy	4	32
Ambassatar Car	1	1
Medium Vehicle	1	20
Heavy Vehicle	1	25
Motor Cycle	1	2

परिशिष्ट नं. 27 पावर स्टेशनों की सूची

S.No.	LOCATION	LISTALLED CAPACITY	LOAD	TELEPHONE No.
A.	**220 KVGSS**			
	1. Jhalawar	1*100 MVA	80000 KVA	232271
B.	132 KVGSS			
1	Bhawanimandi	1*10/12.5 MVA	32000 KVA	222114
		1*25 MVA		
2	Aklera	1*10/12.5 MVA	8000 KVA	222357
3	Dug	1*10/12.5 MVA	6000 KVA	238341

परिशिष्ट नं0 28 सहकारी भंडारों की सूचीः–

कम संख्या	सहकारी भंडार का नाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष नम्बर
1	झालावाड सहकारी उपभोक्ता होलसेल झालावाड	07432	232238

परिशिष्ट नं. 29 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भण्डारण

SNo.	Location	Type of Food Product	Storage Capacity	Existing Storage
1.	FCI B.Mandi	Wheat, Rice	10000 MT	Wheat 6000, Rice 6 MT

परिशिष्ट नं. 30 स्वयं सेवी संस्थाओं की सूची

1.	भारत विकास परिषद झालावाड़

2.	रोटार क्लब झालावाड़
3.	लॉयस क्लब झालावाड़
4.	भारत विकास परिषद , अकलेरा
5.	रोट्रेकट क्लब अकलेरा
6.	चद्रावती ग्रोथ सेन्टर स्माल स्केल इंड. झालरापाटन
7.	**महावीर इन्टरनेशन विकलांग समिति, झालरापाटन**
8.	स्माल स्केल इन्ड. एसो. झालरापाटन
9.	व्यापार संघ झालरापाटन
10.	फेमस महिला विकास, विकास प्रशिक्षण संस्थान झा.पाटन
11.	पंडित दीनदयाल रक्तदान समिति झालरापाटन
12.	नागरिक मंच राजस्थान संस्थान भवानीमंडी
13.	जानकी देवी गोपी किशन राठी चेरीटेबल ट्रस्ट भवानीमंडी
14.	लॉयन्स क्लब भवानीमंडी
15.	महावीर सोशल ग्रुप पिड़ावा

परिशिष्ट नं. 31 टैंट हाउसों की सूची

उपखण्ड झालावाड में स्थित टेन्ट हाउस की सूची	
नाम टेन्ट हाउस	मोबाइल न0/फोन न0
रूपा टेन्ट हाउस झालरापाटन	07432240324 240319
कमल टेन्ट हाउस झालरापाटन	240300
मंगल टेन्ट हाउस झालरापाटन	240012/240295
जैन टेन्ट हाउस झालरापाटन	240021
गुप्ता टेन्ट हाउस झालरापाटन	240971
दयाल टेन्ट हाउस झालरापाटन	241075
सुदर्शन टेन्ट हाउस झालरापाटन	241042
नागर टेन्ट हाउस झालावाड	230470
जैन टेन्ट हाउस झालावाड	230291
शुक्ला टेन्ट हाउस झालावाड	233012
मारवाडा टेन्ट हाउस झालावाड	230606
बजाज टेन्ट हाउस झालावाड	231897
जनता टेन्ट हाउस झालावाड	230159
अग्रवाल टेन्ट हाउस झालावाड	232233
विनोद टेन्ट हाउस बकानी	9460173696

विश्वकर्मा टेन्ट हाउस बकानी	9414957241
डायमण्ड टेन्ट हाउस बकानी	9785331817
प्रिन्स टेन्ट हाउस बकानी	9829804376
मारूति टेन्ट हाउस बकानी	9414571360
पालीवाल टेन्ट हाउस रटलाई	9461085547
सुमन टेन्ट हाउस रटलाई	9166003621
बजरग टेन्ट हाउस रटलाई	8094494799
प्रदीप टेन्ट हाउस रटलाई	9636711646
चौघरी टेन्ट हाउस अकलेरा	9414193553
मंसूरी टेन्ट हाउस	9950717427
गौतम टेन्ट हाउस अकलेरा	9829636274
श्रवण टेन्ट हाउस घाटोली	9694112721
टेन्ट हाउस भालता	9982264414
अरिहन्त टेन्ट हाउस पिड़ावा	9413207469
जैन टेन्ट हाउस पिड़ावा	9001773730
श्रीजी टेन्ट हाउस रायपुर	9983621780
पवन टेन्ट हाउस रायपुर	9460122911
राजेश टेन्ट हाउस सुनेल	9636382224
आकाश टेन्ट हाउस सुनेल	9928600925
नाम्स टेन्ट हाउस सुनेल	9672136216

परिशिष्ट नं. 32 भौजन शालाओं/हलवाईयों की सूची

1	प्रकाशचन्द जैन हलवाई चौपडिया बाजार झालरापाटन	9414330516, 07432—241616
2	श्री नंदलाल पि0 जगन्नाथ माली हलवाई चौथमाता मंन्दिर के पास झालरापाटन	9414571526
3	अग्रवाल मिष्ठान भण्डार मंगलपुरा झालावाड़	
4	सरोवर कचोरी सेन्टर झालावाड	9950450649
5	खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार झालावाड़	98290—39292
6	वन्दना रेस्टोरेन्ट बस स्टेण्ड झालरापाटन	94600—45983
7	विषाल रेस्टोरेन्ट गिन्दौर गेट बाहर झालरपाटन	98874—30330
8	मनीष टी स्टॉल पीपली चौराहा झालरापाटन	94132—81084
9	लक्ष्मी होटेल बड़ा मन्दिर पीछे झालरापाटन	94141—94810
10	जैन भोजनालय चौपड़िया बाजार झालरापाटन	94142—56438
11	खण्डेलवाल रेस्टोरेन्ट पीपली चौराहा झालरापाटन	98290—39292
12	गिरधर कुमार श्यामलाल जैन मिष्ठान भण्डार मैन मार्केट झालरापाटन	07432—240230
13	प्रकाष चन्द कस्तुर चन्द जैन रेस्टोरेन्ट मैन मार्केट झालरापाटन	07432—241616 94143—30516
14	चौरसिया भोजनालय बस स्टेण्ड बकानी	9602417488

15	छीतर हलवाई खानपुर	9252701025
16	नन्दकिशोर खानपुर	
17	नन्दलाल माली खानपुर	
18	हेमराज धाकड़ खानपुर	
19	हेमराज माली खानपुर	
20	महावीर मालव खानपुर	9929544681
21	मोहनलाल छीपा खानपुर	9929544682

परिशिष्ट नं. 33 गैस एजेन्सियों तथा गोदामों की सूची

नाम गैस एजेंसी	कंपनी	दूरभाष न0	मात्रा
झालरापाटन गैस एजेंसी झा.पाटन अटेच जायसवाल एचपी गैस	HPCL	07432–230051, 9414193734	50
ऋषभ गैस एजेंसी भवानीमण्डी	BPCL	07433–222222, 9414194522	50
झालावाड गैस एजेंसी झालावाड	HPCL	07432–232580, 94144–89620	50
श्री साई भारत गैस खानपुर	BPCL	9413809926, 07430–261888,	50
मै. दुर्गा देवी एचपी गैस सर्विस झालरापाटन	HPCL	07432–241111, 9413364441	50
मै. अकलेरा एचपी गैस सर्विस अकलेरा	HPCL	9414176681, 07431–273099,	50
आदीश एचपी गेस सर्विस सुनेल	HPCL	07434–253552, 9829400231	50
श्री नारायण एचपी गैस सर्विस डग (गंगधार)	HPCL	07435–283399, 9799277451	50
नीमा एचपी गैस सर्विस, (राजीव गॉधी एलपीजी) गंगधार	HPCL	07435.284850, 9784124850	50
सिद्वार्थ गैस सर्विस, मनोहरथाना	HPCL	07431–274333, 9166673222,	50
शिव सांवरिया एचपी गैस (राजीव गॉधी एलपीजी) पिडावा	HPCL	07434.258021, 9461609636	50
मै. राजराजेश्वर इण्डेन, झालावाड़	IOCL	8003567900, 9414194036	50
मै. सांई भारत गैस, ग्रामीण वितरक पगारिया (आवर)	BPCL	9672813084, 9672233098	50
मै. पार्श्वनाथ भारत गैस ग्रामीण वितरण ग्राम मिश्रोली	BPCL	9982919090	50
मै. सौम्या एच.पी. गेस ग्रामीण वितरक आमेठा	HPCL	9001443940	50
मै. साई एच.पी. ग्रामीण वितरक पिपलिया पचपहाड़	HPCL	96104.13137	50
मै. पारेता एच.पी. गेस ग्रामीण वितरक रटलाई	HPCL	9772696979	50

मै. बकानी इण्डेन गैस एजेन्सी, बकानी	IOCL	07432–245030, 9414570913,	50
मै. अन्नपूर्णा इण्डेन ग्रामीण वितरक, उन्हेल	IOCL	9950307415	50
मै. राधे भारत गैस ग्रामीण वितरक, शोरती मनोहरथाना	BPCL	9929809588	50
जायसवाल एच.पी. गैस एजेन्सी, मस्तान शाह की मस्जिद के पास, नला मोहल्ला, झालावाड़	HPCL	07432–230051	50
मै. सत्यम एच.पी. गैस एजेन्सी, झालावाड़े	HPCL	9414750020	50
मे0 गुरुकृपा भारत ग्रामीण गैस रायपुर	BPCL	8441004342	50
मे0 गुरुकृपा भारत ग्रामीण गैस रायपुर	BPCL	8441004342	50

परिशिष्ट नं. 34 राहत सामग्री की सूची

- प्लेट (थाली) –2,
- कटोरी –2,
- गिलास (स्टील) –2,
- बड़ा पतीला–1,
- तूर की दाल –2 कि.ग्रा,
- गेंहू का आटा –5 किलोग्राम
- मोमबत्ती–1 पैकेट,
- माचिस–2 पैकेट,
- आलू –2 कि.ग्रा.,
- प्याज़ –1 कि.ग्रा.,
- नमक –1 कि.ग्रा.,
- मिर्च पाउडर 250 ग्राम,
- हल्दी पाउडर 250 ग्रा,
- धनियां–जीरा 205 ग्राम,
- तेल 1 कि.ग्रा. (प्लास्टिक बोतल),
- धोती – 1
- कंबल – 1